ISSN-0971-8397

# योजना

दिसम्बर 2021 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

## आत्मनिर्भर भारत

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

**प्रमुख आलेख**
उत्पादों का भौगोलिक संकेतक
जी आर चिंतला

**विशेष आलेख**
संसाधनों की साझेदारी
डॉ प्रवीण कुमारी सिंह

**फोकस**
हर घर जल
युगल जोशी

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
डॉ अमिय कुमार महापात्रा

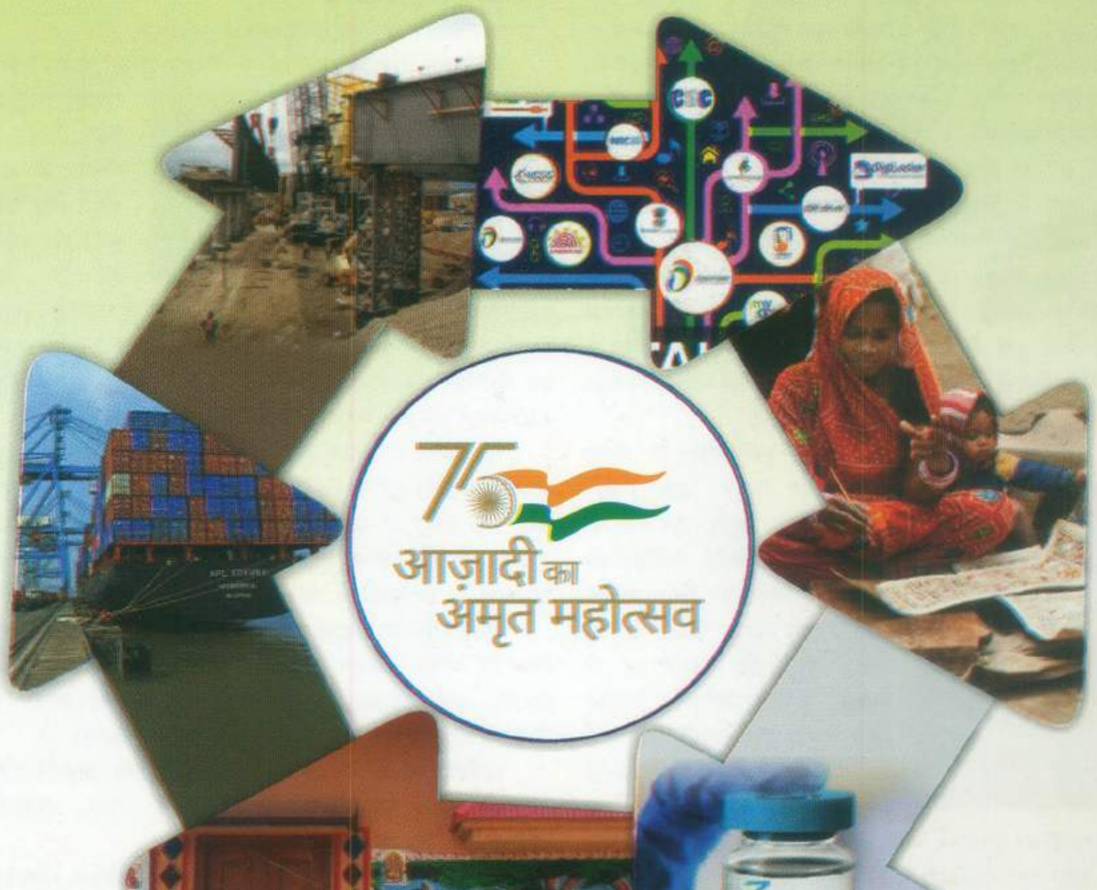

# विभिन्न विकास योजनाएं

## अमृत 2.0

नगरों को 'जल सुरक्षित' और ''आत्मनिर्भर'' बनाकर ''आत्मनिर्भर भारत'' की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के उद्देश्य से नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0) को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति मिल गई है। शहरी घरों में भरोसेमंद और किफ़ायती जल-आपूर्ति और साफसफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सभी घरों में फंक्शनल यानी सही प्रकार से काम करने वाले नल-कनेक्शन मुहैया कराए जा रहे हैं और जल संसाधनों के संरक्षण/सुदृढ़ीकरण, जल स्रोतों और कुंओं का नवीकरण किया जा रहा है तथा इस्तेमाल हो चुके उपचारित पानी और बारिश के पानी को संचित किया जा रहा है। इस परियोजना से जीवन आसान हो जाएगा क्योंकि सभी शहरी घरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंच जाएगा और गन्दे पानी की निकासी की भी उपयुक्त व्यवस्था हो जाएगी।

''अमृत'' के अंतर्गत मिली उल्लेखनीय सफलताओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ''अमृत 2.0'' में सभी 4,378 वैधानिक कस्बों में नलों से पानी पहुंचाने के लिए जल आपूर्ति की समग्र व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 500 ''अमृत'' शहरों में सभी 100 प्रतिशत घरों में सीवरेज/सेप्टेज यानी अपजल निकासी प्रणाली बनाना भी इस मिशन का लक्ष्य है। लक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।

''अमृत 2.0'' के लिए कुल 2 लाख 77 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्ष की अवधि के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंशदान भी शामिल है। इस मिशन के कामकाज की प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित मजबूत पोर्टल बनाया जाएगा। ''अमृत 2.0 (शहरी)'' के अन्य मुख्य विशेष पहलुओं में पेयजल सर्वेक्षण शामिल है जिससे शहरी जल सेवाओं के मूल्यांकन के लिए स्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

## पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने, उसे लागू करने, उसकी प्रगति आंकने और समर्थन तंत्र की स्थापना के लिए संस्थागत रूपरेखा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने 13 अक्तूबर, 2021 को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति-एनएमपी का शुभारम्भ किया था। क्रियान्वयन प्रारूप में सचिवों का अधिकार प्राप्त ग्रुप (ईजीओएस), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) और तकनीकी समर्थन इकाई (टीएसयू) शामिल हैं जिनके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता भी है।

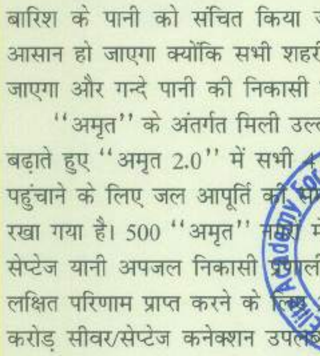


पीएम गति शक्ति - एनएमपी का उद्देश्य विभागीय व्यवस्था को तोड़कर अधिक समग्र और समेकित योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियात्मक रूप देना है ताकि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पहुंचाने से जुड़े मुद्दों के समाधान पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इससे संसाधनों को पहुंचाने की व्यवस्था करने की लागत कम होगी और ग्राहकों, किसानों और युवाओं तथा व्यापार करने वालों को बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

सचिवों के अधिकार प्राप्त ग्रुप ईजीओएस की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इस ग्रुप में 18 मंत्रालयों के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लॉजिस्टिक्स डिवीजन के प्रमुख इसके सदस्य संयोजक होंगे। इस ग्रुप को पीएम गति शक्ति-एनएमपी के क्रियान्वयन पर निगाह रखने का अधिकार दिया गया है ताकि संभारतंत्र की कार्यकुशलता सुनिश्चित रहे। ईजीओएस को एनएमपी में बाद में कोई संशोधन करने की प्रक्रिया और संबद्ध मानक निर्धारित करने का अधिकार भी होगा। यह ग्रुप विभिन्न गतिविधियों में सामंजस्य रखने की प्रक्रिया तय करने के साथ ही निश्चित प्रारूप भी निर्धारित करेगा और ऐसी पक्की व्यवस्था भी करेगा कि बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न प्रयास साझा समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिस्से हों। ईजीओएस इस्पात, कोयला, उर्वरक, आदि मंत्रालयों की मांग के अनुसार थोक मात्रा में सामान तेजी से और सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के वास्ते उनकी मांग पूरी करने के तौर-तरीकों पर ध्यान देगा। पीएम गति शक्ति विभिन्न हितार्थियों को एकसाथ लाकर परिवहन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करेगा।

## मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क

भारत को वैश्विक मानचित्र पर मज़बूत स्थिति में लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार सात पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5 एफ विज़न यानी फार्म (खेत) से फाइबर (रेशा); फाइबर से फैक्ट्री; फैक्ट्री से फैशन; और फैशन से फोरेन (विदेश) से प्रेरित है। इस समन्वित दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग की वृद्धि को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सात पीएम मित्र पार्क विभिन्न इच्छुक राज्यों में ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों पर खोल जाएंगे। वे राज्य इसके लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं जिनके पास 100 एकड़ से ज्यादा बिना किसी ऋण-भार वाली समीपस्थ जमीन उपलब्ध है और वस्त्र उद्योग से जुड़ी अन्य सुविधाओं वाला अनुकूल पर्यावरण है। इन पार्कों में नीचे दी व्यवस्थाएं होंगी:-

**मुख्य बुनियादी ढांचा:** इनक्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट्स, सड़कें, बिजली, पानी और अपजल निस्तारण प्रणाली, साझा प्रसंस्करण भवन और साझे अपजल उपचार संयंत्र तथा डिजाइन केंद्र, परीक्षण केंद्र आदि अन्य संबद्ध सुविधाएं।

**समर्थक बुनियादी ढांचा:** श्रमिकों के लिए होस्टल और रहने के मकान, लॉजिस्टिक्स (परिवहन सुविधा) पार्क, गोदाम, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाएं।

पीएम मित्र पार्क का विकास स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (एसपीवी) करेगा जिसका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा और उसका संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी तरीके से किया जाएगा। मास्टर डेवेलपर औद्योगिक पार्क का विकास करने के साथ ही रियायत या छूट की अवधि में उसकी देखरेख और रखरखाव भी करेगा।

शेष कवर 3 पर...

# योजना

वर्ष : 65
अंक : 12

दिसम्बर 2021
अग्रहन-पौष, शक संवत् 1943

मूल्य : ₹ 22
पृष्ठ : 60

वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in

**वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल**

**संपादक : डॉ ममता रानी**

**संपादकीय कार्यालय**

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

**उत्पादन अधिकारी : डी के सी हृदयनाथ**

**आवरण : बिंदु वर्मा**


**योजना** का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

**योजना** में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

**योजना** में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

**योजना** में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

**योजना** लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

**योजना** घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-57** पर देखें।

**योजना** की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

**योजना** न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष : 011-24367453**
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

**योजना** की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

**अभिषेक चतुर्वेदी**, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

@DPD_India
@dpd_india

# इस अंक में

## प्रमुख आलेख


उत्पादों का भौगोलिक संकेतक
जी आर चिंतला, ज्ञानेंद्र मणि, सुरेंद्र बाबू........ 7

## विशेष आलेख


संसाधनों की साझेदारी
डॉ प्रवीण कुमारी सिंह, त्रिशलजीत सेठी........ 12


## फोकस


हर घर जल
युगल जोशी........ 17

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
डॉ अमिय कुमार महापात्रा, तमन्ना महापात्रा........ 24


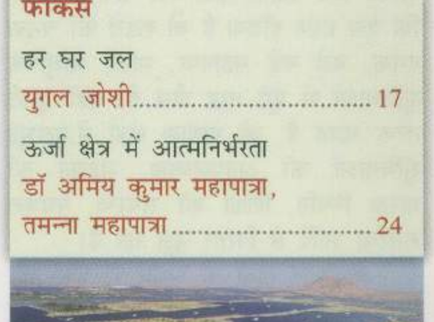

वोकल फॉर लोकल तथा लोकल से ग्लोबल
डॉ रहीस सिंह........ 30

आत्मनिर्भर कृषि
मंजुला वाधवा........ 35

आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक उपाय
प्रो तनय कुरोडे, डॉ मेघना भिलारे........ 40

महिला उद्यमिता
पूर्वा अग्रवाल........ 44

भारतीय पुलिस : मूल्यांकन और स्वरूप
नुति नमिता........ 48


## आज़ादी का अमृत महोत्सव


पुस्तक चर्चा:
आधुनिक भारत के निर्माता
डॉ भीमराव आंबेडकर........ 53


## नियमित स्तंभ


विकास पथ
विभिन्न विकास परियोजनाएं........ कवर-2

क्या आप जानते हैं?
नदीतट विकास पर नीतियां और विनियम........ 54


**अगला अंक : आज़ादी का अमृत महोत्सव**


प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 43



हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

# आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

### पंचायती राज का दर्पण

योजना पत्रिका का नवंबर माह का 'पंचायती राज' पर अंक उपलब्ध कराने पर सम्पादक महोदय का बहुत-बहुत आभार। प्रस्तुत अंक में पंचायती राज का भारत में प्रारम्भ से लेकर अब तक उसके कार्यान्वयन एवं प्रभाव का वास्तविक चित्रण बेहद सराहनीय ढंग से प्रदर्शित है। देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायती राज संस्थाओं को समृद्ध बनाने हेतु हो रहे प्रयासों तथा उसमें वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से हो रहे परिवर्तनों की स्पष्ट जानकारी दी गयी है जोकि बेहद उपयोगी है।

देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं यथा स्वामित्व, ई-ग्रामस्वराज आदि की वर्तमान स्थिति, प्रभाव व कार्यान्वयन में आयी समस्याओं को समाधान के साथ प्रदर्शित किया गया है जो कि वर्तमान भारत का वास्तविक प्रतिबिम्ब सामने रखता है।

प्रस्तुत अंक सही मायने में भारत की पंचायती राज व्यवस्था व वर्तमान स्थिति का दर्पण सिद्ध हुआ है।

**– प्रशान्त राजपूत**
जयराम नगर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश

### प्रामाणिक विस्तृत जानकारी

योजना का सितंबर 2021 का नारी शक्ति पर केंद्रित विशेषांक में डॉ रंजना कुमारी का आलेख "स्त्री हत्या की रोकथाम'' सभ्य समाज के दुखद पहलू की ओर इशारा है सचमुच हिंसा के डरावने स्वर हमारे मानव होने पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे है। भगवान बुद्ध एवं महावीर स्वामी के अहिंसा परम नियम संदेशों को भीतर से अपनाना होगा। इसी अंक में डॉ सुभाष शर्मा के आलेख लैंगिक न्याय में विभिन्न राज्यों की स्थितियों और शासन की योजनाओं की विस्तृत जानकारी से सशक्तीकरण का स्वप्न साकार होने का संबल प्रदान किया। इस अंक के सभी आलेख मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। सभी लेखकों को विविध विषयों की प्रामाणिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु धन्यवाद।

**– प्रदीप गौतम सुमन**
रीवा मध्य प्रदेश

### हर गांव बने ग्लोबल विलेज

जाने-माने कैनेडियाई दार्शनिक और विद्वान मार्शल मक्लुहान ने बताया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है, ऐसे में भारत का हर गांव भी ग्लोबल विलेज बनना चाहेगा। भारत गांवों में बसता है और बिना ग्रामीण विकास के नए भारत का निर्माण करना नामुमकिन है। यद्यपि अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है जैसा कि योजना के नवम्बर अंक के संपादकीय में "पंचलाइट'' कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है।

पहले एक बात अक्सर सुनने में आती थी जिसमें भारत और इंडिया दो नामों पर का अलग अर्थ बताया जाता था। माना जाता था कि एक तरफ इंडिया है जो शहरों की चमक दमक, बड़े बड़े महानगर, मॉल, आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है; वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में,मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता, सड़कों की खस्ता स्थिति, शिक्षा की समस्या, पेयजल समस्या आदि से निरंतर जूझ रहा है।

आजकल गांवों के सुधार से एक ओर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ पेयजल आपूर्ति हेतु जलजीवन मिशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहें है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने शहरों को गांवों से जोड़ने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षो में ग्रामीण स्वच्छता और खुले में शौच जैसे विषयों पर काफी ध्यान दिया गया है जिसके नतीजे काफी उत्साहवर्धक है। यद्यपि कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहें है परंतु अभी कुछ इलाकों में स्थितियां उतनी नहीं सुधरी जितनी आपेक्षित है। इनमे से कुछ कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने का काम स्थानीय नेताओं, उनके रिश्तेदारों या प्रभुत्वशाली लोगो को सौंप दिया गया है, जिससे नियमित प्रशिक्षण का स्तर निम्न है। इसका फीडबैक लेना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। ग्रामीण विकास हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं वरन रोज़गार परक होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार की "एक जिला एक उत्पाद योजना'' को गांव स्तर पर "एक गांव एक उत्पाद योजना'' के रूप में प्रयोग में लाकर गांव की आय में वृद्धि एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने मॉडल से पूरे देश को प्रभावित किया है ऐसे मॉडल विलेज की जानकारी अन्य गांवों में भी प्रसारित करनी चाहिए जिससे विकास की दर को तीव्र किया जा सके।

**– माधवेंद्र मिश्रा**
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

### अतिसुन्दर समाकलन

योजना का पूर्वोत्तर पर आधारित अंक, सभी हिमालयी राज्यों के पर्यावरणीय तथा सामाजिक स्थिति एवं उनकी अपनी अनूठी संस्कृति के विषय का सूक्ष्म शब्दों में अतिसुन्दर समाकलन था। हमारे जैसे पहाड़ी युवाओं को इस अंक को पढ़ने में इसलिए भी अति आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति की झलक भी दृष्टिमान थी।

इस अंक नें हमे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का समागम है। हम जिस प्रकार अनेकों आक्रमणों और आक्रांताओं से अपनी संस्कृति को बचा कर इस मुकाम तक लाये उसे आगे भी संभाल के रखना होगा। भविष्य में भी इस तरह के अंकों की प्रतीक्षा रहेगी। योजना की पूरी टीम का धन्यवाद एवं आभार।

**– दीपक चंदोला 'बधाणी'**
थराली, चमोली, उत्तराखंड

# संपादकीय

## आत्मनिर्भरता की ओर

जब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए दो स्वदेशी टीकों को मंजूरी दी गई थी, तो भारत को महामारी के खिलाफ निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। यह चिकित्सा अनुसंधान की भी एक जीत थी जिसने आत्मनिर्भर भारत के महत्व को रेखांकित किया। यही वह समय था जब हमने आत्मनिर्भरता की अवधारणा पर दोबारा गौर किया और आत्मनिर्भरता के लिए की जाने वाली पहलों को परखते हुए उन क्षेत्रों पर चर्चा की जहां ये 'पहलें' युगांतकारी बदलाव ला सकती हैं।

सरकार ने पिछले साल ही, यानी मई 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाकर कोविड-19 संकट से बाहर निकाला जा सके। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के 5 स्तंभ हैं– अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में क्वांटम जंप, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी अवसंरचना, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम यानी तकनीक से संचालित प्रणाली या तंत्र, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी जीवंत जनसांख्यिकी और डिमांड यानी मांग। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई साहसिक सुधार किए, जिनमें कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, तर्कसंगत टैक्स प्रणाली, सरलीकृत कानून, कुशल मानव संसाधन और वित्तीय तंत्र को मजबूत बनाना शामिल हैं। कोविड-19 महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण इकाइयां, मनोरंजन, रियल एस्टेट, शिक्षा, आतिथ्य, रसद यानी लॉजिस्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा और कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध की वजह से आयात-निर्यात, आपूर्ति श्रृंखलाएं, परिवहन और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता-एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। पुनरुद्धार प्रोत्साहन के उपायों में प्रवासियों और सीमांत जनसंख्या को मदद, व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई की परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण, गैर-बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों को समर्थन और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना शामिल था।

टीकाकरण की गति बढ़ने और कोरोना वायरस के मामलों में कुछ हद तक कमी के साथ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कैसे प्रत्येक क्षेत्र स्वयं को विजयी रूप से पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित कर सकता है। अधिकांश लोग ऑनलाइन 'वर्क फ्रॉम होम' के बजाय फिर से कार्यालयों में जाकर कार्य करने लगे हैं। सार्वजनिक परिवहन लगभग पूरी क्षमता से काम करने लगा है। मॉल और सिनेमा हॉल पूर्ण रूप से खुलने लगे हैं। बच्चे लंबे अंतराल के बाद धीरे-धीरे स्कूल वापस जा रहे हैं। अधिकांश लोग, जो अपने कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित ठहराव के कारण अस्थायी रूप से अपनी आजीविका खो चुके होंगे, वे धीरे-धीरे अपने संबंधित व्यवसायों में वापस जा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था के इस पुनरुद्धार के पार्श्व में जो विचार है - वह है - वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होना और एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना जो भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाए। स्वदेश में निर्मित कोविड के टीके, पीपीई किट्स तथा अन्य चिकित्सीय साजो-सामान इस आत्मनिर्भरता के सफर को स्वयं बयां कर रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की हाल ही में शुरू की गई दो अभिनव ग्राहक-केंद्रित पहलें, देश में निवेश के दायरे का विस्तार करने और पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लॉकडाउन के दिनों से ही यूपीआई ने बहुत ही कम समय में देश को डिजिटल लेनदेन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है।

योजना का यह अंक अर्थव्यवस्था, उद्यमिता, विनिर्माण, उपभोक्ताओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, और निर्यात प्रोत्साहन सहित राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को छूता है ताकि इन क्षेत्रों की अंतर्निहित क्षमता में वृद्धि और आगे की चुनौतियों का पता लग सके। अब जब यह घटनाओं से परिपूर्ण वर्ष समाप्त हो रहा है, हमें उम्मीद है कि नया साल सभी के लिए और बेहतर संभावनाएं और अवसर लेकर आएगा। ■

# उत्पादों का भौगोलिक संकेतक

Elite Academy Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

जी आर चिंतला
ज्ञानेंद्र मणि
सुरेंद्र बाबू

**भारत को अपने देशी, अनूठे और प्रतिष्ठित उत्पादों की रक्षा जीआई टैग ( भौगोलिक संकेतक ) के ज़रिये करने की ज़रूरत तब महसूस हुई, जब बासमती चावल का पेटेंट एक अमेरिकी कंपनी को दे दिया गया और इस पेटेंट को अमेरिकी अदालत में चुनौती देने के लिए भारत को बहुत महंगी कवायद करनी पड़ी। इसी कारण भारत को 2003 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक ( पंजीकरण एवं संरक्षण ) अधिनियम, 1999 लागू करना पड़ा, जो जीआई के ज़रिये सुरक्षा देने वाला अपनी तरह का इकलौता कानून है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए चेन्नई में पंजीयक के नेतृत्व वाली भारतीय भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री की स्थापना की गई।**

भौगोलिक संकेतकों (जीआई) की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पक्ष (ट्रिप्स) समझौते के अनुच्छेद 22 से संचालित होती है, जिसके अनुसार जीआई 'किसी वस्तु का उद्‌गम' किसी सदस्य की भूमि अथवा उस भूमि के किसी क्षेत्र या स्थान पर होने की पुष्टि करते हैं, जहां उस वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताओं का कारण उसका भौगोलिक उद्‌गम स्थल ही होता है।' इसके अंतर्गत सदस्य देश सभी जीआई को संरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और 'संबंधित पक्षों को उनके जीआई के लिए संरक्षण प्राप्त करने हेतु कानूनी साधन' प्रदान करने का ज़िम्मा सदस्यों का ही होता है। भौगोलिक संकेतकों को औद्योगिक संपदा के संरक्षण हेतु की गई पेरिस संधि के अनुच्छेद 1(2) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के एक अंग के रूप में भी शामिल गया है। आम तौर पर सशक्त कारोबारी प्रबंधन के साथ जीआई किसी भी उत्पाद को प्रतिस्पर्द्धा में आगे कर देते हैं, उसका मूल्यवर्द्धन करते हैं, निर्यात के अधिक अवसर दिलाते हैं और उत्पाद के ब्रांड को मज़बूत बनाते हैं। साथ ही जीआई एक अन्य प्रकार की बौद्धिक संपदा 'ट्रेडमार्क' से अलग होते हैं क्योंकि ट्रेडमार्क किसी उद्यम को दिया जाने वाला वह चिह्न है, जिसका प्रयोग अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं को अन्य उद्यमों की वस्तुओं एवं सेवाओं से अलग दिखाने के लिए करने का विशिष्ट अधिकार उस उद्यम को प्राप्त हो जाता है। किंतु जीआई किसी व्यक्ति को प्रयोग के लिए दिया जाने वाला संपदा अधिकार नहीं है। यह किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए दिया जाता है, जिसका प्रयोग उस क्षेत्र में प्रत्येक उत्पादक तब तक कर सकता है, जब तक जीआई वस्तुओं की गुणवत्ता उस क्षेत्र के चिह्नित उत्पाद के लिए बताई गई गुणवत्ता के समान रहती है।

2019 में दुनिया भर में लगभग 55,800 संरक्षित जीआई थे, जिनमें सर्वाधिक जीआई जर्मनी (14,289) में थे। उसके बाद चीन (7,834) और हंगरी (6,949) थे। अमेरिका के पास केवल 529 और भारत के पास 361 जीआई थे। चीन और भारत में लागू सभी जीआई को राष्ट्रीय प्रणालियों के ज़रिये संरक्षण प्राप्त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 90.7 प्रतिशत, इज़रायल में 99.9 प्रतिशत और यूक्रेन में 99.2 प्रतिशत जीआई को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से संरक्षण मिला है। 2019 में दुनिया भर के कुल जीआई में 56.6 प्रतिशत मदिरा से संबंधित थे और 34.2 प्रतिशत कृषि उत्पादों एवं खाद्य पदार्थों से संबंधित थे। कुल जीआई में हस्तशिल्प की हिस्सेदारी महज़ 3.5 प्रतिशत थी।

दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था, जिसे 2004 में अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता, स्वाद तथा बाज़ार में संभावना के लिए जीआई टैग

जी आर चिंतला नाबार्ड के चेयरमैन, ज्ञानेंद्र मणि मुख्य महाप्रबंधक और सुरेंद्र बाबू उप महाप्रबंधक हैं। ईमेल: gyanendra.mani@nabard.org

प्रदान किया गया था। वास्तव में दार्जिलिंग चाय की तीन किस्में- काली, हरी और सफेद – जीआई टैग हासिल कर चुकी हैं। अभी तक 370 उत्पादों को भारतीय जीआई रजिस्ट्री से जीआई का पंजीकरण मिल चुका है, जिनमें 214 हस्तशिल्प, 112 कृषि, 16 खाद्य पदार्थ, विदेशी खाद्य पदार्थ एवं 14 विनिर्मित, 12 भारत में विनिर्मित तथा 2 प्राकृतिक वस्तुएं हैं। कर्नाटक के पास सबसे अधिक 47 उत्पादों के जीआई टैग हैं और 39 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है।

**भारत के जीआई टैग वाले उत्पादों एवं शिल्पियों के कार्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का लक्ष्य उत्पादों की मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में करने का है। जीआई उत्पादों के लिए नया लोगो जारी करते हुए प्रोत्साहन के लिए नई टैगलाइन 'इनवैल्यूएबल ट्रेज़र ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया' चुनी गई है।**

यद्यपि पिछले 18 वर्षों में जीआई टैग के साथ पंजीकृत वस्तुओं की संख्या (370) में अच्छी प्रगति देखी गई है फिर भी जीआई उत्पादों के मामले देखने के लिए समर्पित संस्थागत ढांचे एवं व्यवस्था की आवश्यकता है। वस्तुओं का पंजीकरण होने भर से उन्हें आर्थिक लाभ तब तक नहीं मिलते, जब तक घरेलू और निर्यात बाज़ार में उसे क्रियान्वित करने की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होती। इसके लिए भारत ने सरकारी एवं कॉरपोरेट स्तरों पर उत्पादों के बारे में पता लगाने की व्यवस्थाएं लागू करने की पहल आरंभ की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का कार्यक्रम ग्रेपनेट इसी का उदाहरण है। इसके अलावा एपीडा ने इसी तर्ज पर हॉर्टिनेट, पीनट.नेट, बासमती.नेट, ट्रेसनेट, मीटरनेट जैसे कार्यक्रम भी लागू किए हैं। हॉर्टिनेट ने अंगूर, अनार, आम, सब्जियों (करेला, लौकी, ग्वार फली, करी पत्ता, सहजन, बैंगन, सेम, फ्रेंच बीन, हरी मिर्च, कुंदरू, लोबिया की फली, भिंडी, आलू और टिंडा), पान के पत्ते तथा खट्टे फल (संतरे, मौसमी आदि) जैसी फसलों का आदि से अंत तक पता लगाने के समाधान प्रदशित किए हैं। एपीडा के तहत काम करने वाला ट्रेसनेट किसी भी उत्पाद के उत्पन्न होने से अंतिम उपयोग तक की जानकारी इकट्ठी करता है, जमा करता है और प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भारत में जैविक आपूर्ति श्रृंखला के भीतर मौजूद परिचालकों तथा उत्पादक समूहों एवं प्रमाणन संस्थाओं द्वारा दी गई प्रामाणिक जानकारी एवं संबंधित आंकड़े भी रखता है।

जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में कुछ अच्छी पहलें आरंभ की गई हैं, लेकिन उनकी गति एवं संख्या सीमित है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय पहलें नीचे दी गई हैं:

1. भारत के जीआई टैग वाले उत्पादों एवं शिल्पियों के कार्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का लक्ष्य उत्पादों की मार्केटिंग अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में करने का है। जीआई उत्पादों के लिए नया लोगो जारी करते हुए प्रोत्साहन के लिए नई टैगलाइन 'इनवैल्यूएबल ट्रेज़र ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया' चुनी गई है। वाणिज्य मंत्रालय जीआई टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।
2. भारत का सबसे पहला भौगोलिक संकेतक (जीआई) भारतीय

काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद (सीईपीसीआई) का स्टोर था, जो 2019 में गोवा के प्रस्थान टर्मिनल पर आरंभ किया गया था। गोवा की योजना अन्य हवाई अड्डों पर जीआई स्टोर खोलने की भी है। सार्वजनिक खरीद बाज़ार में आने का और सरकारी ख़रीदारों को अनूठे उत्पाद तथा सेवाएं बेचने का मौका प्रदान करने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) का कार्यक्रम जेम स्टार्टअप रनवे भी आरंभ किया गया। स्टार्टअप रनवे उद्यमों को सरकारी ख़रीदारों का बाज़ार आज़माने और संभावित ख़रीदारों तथा निवेशकों से तय समय के भीतर प्रतिक्रिया पाने, वास्तविक उत्पाद, मूल्य की तुलना करने एवं बाज़ार मूल्यांकन हासिल करने का अवसर भी देगा।

**भारत का सबसे पहला भौगोलिक संकेतक (जीआई) भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद (सीईपीसीआई) का स्टोर था, जो 2019 में गोवा के प्रस्थान टर्मिनल पर आरंभ किया गया था। गोवा की योजना अन्य हवाई अड्डों पर जीआई स्टोर खोलने की भी है। सार्वजनिक खरीद बाज़ार में आने का और सरकारी ख़रीदारों को अनूठे उत्पाद तथा सेवाएं बेचने का मौका प्रदान करने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) का कार्यक्रम जेम स्टार्टअप रनवे भी आरंभ किया गया।**

3. 2025 तक 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात हासिल करने के लक्ष्य वाली भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) ने निर्यात नीति के मसौदे में जीआई टैग वाली कृषि जिंसों को वृद्धि के कारकों में शुमार किया है, जिससे ख़रीदारों से दिशा पाले वाले वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद मिलेगी। नई एफटीपी के तहत प्रस्तावित दो प्रमुख पहल हैं (अ) प्रत्येक ज़िले में 'ज़िला निर्यात केंद्रों' (डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब) को बढ़ावा देना और ज़िला निर्यात संवर्द्धन पैनल स्थापित करना तथा छोटे कारोबारों एवं किसानों को लक्ष्य कर ज़िला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार करना; और (आ) लॉजिस्टिक एवं यूटिलिटी सेवाओं का दक्ष, किफ़ायती और पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार कर भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं में 'असंतुलन दूर करना' तथा सौदों की लागत कम करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नीतिगत, नियामकीय एवं परिचालनगत ढांचे से संबंधित 'घरेलू एवं विदेशी बाधाएं' कम करने की दिशा में काम करना।
4. सरकार द्वारा खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2020 पारित किया जाना शिल्पियों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमियों की मदद के लिए स्वदेशी खिलौना उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अन्य छोटा किंतु महत्वपूर्ण कदम है। इसमें शिल्पियों द्वारा बनाई एवं बेची जाने वाली और भौगोलिक संकेतकों (जीआई) के रूप में पंजीकृत वस्तुओं को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों से मुक्त रखा गया है।
5. भारत में जीआई टैग वाले उत्पादों का पहला ख़ास और सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर भी जीआई उत्पादों को प्रचार एवं तैयार

बाज़ार हासिल करने में मदद करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है।

6. कई एजेंसियां और राज्य सरकारें अब जीआई टैग वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देते हुए अक्सर क्रेता-विक्रेता मीट आयोजित करती हैं।

**भारत को अन्य देशों के साथ सक्रियता के साथ बातचीत आरंभ करनी होगी ताकि उनके बाज़ार भी भारत से जीआई टैग वाले उत्पादों विशेषकर कृषि उत्पादों के लिए उपलब्ध हो सकें क्योंकि भारत में पंजीकृत 370 जीआई उत्पादों में से लगभग 111 कृषि उत्पाद ही हैं। बदले में भारत से भी जीआई टैग वाले उत्पादों की मदद करने की अपेक्षा की जाएगी।**

उत्पादन का स्तर बढ़ाने और जीआई टैग वाले ग्राम आधारित उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों तथा निर्यात के ठिकानों से जोड़ने के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं:

1. स्थानीय किसानों, उपभोक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के बीच विभिन्न जीआई उत्पादों तथा जीआई एवं गैर-जीआई उत्पादों में अंतर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
2. एपीडा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों में वर्चुअल और वास्तविक विक्रेता-क्रेता मीट आयोजित करती है। उसने हाल ही में जीआई उत्पादों को विशेष रूप से दिखाना आरंभ किया है। ऐसे प्रयास स्वागत योग्य हैं किंतु भारत विशेषकर केंद्र सरकार को भारतीय जीआई उत्पादों के लिए सुनिश्चित घरेलू एवं विदेशी बाज़ार मुहैया कराने हेतु कोई दीर्घकालिक नीति बनानी होगी।
3. 10,000 कृषि आधारित कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने की केंद्रीय योजना 3 राष्ट्रीय एजेंसियों नाबार्ड, एसएफएसी और एनसीडीसी तथा कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। मूल्यवर्द्धन, विपणन और निर्यात बढ़ाने के लिए एक ज़िला एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी) पर आधारित क्लस्टर प्रणाली अपनाई गई है, जिससे छोटे, सीमांत तथा भूमिहीन किसानों को उनकी फ़सलों के लिए प्रौद्योगिकी सामग्री, ऋण तथा बेहतर बाज़ार एवं दाम के ज़रिये फ़ायदा मिलेगा। ओडीओपी का सिद्धांत जापान में ओवीओपी (वन विलेज वन प्रोडक्ट) तथा थाईलैंड में ओटीओपी (वन ताम्बोन वन प्रोडक्ट) के रूप में प्रचलित है और दोनों देशों में किसानों की आय में इसने कथित रूप से सकारात्मक योगदान किया है। इस संबंध में सुझाव है कि क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां जीआई टैग वाली अथवा जीआई उत्पाद मानने के लिए आवश्यक विशेषताओं वाली फ़सलों को उचित महत्व देने का प्रयास करें।
4. सरकार को कस्टम क्लियरेंस सुविधाओं, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं, पैक हाउस और प्री-कूलिंग सुविधाओं जैसा आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रयास करने होंगे ताकि जीआई उत्पादों के निर्यात की संभावना बढ़ सके।
5. भारत को अन्य देशों के साथ सक्रियता के साथ बातचीत आरंभ करनी होगी ताकि उनके बाज़ार भी भारत से जीआई टैग वाले उत्पादों विशेषकर कृषि उत्पादों के लिए उपलब्ध हो सकें क्योंकि भारत में पंजीकृत 370 जीआई उत्पादों में से लगभग 111 कृषि उत्पाद ही हैं। बदले में भारत से भी जीआई टैग वाले उत्पादों की मदद करने की अपेक्षा की जाएगी।
6. जीआई टैग मिलने के बावजूद कई जीआई उत्पादों का वाणिज्यिक प्रदर्शन घरेलू बाज़ार में भी ठीक नहीं है। इसलिए

भारत सरकार ऐसे उत्पादों के स्थान के क्लस्टर चिह्नित कर सकती है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनका वाणिज्यिक मूल्यांकन कर सकती है।

7. देखा गया है कि बासमती चावल, नासिक के अंगूर और दार्जिलिंग चाय के अलावा जीआई टैग वाले अधिकतर उत्पादों के लिए मूल्य शृंखलाएं या तो विकसित नहीं है अथवा शैशवावस्था में हैं। इस मोर्चे पर भी प्रयासों की आवश्यकता है।
8. जीआई और उनकी उपज ट्रेस करने के समाधान प्राप्त करने में प्रयोगकर्ताओं/किसानों/उद्यमियों की मदद करने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने से जीआई उत्पादों के विकास में मदद मिल सकती है।
9. चुनिंदा एफपीओ को चिह्नित करना तथा खेतों का सर्वेक्षण करने वाले जीआई-ट्रेसेबिलिटी समाधानों, मौसम संबंधी परामर्श सेवाओं, ट्रेसेबिलिटी समाधानों, सूचना देने संबंधी उपयोगों, भंडार प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन, उपग्रह आधारित उपयोग एवं उपज का अनुमान लगाने के लिए प्रायोगिक परीक्षण करना।
10. नाबार्ड जीआई टैग प्राप्त करने के लिए कृषि एवं गैर कृषि उत्पादों के पंजीकरण में मदद करता है। यह खेतों से दूर उत्पादन करने वालों के संगठन (ओएफपीओ) बनाने एवं बढ़ाने में विभिन्न एजेंसियों की मदद भी करता है क्योंकि क्षेत्र विशेष की खेतों से इतर गतिविधियों के क्लस्टर को बढ़ावा देने में उनका फायदा उठाया जा सकता है। ■

*अस्वीकरण: ये निजी विचार हैं और नाबार्ड की इससे सहमति होना आवश्यक नहीं है।*

### संदर्भ


- वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडीकेटर्स, डब्ल्यूआईपीओ, 2020 चिंताला, जीआर और ज्ञानेंद्र मणि (2020)( न्यू एग्री-रिफॉर्म्स: फार्मर्स कलेक्टिव्स सेट टु गेन द मोस्ट https://www.financialexpress.com/2039242 30 जुलाई, 2020
- क्लेमोन, यूपिन (2011); अ स्टडी ऑन वन विलेज वन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट (ओवीओपी) इन जापान एंड थाईलैंड एज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडोनेशिया: अ पर्सपेक्टिव ऑन जापान एंड थाईलैंड https://www.researchgate.net/publication/255801823
- कॉंगोपोर्ट (2021), विदेश निर्यात नीति 2021-2026: आयात-निर्यात क्षेत्र के लिए अपेक्षाएं; 2 अगस्त, 2021
- आईबीबीसी (2021) उत्तर प्रदेश जीआई प्रोडक्ट्स एक्सपो 2021, http://www.ibbc.bg/uttar-pradesh-gi-products-expo-2021-18th-24th-january-2021/ 18-24 जनवरी 2021
- पीटीआई (2021)( स्टॉल्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स विल बी सेट अप एट ऑल 10 एयरपोर्ट्स, सेज़ सुरेश प्रभु (https://www.businesstoday.in/168819-2019-02-20, 20 फरवरी, 2019


## किसान कल्याण

प्रधानमंत्री ने किसानों के दीर्घकालिक कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा की है। पीएम ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए बीज, बीमा, बाजार और बचत के चौतरफा उपाय किए गए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के साथ-साथ सरकार ने किसानों को नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। किसानों को उनकी मेहनत के बदले में उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए कई पहल की गई हैं। देश ने अपने ग्रामीण बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार के लिए देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। उद्देश्य यह था कि देश के किसानों, विशेषकर छोटे किसानों को मजबूत किया जाए, उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और उपज को बेचने के लिए अधिकतम विकल्प मिले। इससे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और तीन कानून लाए गए जिन्हें अब संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से निरस्त किया जाएगा।

उन्होंने शून्य-बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की भी घोषणा की। समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे।

*स्रोत: पीआईबी*

# संसाधनों की साझेदारी

**डॉ प्रवीण कुमारी सिंह**
**त्रिशलजीत सेठी**

**मौजूदा गतिशील परिदृश्य में प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिये सार्वजनिक उपक्रमों के बीच संसाधनों की साझेदारी तथा तकनीकी ज्ञान और अन्य संबंधित विचारों का ज्यादा सक्रिय आदान-प्रदान जरूरी है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग और संसाधनों का एक साझा पूल तैयार करने की आवश्यकता है। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सफल सहयोग से उनमें परस्पर तालमेल बनेगा। इससे संसाधनों का एक जीवंत साझा पूल विकसित होगा जिसे बाकियों के साथ भी बांटा जा सकेगा।**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का महत्व खास तौर से प्रौद्योगिकी और अन्य संचालन प्रक्रियाओं में तेज प्रगति की वजह से बढ़ता जा रहा है। मौजूदा गतिशील परिदृश्य में प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिये सार्वजनिक उपक्रमों के बीच संसाधनों की साझेदारी तथा तकनीकी ज्ञान और अन्य संबंधित विचारों का ज्यादा सक्रिय आदान-प्रदान जरूरी है।

सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग और संसाधनों का एक साझा पूल तैयार करने की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम – नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग (एनपीसीएससीबी) के भी अनुरूप होगा जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लागू कर रहा है।

वर्तमान में देश में 256[1] केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहे हैं। इनमें लगभग 10 लाख कार्मिक कार्यरत हैं। कुल 96 सार्वजनिक उपक्रमों को रत्न का दर्जा दिया गया है। इनमें से 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 72 मिनीरत्न हैं। इन सब ने मिल कर 2019-20 में 93294 करोड़ रुपये[2] का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास में इनका काफी योगदान है।

इन सार्वजनिक उपक्रमों से जवाबदेही, कार्यकुशलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए विवेकपूर्ण प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण फैसलों के जरिये प्रतिस्पर्धी ढंग से काम करने की उम्मीद की जाती है। इसलिये इनमें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें आधुनिक प्रक्रियाओं, कौशल और व्यवहार के लिहाज़ से क्षमता निर्माण की जरूरत है। इससे कुशलता, प्रतिस्पर्धा, ईमानदारी और निष्ठा की संस्कृति बनेगी तथा प्रशासनिक कदाचारों को रोका जा सकेगा।

खास तौर से रत्न दर्जा वाले बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के पास अपने अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये उपक्रम इन सुविधाओं का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अपने कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिये करते हैं। कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के पास तो अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता वाले एक से ज्यादा प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें ज्यादातर संस्थानों की अपने कामकाज के क्षेत्र में कुछ खास मूल दक्षताएं हैं। लेकिन कुछ अन्य संस्थानों का मकसद अपने कार्मिकों में नेतृत्व क्षमता, टीम निर्माण, संचार कौशल, निर्णय करने की क्षमता और अन्य प्रबंधकीय विशेषज्ञताओं का विकास करना है। इन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। इनमें से हरेक संस्थान सिर्फ अंदरूनी संसाधनों और कुछ हद तक बाहरी व्यक्तियों के उपयोग से मुख्य तौर पर अपने कार्मिकों के लिये काम करता है।

Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. ★Delhi★

एकीकृत शासकीय ऑनलाइन प्रशिक्षण

विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सफल सहयोग से उनमें परस्पर तालमेल बनेगा। इससे संसाधनों का एक जीवंत साझा पूल विकसित होगा जिसे बाकियों के साथ भी बांटा जा सकेगा। ये संस्थान अपनी मूल दक्षताओं और प्रबंधकीय क्षेत्रों के लिहाज से एकदूसरे की प्रशिक्षण क्षमताओं के पूरक हों तो यह सहयोग बेहद लाभकारी

डॉ प्रवीण कुमारी सिंह केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव हैं। ईमेल: dr.pksingh@gov.in
त्रिशलजीत सेठी एनटीपीसी में मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। ईमेल: trishaljit@gmail.com

होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यह सहयोग समान क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच ही सीमित हो। संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ अनुकूलन के लिये इस सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों के प्रशिक्षण संस्थानों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये प्रशिक्षण के साझा क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है ताकि एक सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिक दूसरे के प्रशिक्षण संस्थान से लाभान्वित हो सकें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एकीकृत शासकीय ऑनलाइन प्रशिक्षण - इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) पोर्टल की शुरुआत करते हुए एनपीसीएससीबी को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य विभिन्न सेवाओं के बीच एकीकृत प्रशिक्षण अवसंरचना का विकास करना है। इसके मूल निर्देशक सिद्धांतों में अध्ययन सामग्रियों, संस्थानों और कार्मिकों समेत साझा प्रशिक्षण अवसंरचना का परिवेश तैयार करना है।[3]

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादेमी, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादेमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादेमी, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादेमी, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादेमी और नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़ जैसे सिविल सेवा के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को संसाधनों के तालमेल के लिये इस मिशन में शामिल किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों के प्रशिक्षण संस्थानों के बीच संसाधनों का साझा पूल बनाने के लिये भी इसी तरह का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

### उत्कृष्टता के केंद्र

ज्यादातर बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान अपने कार्मिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये आधुनिक अवसंरचना और मानव संसाधनों से लैस हैं। इनमें से हरेक के पास वरिष्ठ प्रबंधन के लिये विशेष फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं। हरेक संस्थान का मूल दक्षता या प्रशिक्षण का विशेष क्षेत्र है। इन संस्थानों की मूल दक्षता अपने सार्वजनिक उपक्रम के कार्य क्षेत्र से संबंधित होती है। मसलन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के प्रशिक्षण संस्थान की विशेषज्ञता ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी, भू-डेटा प्रसंस्करण, भंडार अध्ययन और तेल क्षेत्र उपकरण जैसे क्षेत्रों में है। कोल इंडिया लिमिटेड के रांची स्थित संस्थान में मुख्य तौर पर उसके ही अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

इनमें से कुछ संस्थान अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों और विदेशी नागरिकों के लिये भी उनकी जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। लेकिन संस्थानों के बीच सहयोग और संसाधनों की साझेदारी की कोई संस्थागत व्यवस्था अब तक नहीं है।

**संसाधनों की साझेदारी को संस्थागत रूप दिये जाने की जरूरत है। जब दो या इससे ज्यादा प्रशिक्षण संस्थान सहयोग कर रहे हों तो उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र का दर्जा दिया जा सकता है। संसाधनों की साझा अवसंरचना तैयार करने के लिये सबसे पहले विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सुविधाओं की मैपिंग की जानी चाहिये।**

संसाधनों की साझेदारी को संस्थागत रूप दिये जाने की जरूरत है। जब दो या इससे ज्यादा प्रशिक्षण संस्थान सहयोग कर रहे हों तो उन्हें उत्कृष्टता के केंद्र का दर्जा दिया जा सकता है। संसाधनों की साझा अवसंरचना तैयार करने के लिये सबसे पहले विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में मौजूद सुविधाओं की मैपिंग की जानी चाहिये। इसके बाद साझा अवसंरचना तैयार और मजबूत करने के तौरतरीके विकसित किये जाने की बारी आती है। किसी खास दक्षता को विकसित करने के लिये विभिन्न संस्थानों की पहचान की जानी चाहिये। यह काम इस ढंग से किया जाना चाहिये कि प्रक्रिया का दोहराव नहीं हो और चिह्नित संस्थान खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। इसके बाद संस्थानों के बीच विशेषज्ञों/शिक्षकों, अवसंरचना,

अनुसंधान और विकास, इत्यादि की साझेदारी हो सकती है। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों के लिये साझा कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप विचारों का आदान-प्रदान और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं की साझेदारी होगी।

विभिन्न क्षेत्रों को जिन पहलुओं में एक दूसरे से सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है उनकी पहचान की जानी चाहिये। इसके बाद एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। कई मामलों में कुछ सार्वजनिक उपक्रम अन्य उपक्रमों के लिये महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण या आपूर्ति करते हैं। मिसाल के तौर पर भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) बिजलीघरों के लिये टर्बाइन और कई सार्वजनिक उपक्रमों के वास्ते अनेक उपकरण बनाता है। अगर उपयोगकर्ता सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के लिये बीएचईएल के प्रशिक्षण संस्थान के अनुकूलन दौरों का आयोजन किया जाये तो उन्हें अपने इस्तेमाल के उपकरणों की निर्माण प्रक्रिया, आकार, क्षमता और अन्य विशेषताओं की जानकारी मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप वे अपने कामकाज का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

**एक जैसी मूल दक्षता वाले अनेक प्रशिक्षण संस्थान हो सकते हैं। उनके बीच सहयोग से विषय आधारित उत्कृष्टता केंद्रो के गठन में मदद मिलेगी। इसके लिये एक ही विशेषज्ञता क्षेत्र में समान मूल दक्षता वाले संस्थानों को अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के तौर तरीकों में साझेदारी के लिये एकीकरण करने की जरूरत होगी।**

छोटे सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होना संभव है। ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों के वैसे संस्थानों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है जो उनके लिये सबसे ज्यादा अनुकूल हो।

### भौगोलिक समूह

शुरुआत में वैसे भौगोलिक समूहों की पहचान की जा सकती है जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों के कई प्रशिक्षण संस्थान एक ही जगह स्थित हैं। इन्हें उत्कृष्टता के ऐसे केंद्र बनाया जा सकता है जिनमें संसाधनों, विशेषज्ञों, अनुसंधान और विकास तथा भौतिक अवसंरचना की साझेदारी के लिये संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सके। उत्कृष्टता के ये केंद्र माहिर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार कर सकते हैं जो विभिन्न स्थानों पर जाकर भी प्रशिक्षण देंगे।

इन केंद्रों में एकदूसरे के मूल दक्षता के क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। प्रबंधन, एहतियाती सतर्कता और नेतृत्व जैसे प्रशिक्षण के सामान्य क्षेत्रों पर मोड्यूल डिजाइन कर उन्हें आपसी सहयोग से चलाया जा सकता है। इससे प्रक्रिया का दोहराव रुकेगा, विभिन्न संस्थानों के एक समान मोड्यूल बनेंगे और प्रशिक्षण के तौर तरीकों का मानकीकरण होगा।

### विषय आधारित समूह

एक जैसी मूल दक्षता वाले अनेक प्रशिक्षण संस्थान हो सकते हैं। उनके बीच सहयोग से विषय आधारित उत्कृष्टता केंद्रो के गठन में मदद मिलेगी। इसके लिये एक ही विशेषज्ञता क्षेत्र में समान मूल दक्षता वाले संस्थानों को अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण के तौर तरीकों में साझेदारी के लिये एकीकरण करने की जरूरत होगी।

विषय आधारित समूह बैंकिंग क्षेत्र में भी मददगार हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों के विभिन्न स्थानों पर प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में अधिकारियों और प्रबंधन के लिये प्रशिक्षण के मोड्यूल हैं। साथ ही ये ब्याज प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त, ग्रामीण बैंकिंग और ऋण प्रबंध जैसे विशेष क्षेत्रों का प्रशिक्षण भी मुहैया कराते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की तरह ही बैंकों के प्रशिक्षण संस्थान भी एक दूसरे के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक मंच पर आ सकते हैं।

विभिन्न बैंकिंग संस्थानों की क्षेत्र के हिसाब से मूल दक्षताओं की मैपिंग की जानी चाहिये। यह पहचान की जानी चाहिये कि किसी खास बैंक की विशेषज्ञता किस विशेष क्षेत्र में है। इससे प्रक्रियाओं का दोहराव नहीं होगा तथा मानव शक्ति, अवसंरचना और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकेगा।

**सामाजिक-आर्थिक विकास और बदलाव के दूत तथा औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक अवसरों के सृजनकर्ता के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही गतिविधियों के जरिये गरीबी मिटाने तथा समाज के वंचित तबकों की स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।**

### आचार और नैतिक मूल्य

संस्थाओं के कामकाज के तौर तरीके तथा कानून का शासन, पारदर्शिता और कार्यकुशलता जैसे मूल्य समावेशी, समुचित और न्यायसंगत समाज के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान करते हैं। लिहाजा, प्रशिक्षण की प्रक्रिया में इस तथ्य के प्रति जागरूकता और समझ पैदा करने को महत्व दिया जाना चाहिये। सामाजिक-आर्थिक विकास और बदलाव के दूत तथा औपचारिक और अनौपचारिक आर्थिक अवसरों के सृजनकर्ता के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही गतिविधियों के जरिये गरीबी मिटाने तथा समाज के वंचित तबकों की स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।

प्रशिक्षण से राष्ट्र निर्माण के प्रति जवाबदेही का भाव विकसित करने में सहायता मिलेगी। उत्कृष्टता के केंद्र इन मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले विशेषज्ञ संस्थानों के साथ तालमेल कर सकते हैं। ये केंद्र समय-समय पर इन संस्थानों में प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं ताकि इनमें भाग लेने वाले कार्मिक देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना तथा शासन के सर्वोच्च लक्ष्य को समझ सकें। सभी हितधारकों को नैतिकता और संवेदना के आदर्शों के प्रति उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाये तभी सबके लिये प्रगति और विकास तथा निष्पक्ष और प्रभावशाली शासन के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशिक्षुओं के लिये कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही के कार्यस्थलों के दौरे आयोजित किये जा सकते हैं ताकि उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की समग्र दृष्टि मिल सके।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में संस्थाएं संसाधनों की साझेदारी तथा एक दूसरे की मजबूतियों और कार्यकुशलताओं को आपस में बांटे बिना अलग-थलग काम नहीं कर सकतीं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में काफी धन, मानव शक्ति, साजो सामान और अन्य अवसंरचना का उपयोग होता है। इसलिये समान क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों की एकीकृत प्रशिक्षण अवसंरचनाओं को बनाने और विकसित करने की जरूरत है। हाल में शुरू किये गये सरकार के आईजीओटी पोर्टल के मुख्य निर्देशक सिद्धांतों में अध्ययन सामग्रियों, संसाधनों और कार्मिकों समेत साझा प्रशिक्षण अवसंरचना का तंत्र तैयार करना शामिल है। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को भी क्षमता निर्माण, संसाधनों की साझेदारी और मूल दक्षताओं की पहचान कर उन्हें मजबूत बनाने के लिये सहयोग करने की जरूरत है। इससे संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल संभव होगा तथा प्रक्रिया के दोहराव को रोका जा सकेगा। साथ ही प्रशिक्षण के मानकीकरण और विशेषज्ञता सृजन के लाभ भी मिल सकेंगे। ■

### संदर्भ

1. सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट (2020-21), पृष्ठ संख्या 101
2. सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट (2020-21), पृष्ठ संख्या 130
3. मंत्रिमंडल का फैसला-मिशन कर्मयोगी, तारीख 2 सितंबर, 2020

# हर घर जल

युगल जोशी

'आत्मनिर्भर भारत' पहल की घोषणा के अंतर्गत दीर्घावधि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को रिबूट करने यानी फिर से तेज करने और उसे नया स्वरूप देने, आर्थिक प्रणाली में संगठनात्मक सुधार लाने, आर्थिक प्रगति से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों को अधिक सशक्त बनाने तथा व्यापार के कुशल संचालन में 'बाधा डालने वाले संगठनात्मक अवरोध' समाप्त करने का संकल्प तय किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तम्भों- अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा), टेक्नोलॉजी संचालित तंत्र, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी जीवंत जनसांख्यिकी और मांग का मूल उद्देश्य घरेलू (स्वदेशी) उद्योगों को मजबूत बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य शृंखला के बीच निकट समन्वय कायम करना है। गहराई से देखा जाए तो इससे संगठित क्षेत्र और एमएसएमई-उद्यमों के क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप के जरिये अर्थव्यवस्था और मजबूत बनेगी तथा समुदायों को सक्षम बनाकर, सामाजिक-आर्थिक सुधारों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके और ग्रामीण समुदाय को सक्रिय और दायित्वपूर्ण नेतृत्व के रूप में विकसित करके लोकतंत्र भी सुदृढ़ बनेगा। इससे भारत के लाखों गांवों में सही अर्थों में ग्राम स्वराज आ जाएगा।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

सरकार लोगों के और खासकर गांवों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें सुगम जीवनयापन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरन्तर प्रयास करती आ रही है। पूरी तेजी से और बड़े पैमाने पर तथा एकाग्रता से कार्य करके सबके लिए आवास, हर घर में बिजली, हर परिवार के लिए शौचालय, महिलाओं को रसोई में धुएं से छुटकारा, हर परिवार का वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए सहज सुलभ किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी जो गांवों के लोगों का जीवन-स्तर बेहतर बनाने और जन-स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जल जीवन मिशन सभी राज्यों के सहयोग से चलाया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक घर में नल से पानी पहुंच सके। 2024 तक देश के हर घर में नल से ही निर्धारित गुणवत्ता स्तर का (बीआईएसः 10,500) पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इस मिशन को कार्यरूप देने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत प्रबंध किए गए हैं और राज्यों के जल और साफ-सफाई/जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) तथा ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये ग्राम पंचायतों और/या उनकी उपसमितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति को ग्राम के भीतर की 'इन-विलेज' जल आपूर्ति व्यवस्था की योजना तैयार करने, उन्हें लागू करने, उनके प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के कार्यों में सहयोग देते हैं। पानी समितियों को इस कार्यक्रम का स्वामित्व अपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त है।

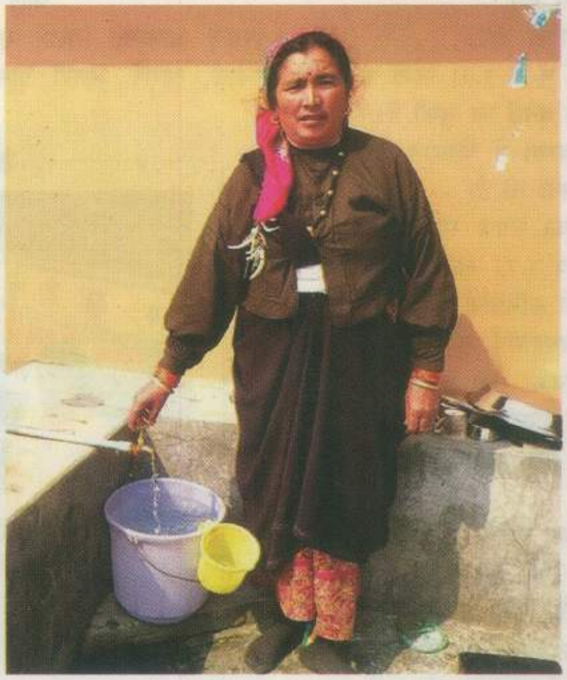

## सामूहिक स्वामित्व और कार्यवाही

जल जीवन मिशन संविधान के 73वें संशोधन पर आधारित है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को पानी और

लेखक जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय में डायरेक्टर हैं। ईमेल: yugal.joshi@gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जल जीवन मिशन के 2 वर्ष

हर घर जल
जल जीवन मिशन

# हर घर जल कठोर श्रम से मुक्ति

उससे संबद्ध अन्य विषयों का प्रशासनिक अधिकार सौंपा गया है।

जल जीवन मिशन विकेंद्रित, मांग-आधारित और समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला जल आपूर्ति कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत या उसकी उप समिति/राज्य और केंद्रशासित की सभी पानी समितियां 'इन-विलेज' यानी गांव के भीतर ही जल-आपूर्ति व्यवस्था की योजना बनाती हैं और उन्हें चलाने, उनका प्रबंधन संभालने, उनके सुचारू संचालन तथा नियमित रखरखाव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

ग्राम पंचायत या उसकी उपसमिति जल स्रोत सुदृढ़ीकरण, जल संरक्षण व्यवस्था मजबूत बनाने और गन्दे पानी को उपचारित करके उसे फिर इस्तेमाल योग्य बनाने की योजना बनाकर उसका ज़िम्मा संभालती है। इस उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों को संगठित किया जाता है ताकि लम्बे समय तक नियमित रूप से जल आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाए।

**तीव्रता से बड़े पैमाने पर और एकाग्रता से कार्य करके सबके लिए आवास, हर घर में बिजली, हर परिवार के लिए शौचालय, महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति, हर परिवार का वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और सबके लिए कम खर्चीली स्वास्थ्य सुविधाएं तथा और भी बहुत कुछ देने की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है।**

देश के 6.05 लाख राजस्व गांवों में से 3.03 लाख से ज्यादा गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनाई जा चुकी हैं। स्थानीय ग्रामीण समुदाय गावों में ही जल व्यवस्था में योगदान कर रहे हैं और उनमें स्वामित्व और गर्व की भावना भी है।

महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन पर करीब 1.75 लाख ग्राम सभाओं के 62 लाख से ज्यादा लोगों और पानी समितियों के सदस्यों से 2 अक्तूबर, 2021 को चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी पर सबके समान अधिकार, जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने के मुद्दों पर ज़ोर दिया और कहा कि इन उपायों को अपनाने से गांव अपनी पानी की आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में समर्थ होकर आत्मनिर्भर बन जाएंगे।

प्रधानमंत्री के ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'' दृष्टिकोण के सिद्धांत के अनुरूप इस मिशन का मोटो है ''कोई भी छूट न पाए'' और गांव के हर परिवार को नल से पानी का कनेक्शन मिलना चाहिए। जिन गांवों में अच्छी गुणवत्ता वाला भू-जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उनमें एकल गांव योजनाएं (सिंगल विलेज स्कीम्स) तैयार करके उन्हें लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध होने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता का नहीं होने वाले गांवों में घरों तक पानी की सप्लाई करने से पहले उसे उपचारित किया जाता है और ऐसी व्यवस्था अलग-थलग पड़ी जनजातीय बस्तियों/पर्वतीय या वन क्षेत्रों में की जाती हैं और इस उद्देश्य के लिए एकल सौर-आधारित और/या गुरुत्वाकर्षण के आधार पर चलने वाली जल आपूर्ति प्रणाली अपनाने को तरजीह दी जाती है। पानी की कमी वाले इलाकों में अन्य स्थानों से बड़ी मात्रा में पानी लाने, जल उपचार संयंत्र लगाने और वितरण प्रणाली बनाने की योजनाएं लागू की जा रही हैं।

इस मिशन के तहत खराब गुणवत्ता के पानी वाले इलाकों, विशेषकर आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों, जापानी एनसिफेलाइटस/एक्यूट एनफिसेलाइट सिंड्रोम वाले जिलों, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आकांक्षी जिलों, सूखे की आशंका वाले तथा रेगिस्तानी जिलों, सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों और अनुसूचित

उत्तराखण्ड

# जल जीवन मिशन

**हर घर जल**

**जल गुणवत्ता प्रबंधन**

**सूचना प्रणाली**

https://jjm.gov.in

जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में प्राथमिकता के आधार पर नलों से पानी की सप्लाई की जाती है। उदाहरण के लिए, 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा किए जाने के समय जापानी एनसिफेलाइटस-एक्यूट एनसिफेलाइटस सिंड्रोम प्रभावित जिलों के केवल 8 लाख (2.6 प्रतिशत) घरों में ही पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध था। गत 26 महीनों में, कोविड वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद 1.17 करोड़ (38.5 प्रतिशत) और परिवारों को पानी के जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले आकांक्षी जिलों में सिर्फ 24 लाख (7.2 प्रतिशत) परिवारों में पानी के कनेक्शन थे और अब तो 1.22 करोड़ से ज्यादा (36.9 प्रतिशत) घरों में नल से पानी पहुंच रहा है।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडबल्यूएससी) दीर्घावधि संसाधनों को टिकाऊ बनाने, गन्दे पानी को उपचारित करने और जल संरक्षण कार्यों की सुनिश्चित व्यवस्था को ध्यान में रखकर 5-वर्षीय ग्राम योजना बनाती है।

**जिन गांवों में पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध होने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता वाला पानी नहीं होता वहां घरों में सप्लाई करने से पहले उसे उपचारित किया जाता है और ऐसी व्यवस्था अलग-थलग पड़ी जनजातीय बस्तियों/पर्वतीय या वन क्षेत्रों में की जाती हैं और वहां एकल सौर-आधारित और/या गुरुत्वाकर्षण पर आधारित जल सप्लाई व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया जाता है।**

ये ग्राम कार्य योजनाएं भी 15वें वित्त आयोग की अवधि पूरी होने के साथ ही पूरी हो जाएंगी। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय ग्रामीण निकायों/पंचायती राज संस्थानों को दी कुल अनुदान राशि में से 60 प्रतिशत राशि केवल जल और साफ-सफाई से जुड़े कार्यों के लिए स्वीकृत की है। इस तरह 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये की सुनिश्चित राशि- (1) पेयजल संसाधन सुदृढ़ीकरण, (2) पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, (3) गन्दे पानी का उपचार और दोबारा इस्तेमाल, (4) गांव के भीतर (इन विलेज) जल आपूर्ति की आधारभूत संरचना, (5) गांव की खुले शौच से मुक्त स्थिति बनाये रखने के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध रहेगी। साथ ही यह प्रावधान भी है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, जिला खनिज विकास कोष, नियमित सामाजिक दायित्व कोष और सामुदायिक अंशदान जैसे संसाधनों से लागू की जाने वाली ग्रामीण कार्य योजनाएं 3 लाख गांवों के लिए तैयार की जा चुकी हैं।

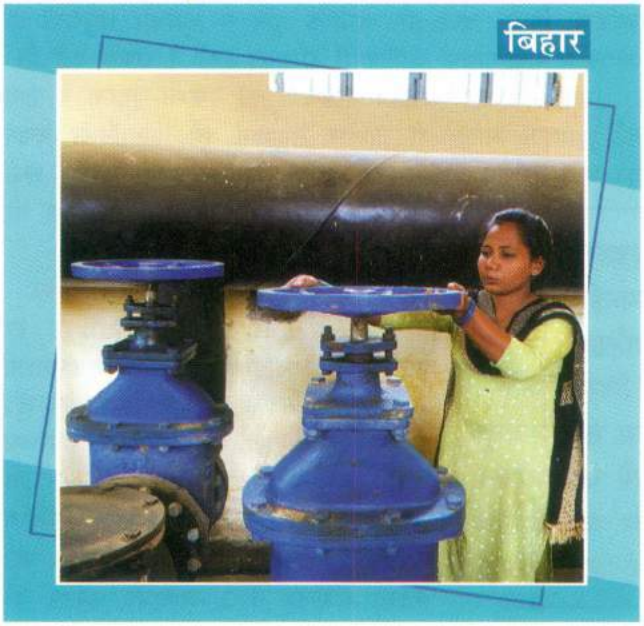


जल जीवन मिशन के लिए कुल 3.60 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से 2.08 लाख करोड़ रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जल संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध है।

जल जीवन मिशन हर गांव को पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता की दृष्टि से यानी वॉटर, सेनिटेशन एंड हाईजीन-वॉश कार्यक्रम के अनुरूप जागरूक बनाने की दिशा में प्रयासरत है। हर गांव में वहां की पानी-उपयोगिता की देखरेख और प्रबंधन के वास्ते 25-30 लोगों का कैडर (समूह) बनाया जा रहा है। ऐसे प्रत्येक समूह में ग्राम जल स्वच्छता समिति के 10-15 सदस्यों के अलावा कम से कम पांच कुशल कारीगर रहेंगे जिनमें एक राज-मिस्त्री, एक प्लम्बर, एक फिटर, एक इलेक्ट्रिशियन और एक पम्प ऑपरेटर शामिल करना जरूरी होगा। मिशन ने इन कुशल कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण और क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इस

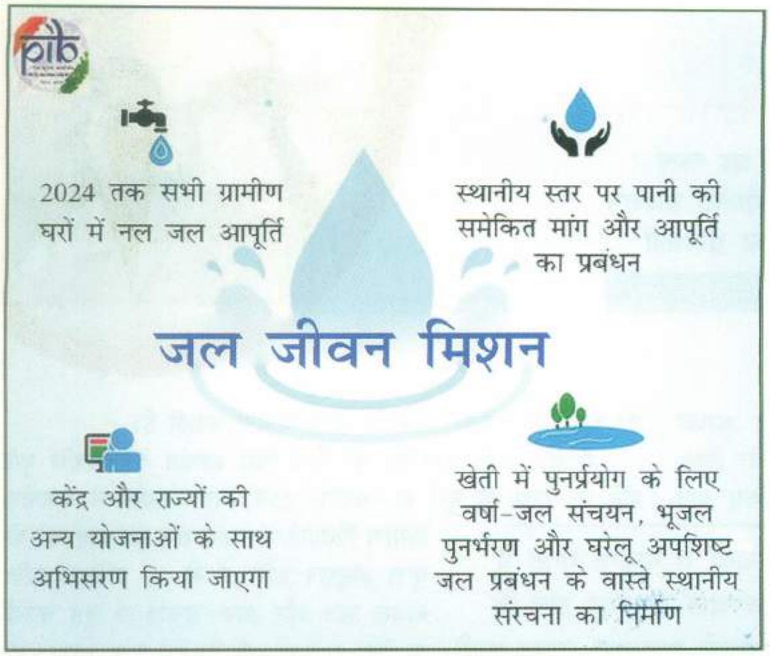


तरह जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पानी की सुविधाओं के प्रबंधन के लिए कुशल कारीगरों का विशाल पूल तैयार हो जाएगा।

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इतना भारी निवेश होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है और गांवों में रोज़गार के लाखों अवसर पैदा होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त बढ़ावा मिल रहा है।

मिशन के दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रामसभाओं के लिए अपने 2 अक्तूबर, 2021 के राष्ट्रव्यापी संबोधन और पानी समितियों के सदस्यों के साथ हुए विचार-विनिमय में ग्रामीण समुदायों से आग्रह किया कि वे जल प्रबंधन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें ताकि किसी भी गांव को पीने का पानी टैंकरों और रेलगाड़ियों से मंगाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा, वास्तविक ग्राम स्वराज तो ग्राम विकास में ग्रामीण लोगों की भागीदारी से ही आएगा।

### महिला सशक्तीकरण

जल जीवन मिशन के एक विशेष लाभ के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "एक अन्य बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं को पानी लाने के लिए काफी दूर चलकर जाने की भारी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और वे अपनी ऊर्जा का और किसी कार्य में बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगी।" इस दृष्टिकोण के आधार पर ही यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। इस प्रकार गांवों में जल प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य महिलाएं संभालने लगेंगी जो जल प्रबंधक की उनकी परम्परागत भूमिका के सर्वथा अनुकूल होगा।

15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा किए जाने के समय सिर्फ 3.23 करोड़ (17.7 प्रतिशत) घरों में ही पानी के लिए नल का कनेक्शन था। उसके बाद से 5.22 करोड़ कनेक्शन और दिए जा चुके हैं और महिलाओं को दूर-दूर जाकर पानी भरकर लाने के झंझट से छुटकारा मिल गया जिससे उनका जीवन एक हद तक आसान हो गया है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में किसी भी महिला को पानी लाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण समुदायों से अनुरोध किया कि वे अपने गांव में आवश्यकता और मांग से अधिक पानी का बन्दोबस्त करने का हर संभव उपाय करें।

**ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पानी और साफ-सफाई के बारे में 5-वर्षीय ग्राम कार्यवाही योजना तैयार करती है जिससे जल संसाधन लम्बे समय तक मजबूत बने रहें, गन्दे पानी का प्रबंधन किया जा सके और जल संरक्षण के कार्य चलाए जा सकें।**

ग्रामीण महिलाओं का जीवन आसान हो जाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सकेगा और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में जल प्रबंधक का उनका अनुभव उपयोगी सिद्ध होगा तथा उन्हें अपने गांवों में पानी की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनाए रखने का दायित्व भी सौंपा जा सकेगा। अभी तक 7.3[illegible] लाख से अधिक महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट्स की मदद से पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में 5 प्रशिक्षित महिलाओं का समूह घरों तक पहुंचने वाले नल के जल की गुणवत्ता परखने और उस पर लगातार निगाह रखने का दायित्व संभालेगा।

"इन विलेज" (गांव के भीतर) जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इन समितियों की महिला सदस्यों की प्रशंसा की और एफटी किट्स की मदद से पानी की गुणवत्ता परखने में उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने गांवों के कल्याण और समृद्धि में इन समितियों की महिला सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि ये महिला-सदस्य अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर समुदायों के जीवन में सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल रही हैं।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की महिला सदस्यों ने पानी की गुणवत्ता आंकने में ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा दायित्व निभाया और सुनिश्चित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जनित बीमारियों और संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके।

### बच्चों को स्वास्थ्य और बाल कल्याण

प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2020 में हर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और आश्रमशाला (जनजातीय बच्चों के रिहायशी स्कूल) में पानी के नल के कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देने के उद्देश्य से 100 दिन का जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्तूबर, 2020 को

यह सुनिश्चित करने का अभियान शुरू किया कि स्कूलों, आंगनवाड़ियों और आश्रमशालाओं सहित सभी शिक्षण केंद्रों में पीने के साफ पानी के लिए नल-कनेक्शन उपलब्ध हो जाएं। हर राज्य प्रयास कर रहा है कि पीने का पानी, दोपहर का भोजन पकाने के लिए, हाथ धोने के लिए और शौचालय में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की पक्की व्यवस्था हो जाए। इस समय 8.15 लाख (79.2 प्रतिशत) स्कूल और 8.15 लाख (73 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से पानी की सप्लाई हो रही है।

कोविड-19 महामारी के दौरान हर किसी को बार-बार साबुन से हाथ धोने और साफ-सफाई रखने की जरूरत थी। इन शिक्षण केंद्रों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निवेश है।

1.08 लाख स्कूलों में गंदे पानी को इस्तेमाल लायक बनाने और 93 हजार से ज्यादा स्कूलों में वर्षा के पानी के संचय की व्यवस्था की जा चुकी है। इससे विद्यार्थियों को 'वॉश' के महत्व के प्रति जागरूक बनाने में बहुत मदद मिलेगी।

**मिशन के तहत हर गांव में घरों तक पहुंच रहे पानी की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए 5 प्रशिक्षित महिलाओं का समूह बनाया जाएगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की महिला सदस्यों ने पानी की गुणवत्ता आंकने और उसे पीने योग्य होने की पक्की व्यवस्था करने के वास्ते सबको आत्मनिर्भर बना दिया है जिससे जल-जनित रोगों पर नियंत्रण रखने में मदद मिल रही है।**

### पारदर्शिता और जवाबदेही

किसी भी कार्यक्रम की सफलता का मूल आधार पारदर्शिता और जवाबदेही होते हैं। घरों तक नल से पानी पहुंचाने के कम की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकती है जिससे जाना जा सकता है कि घरों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल-कनेक्शन उपलब्ध कराने की मौजूदा स्थिति क्या है। कोई भी व्यक्ति https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस डैशबोर्ड पर जल जीवन मिशन लागू करने के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रगति की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर पर इस मिशन की प्रगति भी जानी जा सकती है जिसमें पानी कनेक्शन पाने वाले परिवारों के मुखिया का नाम, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी की ताजा स्थिति का भी पता चल जाता है जिसमें शौचालयों में पाइपलाइन से पहुंच रहे पानी और हाथ धोने की सुविधा के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा भी जानी जा सकती है; इनके अलावा, वर्षा जल संचयन और गन्दे पानी को इस्तेमाल लायक बनाने की जानकारी भी इस साइट पर उपलब्ध रहती

# जल जीवन मिशन

## हर घर जल

**2024 तक हर घर में नल से पानी की निश्चित सप्लाई**

है। डैशबोर्ड पर पानी की गुणवत्ता जांच सहित जल आपूर्ति के अन्य विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के वास्ते संस्थागत प्रबंधों की जानकारी भी उपलब्ध रहती है।

जल जीवन मिशन डैशबोर्ड विभिन्न गांवों में चल रही सेंसर-आधारित आईओटी प्रायोगिक परियोजनाओं को भी दर्शाता है जिससे मात्रा, गुणवत्ता और नियमित सप्लाई की दृष्टि से पानी की दैनिक सप्लाई की जानकारी मिलती है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं में पानी की गुणवत्ता जानी जा सकती है जिसमें क्लोरीन की मात्रा, पाइपों में पानी के दबाव और प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता जानी जा सकती है।

> **जल जीवन मिशन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण ( विज़न ) तथा नीतिगत उपायों और क्षेत्रीय सुधारों और सामुदायिक सशक्तीकरण के नज़रिये से देखें तो हम पाएंगे कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हर प्रकार से आदर्श मॉडल है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुदाय की क्षमता विकसित करना है।**

मात्रा, गुणवत्ता और नियमित सप्लाई की दृष्टि से निगरानी रखने और जन शिकायतें जानकर उन्हें दूर करने का तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से ग्राम-स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। देश में पानी की गुणवत्ता की जांच करने वाली 2000 से ज्यादा प्रयोगशालाएं हैं जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी मामूली लागत देकर कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए आए नमूनों की संख्या, ऐसे गांवों की संख्या जहां पानी के नमूनों की जांच की गई, प्रयोगशालाओं का विवरण, प्रदूषित पाए गए नमूनों की संख्या आदि की भी विस्तृत जानकारी दर्शायी जाती है।

आरएलबी/पीआरआई को धनराशि तेजी से ट्रांसफर करने की पक्की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे जल जीवन मिशन लागू करने के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए ''एस्क्रो'' खाता खोल लें। 2019-20 के बाद से प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जल जीवन मिशन की वित्तीय प्रगति भी सार्वजनिक की गई है जिसमें प्रारंभिक शेष, आबंटन, निश्चित कोष, निकाला गया फंड, उपलब्ध कोष और व्यय का पूरा लेखा-जोखा है।

जल जीवन मिशन के उद्देश्यों और दृष्टिकोण तथा नीतिगत उपायों और क्षेत्रीय सुधारों और सामुदायिक सशक्तीकरण के नज़रिये से देखें तो हम पाएंगे कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हर प्रकार से आदर्श मॉडल है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुदाय की क्षमता विकसित करना है। प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए ''जितना जल जीवन को प्रभावित करता है उतना कोई अन्य पदार्थ प्रभावित नहीं करता।'' इससे गांव में सही अर्थों में शांति और समृद्धि आती है। पानी तक आसानी से पहुंच न होने के कारण लाखों महिलाएं और लड़कियां शिक्षा के अवसर से वंचित रह गईं और पानी की कमी तथा इसके पहुंच से बाहर होने के कारण लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने को मजबूर होना पड़ा है। आत्मनिर्भर भारत का वास्तविक और मूल उद्देश्य ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था करना है कि हर घर में नल से ही पीने का पानी पूरी और पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा सके। ■

# ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

डॉ अमिय कुमार महापात्रा
तमन्ना महापात्रा

**भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक और खपत वाला देश है। भारत में बेहतर जीवन स्तर और उपभोग में वृद्धि के कारण ऊर्जा खपत की पद्धति बदल गई है। अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के कारण वर्ष 2000 से समग्र ऊर्जा उपयोग दोगुना हो गया है। ऊर्जा को किसी राष्ट्र की सभी आर्थिक गतिविधियों की कुंजी माना जाता है और यह तेज आर्थिक विकास की नींव रखता है। इस संदर्भ में, भारत ने अपने नागरिकों को ऊर्जा सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।**

उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशकों में 90 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंच चुकी है, जिसमें 2018 में 10 करोड़ का रिकॉर्ड शामिल है। इसके अलावा यह पाया गया है कि भले ही ऊर्जा की मांग दोगुनी हो गई हो लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है। इसलिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुरक्षित और टिकाऊ व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

**ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता :** आत्मनिर्भरता, आर्थिक गतिविधियों में आत्मनिर्भरता और अन्य अर्थव्यवस्था पर कम से कम निर्भर होने को प्रकट करती है। यह दिए गए आर्थिक संसाधनों में से अपने नागरिकों के लिए सर्वोत्तम प्राप्त करने/प्रदान करने में आर्थिक प्रणालियों को दक्ष और प्रभावकारी बनाती है।

**आत्मनिर्भर भारत:** आत्मनिर्भरता से देश की वैश्विक स्थिति भी उन्नत होती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को चिह्नित करती है। आत्मनिर्भर भारत सही मायने में केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे, प्रणालियों के निर्माण और उत्पादन तथा खपत के मामले में दक्षता हासिल करने और लोगों की पसंद तथा क्षमताओं में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम' के रूप में स्वयं (भारत) और दूसरों (दुनिया) के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान करने पर केंद्रित है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। **'आज़ादी का अमृत महोत्सव'**, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के साथ, श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत स्पष्ट कर दिया है कि भारत को हरित और स्वच्छता की दृष्टि से अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। सरकार ने हाल में

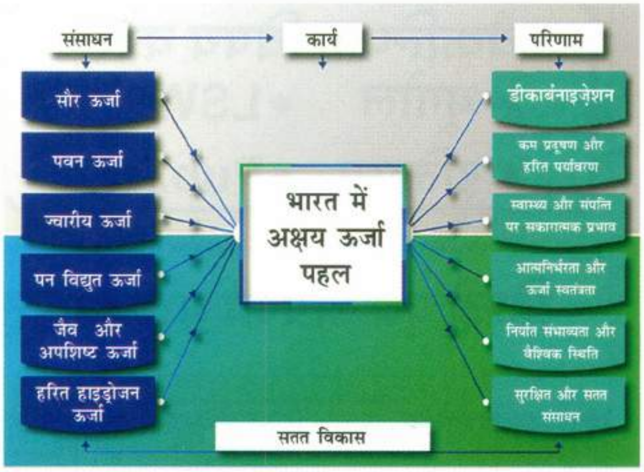


डॉ अमिय कुमार महापात्रा फोसटिमा बिजनेस स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली में उप निदेशक हैं। ईमेल: amiyacademics@gmail.com.
तमन्ना महापात्रा आईटीईआर, शिक्षा'ओ'अनुसंधान मानित विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा में स्कॉलर हैं। ईमेल: iamtamma125@gmail.com.

शुरू किए गए **'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन'** सहित विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं को विशेष रूप से पांच सिद्धांतों (अंग्रेजी के 5-आई) इन्टेंट यानी इरादा, इन्क्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और इनोवशन यानी नवाचार के आधार पर वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है।

### अक्षय ऊर्जा पहल

कच्चे तेल के भंडार में कमी, पेट्रोलियम/जीवाश्म ईंधन की कीमतों में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज के समय में अक्षय ऊर्जा अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। यह जीवाश्म ईंधन का एक बेहतर और अधिक व्यवहार्य विकल्प है, जो स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए समय की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में, बिजली और परिवहन ईंधन के रूप में ऊर्जा की मांग और खपत में वृद्धि हुई है। इसलिए प्रदूषण तथा जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए, अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बहुत आवश्यक है। अक्षय ऊर्जा पहल धरती के बढ़ते तापमान और आजीविका के खतरे से निपटने में मदद करेगी जो बदले में हरित और स्वच्छ अर्थव्यवस्था की दिशा में मार्ग निर्धारित करेगी।

### सौर ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि

विश्व स्तर पर, भारत अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है और वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के शामिल प्रमुख स्रोत - सौर, पवन, पनबिजली, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन, कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए विभिन्न पहल की हैं। बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। 'रूफटॉप सोलर एनर्जी' बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई ऐसी योजनाओं में से एक है। भारत ने सतत विकास प्राप्त करने के लिए 'प्रधानमंत्री-कुसुम' और 'अजय' की शुरुआत की है। भारत ने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, यह 2012-13 में 165 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2019-20 में 5,010 करोड़ यूनिट हो गया है।

भारत को तटीय क्षेत्रों का विशेषाधिकार प्राप्त है जो बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। एमएनआरई रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी नवीकरणीय संसाधनों में पवन ऊर्जा का योगदान 40.8 प्रतिशत है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रयासों के कारण, पवन ऊर्जा उत्पादन 2009 के 10.9 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 30.37 गीगावाट हो गया है।

इसी तरह, जैव-ऊर्जा की बड़ी उपलब्धता और इसके बहुउद्देश्यीय उपयोगों को देखते हुए यह भी अक्षय ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। सरकार बायोगैस उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देती है, जिसमें 'नव राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम' (एनएनबीओएमपी) और 'बायोगैस बिजली उत्पादन और थर्मल एनर्जी एप्लीकेशन कार्यक्रम' (बीपीजीटीपी) शामिल हैं और ये योजनाएं पूरे भारत में लगभग 10170 मेगावाट बिजली का योगदान करती हैं। इसके अलावा, 2023 तक समूचे भारत में 5,000 कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हाइड्रो ऊर्जा आर्थिक रूप से दोहन योग्य है और इसमें दोहन की उच्च क्षमता है, क्योंकि यह न केवल ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सूखा रक्षक, मनोरंजन और पर्यटन के अतिरिक्त लाभ प्रदान करके पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करती है। अन्य नवीकरणीय स्रोतों की तुलना में इसकी उच्च दक्षता (90 प्रतिशत से अधिक) है।

### सरकार छतों पर सौर प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है

- छत पर 3 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्रों के लिए बैंचमार्क कीमत की 40 प्रतिशत तक सब्सिडी
- छत पर 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक क्षमता के सौर संयंत्रों के लिए 20 प्रतिशत तक सब्सिडी
- परियोजना मंजूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निगरानी प्रगति में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस पी आई एन विकसित किया गया

**भारत को तटीय क्षेत्रों का विशेषाधिकार प्राप्त है जो बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। हाल के वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। एमएनआरई रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी नवीकरणीय संसाधनों में पवन ऊर्जा का योगदान 40.8 प्रतिशत है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रयासों के कारण, पवन ऊर्जा उत्पादन 2009 के 10.9 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 30.37 गीगावाट हो गया है।**

### राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय संसाधनों से कार्बन मुक्त ईंधन का उत्पादन करने और भारत को उत्पादन के साथ-साथ हरित हाइड्रोजन के निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 15 अगस्त, 2021 को औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह अक्षय स्रोतों से अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, श्री मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते दिशानिर्देशक निर्धारित किये हैं जिसके लिए सीएनजी और

### तालिका 1: सतत विकास लक्ष्य (स.वि.ल.) – एसडीजी और अक्षय ऊर्जा लिंकेज मैट्रिक्स

| स.वि.ल. | स.वि.ल. के फोकस वाले क्षेत्र | स.वि.ल. का विवरण | लिंकेज की डिग्री: स.वि.ल. और अक्षय ऊर्जा |
|---|---|---|---|
| स.वि.ल.. 1 | निर्धनता | हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना | 0 |
| स.वि.ल. 2 | शून्य भुखमरी | भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना | 2 |
| स.वि.ल. 3 | अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता | स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए आरोग्यता को बढ़ावा | 1 |
| स.वि.ल. 4 | सर्वोत्तम शिक्षा | समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना | 0 |
| स.वि.ल. 5 | महिला-पुरुष समानता | महिला-पुरुष समानता हासिल करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना | 0 |
| स.वि.ल.6 | स्वच्छ पानी और स्वच्छता | सभी के लिए पानी तथा स्वच्छता की उपलब्धता और इसके टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित करना | 1 |
| स.वि.ल. 7 | सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा | सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना | 3 |
| स.वि.ल. 8 | उम्दा काम और आर्थिक विकास | सभी के लिए सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण तथा उत्पादक रोज़गार और अच्छे काम को बढ़ावा देना | 1 |
| स.वि.ल. 9 | उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा | लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी तथा टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना | 2 |
| स.वि.ल.10 | असमानता कम करना | देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना | 0 |
| स.वि.ल. 11 | सतत शहर और समुदाय | शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संधारणीय बनाना | 2 |
| स.वि.ल. 12 | जिम्मेदार खपत और उत्पादन | संधारणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना | 3 |
| स.वि.ल. 13 | जलवायु क्रिया | जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना | 3 |
| स.वि.ल. 14 | पानी के नीचे जीवन | सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग | 3 |
| स.वि.ल. 15 | जमीन पर जीवन | स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और जैव विविधता के नुकसान को रोकना | 3 |
| स.वि.ल. 16 | शांति, न्याय और मजबूत संस्थान | सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह तथा समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। | 0 |
| स.वि.ल. 17 | लक्ष्यों के लिए साझेदारी | कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना | 1 |

*(एसोसिएशन की डिग्री: 3 = उच्चतम, 2 = मध्यम, 1 = निम्नतम, और 0 = सीधे जुड़े नहीं)*

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

पाइप्ड प्राकृतिक गैस का एक पैन नेटवर्क रखा गया है जो 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा क्षेत्र में भारी बदलाव लाएगा और गैस आधारित स्वच्छ अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

हाइड्रोजन का उत्पादन प्रोटॉन एक्सचेंज मेंम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को विपाटन करके किया जाता है और भाप मीथेन सुधार द्वारा भी किया जाता है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है। इसलिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए, सरकार ने अक्षय बिजली और इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का निर्णय लिया है, जिसे 2050 तक हासिल करने की उम्मीद है। यह आयात निर्भरता के बोझ को कम करने में मदद करेगा और गैस आधारित सतत विकास के लिए मिशन को मजबूत करेगा। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में सहायता के लिए गन्ने और अन्य जैव तत्वों से इथेनॉल निकालने का प्रस्ताव किया है।

सरकार लोगों और उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने में ऊर्जा के स्थायी स्रोतों पर सीधे ध्यान केंद्रित कर रही है। मिशन के उद्देश्यों के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि 2050 तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 25 प्रतिशत भारत द्वारा पूरा किया जाएगा और इससे भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर का बाजार बनने में मदद मिलेगी। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगा और सरकार, कंपनियों तथा अन्य उत्पादन इकाइयों को कार्बनमुक्त अर्थव्यवस्था के निर्धारित लक्ष्यों से समझौता किए बिना अपनी दीर्घकालिक विकास

क्षमता को पूरा करने में मदद करेगा।

हाइड्रोजन का उत्पादन और उसका भंडारण बहुत हद तक प्रौद्योगिकी और नवाचार पर निर्भर करता है, जहां सरकार और उद्योग के बीच समन्वय आवश्यक है। इससे लागत को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, जिससे ऊर्जा पर निर्भर क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन का उत्पादन, न केवल लागत अनुकूल है बल्कि मानव जीवन और आजीविका पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ कार्बन मुक्त भी है।

### सतत विकास लक्ष्य और अक्षय ऊर्जा

सतत विकास लक्ष्यों को तभी बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है जब सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को संतुलित और टिकाऊ तरीके से संबोधित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (2030) के एजेंडे में 169 लक्ष्यों के साथ 17 सकल विकास लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जो समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में मील के पत्थर हैं और मुख्य रूप से लोगों के कल्याण तथा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हरित ऊर्जा पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता एक हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की नींव है। हरित ऊर्जा पहल, ऊर्जा आयात को कम करने और स्थायी घरेलू उत्पादन के प्रवर्धन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को सुनिश्चित करने के लिए किए गए ठोस प्रयास हैं। ये पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सभी व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिए इसकी उपलब्धता पर केंद्रित है। यह भारत को ऊर्जा सुरक्षित बनाने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए है।

सतत विकास लक्ष्य और अक्षय ऊर्जा (तालिका 1) के बीच संबंध की प्रकृति और डिग्री का पता लगाने के लिए, हमने मैट्रिक्स मैपिंग के लिए 0-3 बिंदु पैमाने का उपयोग किया है। संबंध की डिग्री का मानचित्रण, सतत विकास लक्ष्य विवरण और नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कारकों के आधार पर किया जाता है। यह पाया गया है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 5 सतत विकास लक्ष्य तीन के पैमाने में अत्यधिक जुड़े हुए हैं, और 3 सतत विकास लक्ष्य मध्यम रूप से 2 के पैमाने में जुड़े हुए हैं। इसी तरह, 4 सतत विकास लक्ष्य सबसे कम नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं लेकिन शेष 5 सतत विकास लक्ष्य सीधे जुड़े नहीं हैं। इसलिए, यह पाया गया है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है और इसलिए नीति निर्माण और बजटीय आवंटन में ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

### भारत में अक्षय ऊर्जा का अवलोकन

भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना की है और 2022 तक 227 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा से 114 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 67 गीगावाट और जैव तथा पन ऊर्जा सहित अन्य शामिल हैं। इसके अलावा, 2023 तक समूचे भारत में 5,000 कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। नवीकरणीय क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में 80 बिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। इसके अलावा, यह भी अनुमान है कि कुल बिजली का 49 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 2040 तक प्राप्त किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन की कमी और परिणामी कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए, अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा है जो भारत के ऊर्जा संकट को कम करेगी और अपने नागरिकों के लिए सतत और सस्ती ऊर्जा प्रदान करेगी । सरकार ने 2022 तक अक्षय बिजली क्षमता को 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

इसके अलावा इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार सुरक्षित और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नवीकरणीय क्षमता का बढ़ता महत्व भारत की बिजली व्यवस्था को कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा और इस तरह हरित तथा स्वच्छ गैस-आधारित अर्थव्यवस्था का रास्ता खोलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी जो कार्बन आधारित उद्योगों की जगह डीकार्बोनाइजेशन में मदद करेगी । इससे कम प्रदूषण वाले बेहतर इकोसिस्टम में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के उत्पादन में मदद मिलेगी जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षित और ऊर्जा स्वतंत्र बनाएगी। इससे निर्यात में सहायता मिलेगी जिससे देश की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी।

अक्षय ऊर्जा पहलों को कुछ अंतर्निहित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं। प्रमुख चुनौतियां हैं: उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य, डिस्कॉम यानी बिजली वितरण

**हाइड्रोजन का उत्पादन और उसका भंडारण बहुत हद तक प्रौद्योगिकी और नवाचार पर निर्भर करता है, जहां सरकार और उद्योग के बीच समन्वय आवश्यक है। इससे लागत को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, जिससे ऊर्जा पर निर्भर क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने में मदद मिलेगी। नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन का उत्पादन, न केवल लागत अनुकूल है बल्कि मानव जीवन और आजीविका पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ कार्बन मुक्त भी है।**

**हरित हाइड्रोजन**

**हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, जो नवीकरण स्रोत (सोलर पीवी या पवन टर्बाइन) से उत्पन्न विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी (एच ओ) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के घटक तत्वों में तोड़ देता है।**

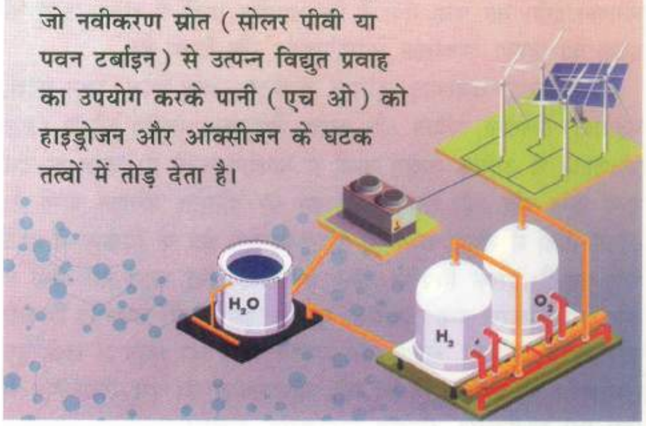


Elite Academy For Educational Training Pvt. Ltd. Delhi

कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिरता, एकीकरण के मुद्दे, नियामक और बाजार ढांचे में खामियां या बाधाएं, अनिश्चित लागत-लाभ परिणाम, बिजली प्रणाली लचीलेपन में समस्या आदि।

राज्यवार पहल और उपलब्धियां अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यह पाया गया है कि भारतीय राज्यों में अक्षय ऊर्जा के प्रवेश का हिस्सा अत्यधिक परिवर्तनशील और विषम है।

तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और केरल जैसे राज्य राष्ट्रीय औसत (8.2 प्रतिशात) से अधिक अक्षय ऊर्जा में योगदान करते हैं। भारत के दस राज्य कुल सौर और पवन ऊर्जा का 97 प्रतिशत योगदान करते हैं। अक्षय ऊर्जा से समृद्ध राज्य भी अपने बिजली क्षेत्र के विकास में आगे पाए गए हैं। इसके विपरीत, अन्य राज्यों में हरित पहल की कमी है और वे एकीकरण तथा तकनीकी मुद्दों से जूझ रहे हैं। संभावित बिजली प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए लचीलेपन के इष्टतम मिश्रण की आवश्यकता है। इस लचीलेपन में मांग-पक्ष लचीलापन, बिजली लचीलापन, भंडारण लचीलापन शामिल है, और बाजार तथा नियामक समाधानों के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों की आवश्यकता है।

### आगे का रास्ता

हरित ऊर्जा में आय, रोज़गार और उद्यमिता में योगदान देने और निस्संदेह सतत विकास को बढ़ावा देने की जबरदस्त क्षमता है। रोज़गार और आय सृजन के अलावा, यह नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए निवेश और बाजारों के लिए अवसर / रास्ते खोलता है। घरों और कंपनियों की बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के विकल्प के रूप में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन आवश्यक है। भारत को लोगों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी बिजली व्यवस्था में सौर तथा पवन ऊर्जा, और विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का दोहन करना चाहिए। यह मुख्य रूप से मांग लचीलेपन, और भंडारण तथा ग्रिड लचीलेपन के साथ-साथ बाजार और नियामक सहायता को संबोधित करके संभव होगा। भले ही योजनाएं/पहल उत्साहजनक हैं और आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका निभाएंगे, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया में समावेशन को पूरा करने के लिए अधिक निवेश, बुनियादी ढांचा विकास, निजी-सार्वजनिक भागीदारी, हरित वित्तपोषण और नीतिगत ढांचे को क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के आकार, जनसांख्यिकी, हरित पहल और इसकी वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विश्व को स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ■

**तालिका 2: 2020-21 में चुनिंदा भारतीय राज्यों में सौर और पवन ऊर्जा का योगदान**

| क्र. | राज्य | अंशदान (: प्रतिशत हिस्सा) |
|---|---|---|
| 1 | कर्नाटक | 29 प्रतिशत |
| 2 | राजस्थान | 20 प्रतिशत |
| 3 | तमिलनाडु | 18 प्रतिशत |
| 4 | आंध्र प्रदेश | 16 प्रतिशत |
| 5 | गुजरात | 14 प्रतिशत |

*स्रोत: नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट*

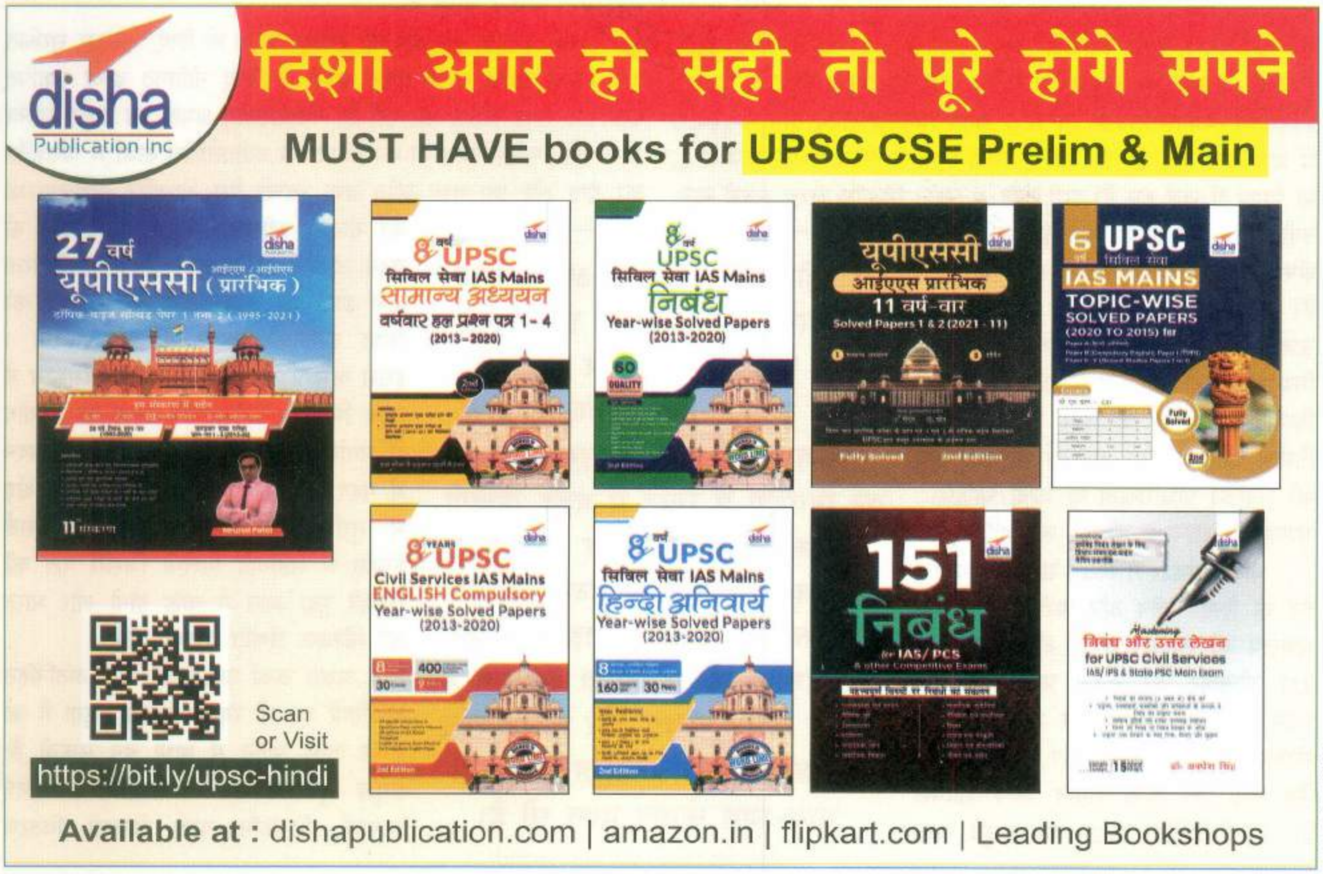

# वोकल फॉर लोकल तथा लोकल से ग्लोबल

डॉ रहीस सिंह

''ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी-बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। भारत में बने कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, भारत के इलेक्ट्रिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर एक क्षेत्र में, हमें इस गौरव को बढ़ाना है। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है-अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, जब प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक राष्ट्रीय भावना बन जाता है।'' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ये शब्द प्रत्येक भारतवासी की अंतःचेतना को स्पर्श करने वाले और उसमें स्पंदन पैदा करने वाले हैं ताकि प्रत्येक भारतीय उनके इस अभियान के साथ जुड़कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना यथोचित योगदान दे सके। इस संवदेनशील संदेश में वही प्रेरणा व ऊर्जा दिख रही है जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के चरखा और स्वदेशी अभियान में दिखायी दी थी। उस समय प्रत्येक भारतीय एक आत्मबल और ऊर्जा के साथ भारत को स्वतंत्र कराने के संकल्प के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था, आज भी ज्यादा से ज्यादा भारतीय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान को नवजागरण अभियान की तरह जुड़ते दिखायी दे रहे हैं। जिस गति से प्रधानमंत्री का 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र आगे बढ़ेगा आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उतनी ही भव्य होती जाएगी।

'वोकल फॉर लोकल' मंत्र पर बहुत से पाश्चात्यवादी और बाजारवादी यद्यपि आरम्भ में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे लेकिन अब वे भी स्वीकार की मुद्रा में दिख रहे हैं। आज भी जो इस बात से सहमत नहीं हैं, उन्हें कम से कम कोविड कालखण्ड में वैश्विक परिदृश्य और तमाम राष्ट्रों के मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि कोविड-19 के उच्चतम स्तर के दौर में प्रत्येक देश अपने और अपने नागरिकों के लिए संघर्ष करता दिखायी दे रहा था। महामारी के समय उपजी चुनौतियों ने स्पष्ट बता दिया था कि 'जो आपका है, वही सिर्फ आपका है।' भारत कोविड-19 आपदा से सबसे बेहतर ढंग से निपटने में सफल रहा, साथ ही यह अनुभव किया गया कि जो हमारा है, सिर्फ वही हमारा है। इसी ने 'राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम' के विचार को अंतःस्थल में गहरी पैठ बनाने का अवसर प्रदान किया और स्थानीय उत्पादों और उनसे सम्बंधित भारतीय बाजार को नई ऊर्जा तथा दिशा प्रदान की। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने और उसके साथ ही 'स्वदेशी संग उत्सव' द्वारा लोकजीवन में एक नये आयाम को विकसित करने में सफलता प्राप्त की। यह इसी अभियान का परिणाम है कि आज स्थानीय उत्पादों की खरीद के प्रति उत्साह राष्ट्रीय उत्सव का रूप लेता हुआ दिख रहा है, नवम्बर 2021 की दीपावली में इसे स्पष्ट रूप से देखा गया।

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। ईमेल: raheessingh@gmail.com

## आत्मनिर्भर मैन्यूफैक्चरिंग

पीएलआई योजनाएं: **मेक इन इंडिया**

**इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ईवी बैटरी** सहित 13 चिन्हित क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत

भारत में न्यूनतम उत्पादन **5 वर्षों में 500 बिलियन** अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है

## आत्मनिर्भर भारत अभियान न्यू इंडिया का विज़न

नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने वाला एक नया, **आत्मविश्वास से भरपूर भारत**

**विनिर्माण से कृषि; सेवा से निर्यात तक; रक्षा से स्वास्थ्य सेवा** और उससे भी आगे देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच

**आत्मनिर्भरता को एक सोच** बनाने की पहल

प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र से जुड़ने में यदि किसी को लेशमात्र का भी संशय हो तो उसे भारत की परंपरा और उसके प्रभाव पर आंशिक रूप से ही सही, पर एक नजर अवश्य डालनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि भारत ने विकासक्रम में अपनी संस्कृति और अध्यात्म की वृहत परम्परा का निर्माण किया और इस क्रम में ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प तथा उद्यम की ऐसी शैलियों को विकसित किया जो न केवल भारत की विशिष्ट पहचान बनीं बल्कि भारत को उस हद तक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाया कि दुनिया भारत की ओर देखने के लिए विवश हुई। इन शिल्पों और शैलियों का उद्‌भव देशज अथवा स्थानीय था लेकिन इनकी प्रभाव राष्ट्रीय और पहुंच अंतरराष्ट्रीय थी। भारत के विकास की यही वह परंपरा अथवा तकनीक थी जिसने भारत को नगरीय क्रांतियों से परिचित कराया और भारत के गांवों को आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित किया। यही वजह थी कि उन सदियों में विदेशी आक्रांताओं ने स्थानीय उत्पादों और उत्पादन की स्थानीय तकनीकों व शैलियों को नष्ट करने का सर्वाधिक प्रयास किया। शायद वे इस निष्कर्ष अवश्य पहुंचे होंगे कि यदि भारत को पूरी तरह से विजित करना है तो भारत की स्थानीय संस्कृतियों और स्थानीय उत्पादन पद्धतियों को नष्ट करना होगा। जब प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र दिया तो एक बार दिमाग ने इतिहास के वे पन्ने फिर पलटने शुरू किए जिनमें भारत की 'लोकल से ग्लोबल' तक बेहद सुंदर तस्वीरें बनी हुई हैं और महाकवि तुलसीदास जी ये पंक्तियां भी अंकित हैं कि –'नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।।

> **भारत ने विकासक्रम में अपनी संस्कृति और अध्यात्म की वृहत परम्परा का निर्माण किया और इस क्रम में ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प तथा उद्यम की ऐसी शैलियों को विकसित किया जो न केवल भारत की विशिष्ट पहचान बनीं बल्कि भारत को उस हद तक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाया कि दुनिया भारत की ओर देखने के लिए विवश हुई।**

प्राचीन भारत आर्थिक इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करें तो पाएंगे कि उस दौर में भारत की श्रेणियों ने अपने कौशल, अपनी तकनीक और अपने उत्पादों के जरिए विदेशी बाजार में इतनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करायी कि पश्चिम के व्यापारी और विचारक अपने-अपने देशों के शिल्पों को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से धन के बहाव को रोकने के लिए विलाप करने को विवश हो गये थे। भारत के सूती वस्त्रों, मोतियों, मणियों से लेकर अस्थियों व धातुओं से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों ने पश्चिमी दुनिया में ऐसी हनक जमायी कि पहली सदी ईसवी के आसपास प्लिनी जैसे यात्रियों को विलाप करते हुए लिखना पड़ा था कि प्रत्येक वर्ष 55 करोड़ सेस्टर्टियस (रोमन मुद्रा) रोम से भारत की ओर बह जाते हैं। यही व्याकुलता 18वीं-19वीं शताब्दी के कई पाश्चात्य विचारकों व अर्थशास्त्रियों में भी देखी गयी जो अफसोस जताते हुए लिख रहे थे कि यूरोपीय लोगों की भारतीय कपड़ों व वस्तुओं के प्रति आशक्ति यूरोप को कंगाल बना रही है। यही नहीं, 18वीं सदी तक पहुंचते-पहुंचते यूरोपीय देश भारत निर्मित सूती वस्त्रों पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने के लिए विवश हो गये थे। इसी के बाद भारत के स्थानीय उद्यमों को नष्ट किया गया, स्थानीय बाजारों पर कब्जा किया गया और स्थानीय उत्पादों को नेपथ्य में डाल दिया गया। हालांकि वे इसमें पूरी

तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि वे भारत की देशज संस्कृति को कभी खत्म नहीं कर पाए। अपनी माटी, मां का दिया हुआ मोटा कपड़ा और मोटे अनाज की रोटी, ने अपने 'स्व' और अपने अभिमान को कभी खत्म नहीं होने दिया और यही आगे चलकर राष्ट्रीय संघर्ष का मूलाधार भी बना। 21वीं सदी हमसे फिर वैसी ही अपेक्षा कर रही है, जिसका संदेश प्रधानमंत्री ने सभी भारतवासियों को दिया है। आज यह जरूरी हो चुका है कि देशज और पारंपरिक कलाओं, शिल्पों व उत्पादों को भारतीयों की भावना से जोड़ा जाए, उनमें तकनीक व कौशल का प्रयोग कर आज की मांग के अनुरूप बनाया जाय और उनकी पैकेजिंग, ब्राण्डिंग व विपणन व विक्रय कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जाए। ताकि यह भारतीय लोकजीवन में खुशहाली और भारत की आत्मनिर्भरता का निर्णायक चर बन सके।

अच्छी बात यह है कि लोकल अब ग्लोबल बन रहा है। इसके बहुत से उदाहरण देखे भी जा सकते हैं। एक उदाहरण तो खादी के ओहाका ब्राण्ड का है, जिसे एक मैक्सिको के युवा मार्क ब्राउन द्वारा स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि मैक्सिकन युवा मार्क ब्राउन की गांधी खादी के अर्थशास्त्र को समझने के प्रति रुचि उन्हें महात्मा गांधी के आश्रम तक खींच लायी। यहां आकर उन्होंने महात्मा गांधी और खादी मंत्र के बारे में गहराई से जाना-समझा, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि हुआ कि भारत का खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण जीवन पद्धति है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है।

यानी महात्मा गांधी के विचार में खादी रोज़गार और भोजन की व्यवस्था के साथ-साथ व्यक्तित्व को सृजनशील बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। यही वजह है कि मार्क ब्राउन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खादी भारत की एक जीवनशैली है। दरअसल खादी हमारी विशिष्ट और परम्परागत अर्थव्यवस्था एवं लोकजीवन की प्रतिनिधि भी है और प्रतीक भी। यही बात अन्य उत्पादों पर भी लागू होती है जो भारत की देशजता, भारत की परम्परा, भारत की संस्कृति, भारत की भौगोलिक विशिष्टता और पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वह चाहे चंदौली का बुद्ध का महाप्रसाद रहा कालानमक चावल हो, वाराणसी की रेशम की साड़ियां हों, लखनऊ की चिकनकारी हो, गोरखपुर की टेराकोटा मूर्तियां हों, आजमगढ़ की पकी मिट्टी (काली) की पॉटरी हो, तमिल के टोडा जनजाति के कलाकारों द्वारा बनाई गयी शॉलें हों, चंदेरी का कॉटन हो, मधुबनी की पेंटिंग किए गये परिधान हों या पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले जूट के उत्पाद, ये सभी मिलकर भारत की परम्परा और दर्शन की कहानी बयां करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर देखें तो आज हथकरघा हो या कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र हो या आईटी, मेडिकल क्षेत्र हो या टेक्सटाइल, इन तमाम क्षेत्रों में भारत का बढ़ता निर्यात ब्रांड इंडिया के ग्लोबल होने की कहानी लिख रहा है।

इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 'एक जिला-एक उत्पाद' कार्यक्रम एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हुई है। दरअसल यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्रेन चाइल्ड है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मिशन मोड पर कार्य कर रही है। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम मार्केट मैकेनिज्म के अनुरूप वातावरण निर्मित करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने में सफल हुआ है। एक जिला-एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रॉडक्ट; ओडीओपी) भारत के देशज उत्पादों को बढ़ावा देकर देशज संस्कृति का मूल्यवर्धन करता है।

**खादी भारत की एक जीवनशैली है। दरअसल खादी हमारी विशिष्ट और परम्परागत अर्थव्यवस्था एवं लोकजीवन की प्रतिनिधि भी है और प्रतीक भी। यही बात अन्य उत्पादों पर भी लागू होती है जो भारत की देशजता, भारत की परम्परा, भारत की संस्कृति, भारत की भौगोलिक विशिष्टता और पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।**

किसी भी राष्ट्र के विकास की पटकथा लिखते समय स्थानीय उत्पादों, शैलियों व परम्पराओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए उपयुक्त कारण भी हैं, अर्थात-

1. ये लोकजीवन में समृद्धि और खुशहाली में मूल्य वर्धन (वैल्यू एडीशन) का कार्य करते हैं।
2. ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त आय के सृजन में सहभागी बनते हैं जिससे प्रतिव्यक्ति ग्रामीण आय में वृद्धि होती है।
3. ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने में समर्थ होते हैं।

4. ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देते हैं और बाजार प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने में सहायक होते हैं।

ध्यान रहे कि 1991 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नये रूप और नए चरित्र के साथ सामने आयी थी और इस बदले हुए चरित्र अनुरूप प्रत्येक इकोनॉमी को स्वयं को बदलना था फिर वह चाहे राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक अथवा स्थानीय। बदलाव आया लेकिन परिवर्तन के रूप में इसलिए स्थानीय उत्पाद (विशेषकर हैंडीक्रॉफ्ट) नेपथ्य में चले गये। मोटे तौर यह मान लिया गया कि इन उत्पादों की नई अर्थव्यवस्था में भूमिका नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन ऐसा था नहीं बल्कि इन्हें एक नया आयाम और नया फलक देने के लिए जरूरी था कि इन्हें एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए जो इन उत्पादों के लिए एक 'एफीशिएंट मार्केट मैकेनिज्म' निर्मित कर सके। इसके लिए जरूरी था-फैसलिटेशन, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ब्राण्डिंग और मार्केटिंग। यहां पर फैसलिटेशन (सुविधाएं उपलब्ध कराने) का दायरा वित्तीय सहयोग अथवा सहायता तक सीमित न होकर व्यापक है जैसे इन उत्पादों के लिए विपणन विक्रय स्थान उपलब्ध कराना, उन तक इन उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित कराना, इनमें नियोजित लोगों को प्रशिक्षित करना, तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को सहयोग सुनिश्चित कराना, बेहतर पैकेजिंग एवं ब्राण्डिंग के लिए फैशन एवं डिजाइनिंग संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित कराना तथा प्रतिस्पर्धा के लिए संभावित तकनीकी व वित्तीय उपाय सुनिश्चित कराना आदि। ध्यान रहे कि पश्चिमी बाजार, विशेषकर यूरोप के देश इस बात पर विशेष ज़ोर देते हैं कि किसी नए उत्पाद को ऐसे अवसर पर बाजार में उतारा जाए जब कोई विशेष अवसर या त्योहार हो ताकि लोगों की भावनाओं को उससे जोड़ने में आसानी

रहे। कारण यह कि जब कोई उत्पाद किसी के सेंटीमेंट्स से जुड़ जाता है तो फिर उसकी मांग का पक्ष स्वतःफूर्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी उत्पाद को बाजार में विशिष्ट और डिमांड ओरिएंटेड बनाने के लिए 'प्वाइंट ऑफ टाइम' को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।

आज के संदर्भ में एक बात और प्रमुख है। आज 'क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड' के मुकाबले 'क्वालिटी ऑफ ब्राण्डिंग' कहीं अधिक निर्णायक हो गयी है। 'क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड' की निर्भरता किसी संस्था द्वारा किए गये सर्टीफिकेशन (प्रमाणन) पर निर्भर करती है। सर्टीफिकेशन किसी भी उत्पाद (प्रॉडक्ट) की साख की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितनी बड़ी संस्था प्रॉडक्ट का सर्टिफिकेशन करती है, बाजार में उत्पाद की साख उसके संगत अनुपात में बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई साख के अनुरूप उत्पाद की बाजार मांग में वृद्धि होती है। यह उत्पादन की तकनीक (टेक्नीक ऑफ प्रॉडक्शन) का हिस्सा है जो मुख्यतौर पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वह विशेषता है जो प्रोडक्ट में वैल्यू एडीशन (मूल्य वर्धन) करता है।

यह प्रधानमंत्री की ही दूरदृष्टि थी कि देश में पहली बार क्लस्टरों का निर्माण कर कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया गया। जैसे-बनारस से ताजी सब्जियों और चंदौली से कालानमक चावल का; नागपुर से संतरे, अनंतपुर से केले और लखनऊ से आम का। ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिनका पहली बार निर्यात किया गया और उन्होंने अपनी गुणवत्ता के आधार पर विदेशी बाजारों में धूम मचायी। जैसे-पहली बार मई में चार हजार किलो आर्गेनिक- सांवा चावल और जौ डेनमार्क भेजे गए। इसी वर्ष पहली बार असम से 40 मीट्रिक टन लाल चावल अमेरिका को, पूर्वोत्तर का बर्मी अंगूर और त्रिपुरा से कटहल लंदन भेजा गया, नगालैंड से चिली, कानपुर का जामुन जून-जुलाई 2021 में ब्रिटेन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया। इसी तरह से भागलपुर से जर्दालु आम को लंदन, कश्मीर की मिश्री चेरी को दुबई और हिमाचल प्रदेश के सेब को बहरीन, छत्तीसगढ़ के महुआ आदि को पहली बार फ्रांस भेजा गया है। यानी भारत के अन्नदाता किसानों ने सिर्फ देश के लोगों का ही भरण-पोषण नहीं किया बल्कि विश्व के कोने-कोने पर दस्तक देकर भारतीय उत्पादों के स्वाद का ऋणी बनाया। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये उत्पाद

भारत की आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिखने में कामयाब होंगे, यदि भारतवासियों ने प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार अपने विचारों और कार्यों में परिवर्तन करने में सफलता अर्जित कर ली तो। ''क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कम से कम इस समय तक हम भारत के स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें। भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को खरीदने का हम आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए यह नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ 2022 तक, आज़ादी के 75 वर्ष हों तब तक हम ऐसा करते हैं।'' प्रधानमंत्री के इस संवेदनशील संकल्प के साथ प्रत्येक भारतीय को जुड़कर 'वोकल फॉर लोकल' बनना चाहिए। अर्थात हम देश में निर्मित वस्तुओं को केवल खरीदें नहीं बल्कि साथ में गर्व से इसका प्रचार भी करें। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने देश को सम्बोधित करते हुए कहा था- आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह से बदल गये हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल रही है। अर्थकेन्द्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केन्द्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम्बकम की है यानी विश्व एक परिवार है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्मकेन्द्रित सम्पूर्ण व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर तो पड़ता ही है।'' इसलिए हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन पांच स्तम्भों को सबल बनाना होगा जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मई 2020 में सुनिश्चित किया गया था। ये हैं-अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन (इन्क्रीमेंटल चेंज) नहीं बल्कि लंबी छलांग (क्वांटम चेंज) सुनिश्चित करती है; बुनियादी ढांचा, जिसे भारत की पहचान (आइडेंटिटी ऑफ इंडिया) बन जाना चाहिए; प्रणाली (सिस्टम), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं (टेक्नोलॉजी ड्रिवेन) पर आधारित हो; जीवंत जनसांख्यिकी (वाइब्रैंट डेमोग्रॉफी), जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है; और मांग, जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए।

फिलहाल आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी तक या दूसरे शब्दों में कहें तो लोकल से ग्लोबल तक हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए हमारा यह विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए कि इस देश की 130 करोड़ की मानव पूंजी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान की गति थमने नहीं देगी। ■

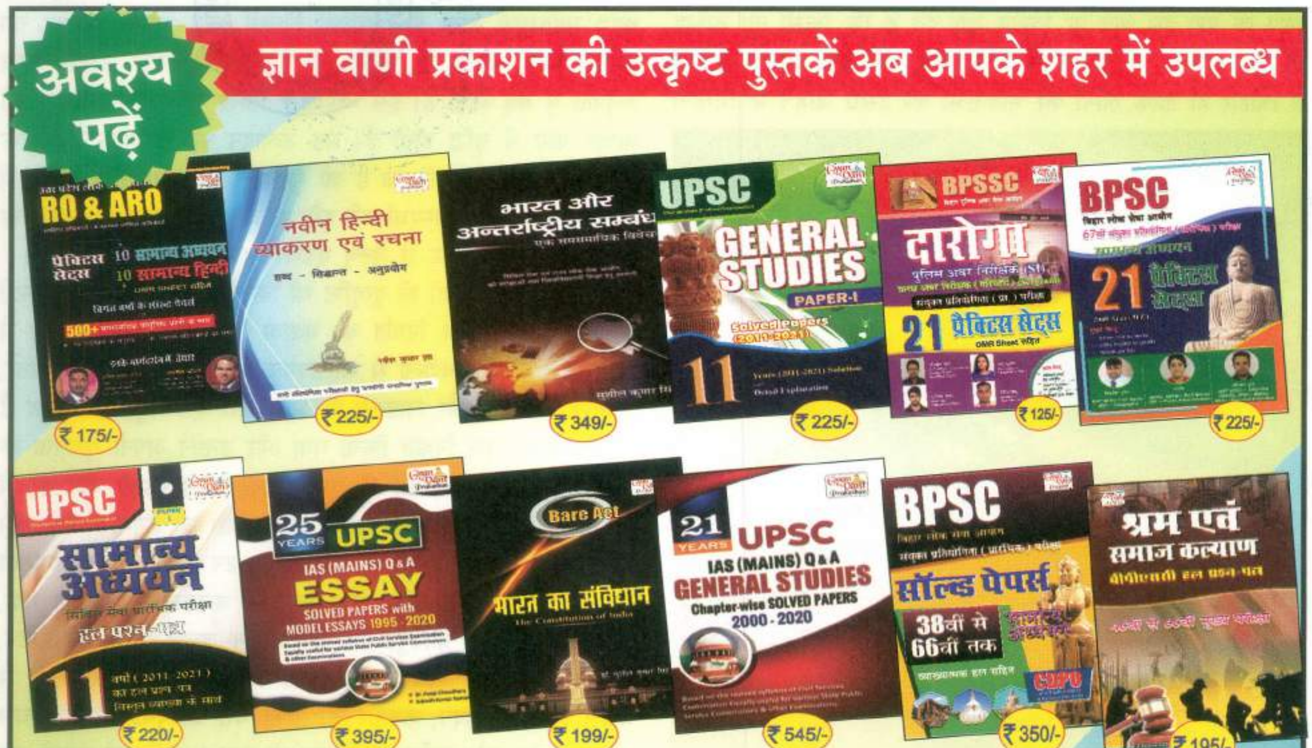

YH-1701/2021

# आत्मनिर्भर कृषि

मंजुला वाधवा

आर्थिक सिद्धांतों में सर्वजन कल्याण हेतु ''पेरेटो ऑप्टिमैलिटी (पेरेटो अनुकूलतम)'' को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसमें संसाधनों के आबंटन सहित सब कुछ बाजारी शक्तियों- मांग और पूर्ति से निर्धारित होने की बात की जाती है लेकिन गत इतने दशकों का अनुभव बताता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में बाज़ारी शक्तियों को सक्रिय नहीं होने दिया जाता। साल भर जी तोड़ मेहनत-मशक्कत करने पर भी किसान के हिस्से दो वक्त की रोटी भी नहीं आ पाती। खेती करने के लिए एक बार जो वह ऋण के दुष्चक्र में फंसता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उससे निकल नहीं पाता। वर्षों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो मंत्र दिया था, 'हर खेत को पानी और हर हाथ को काम' - जब तक किसानों के दु:ख-दर्द को समझकर उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता, तब तक देश का समग्र विकास आकाशकुसुम ही बन कर रहेगा।

इसीलिए, भारत के अन्नदाता की बदहाली को ठीक करने के मकसद से वर्तमान केन्द्र सरकार ने 13 अप्रैल 2016 को डॉ अशोक दलवाई की अध्यक्षता में 'डबलिंग फार्मर्स इनकम कमेटी' का गठन किया, जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि नीति को 'उत्पादन केन्द्रित' के बजाय 'आय केन्द्रित' बनाने के प्रयोजन से उन संभावनायुक्त क्षेत्रों की पहचान करना था जिनमें ज्यादा निवेश होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु बनाई गई सात-सूत्रीय रणनीति हैं:-

- प्रति बूंद-अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रोप) के सिद्धांत पर पर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष बल
- प्रत्येक खेत की मिट्टी की किस्म के अनुसार अच्छे बीज एवं पोषक तत्वों का प्रावधान
- कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों एवं कोल्डचेन्स में अधिक निवेश
- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) का कार्यान्वयन
- जोखिम को कम करने हेतु कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत
- डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मेढ़ पर पेड़, बागवानी व मछली पालन जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो पायेंगे कि अंग्रेजों ने हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया। ज़मीन का लगान वसूलने के तो सारे तरीके उनके पास थे किंतु खेती के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जमींदारी प्रथा के जन्म और ज़मीनों पर किसानों का मालिकाना हक समाप्त होने से हमारे किसानों का रहा-सहा आत्मविश्वास भी धराशायी होने लगा। जब ज़मीन ही अपनी न रही तो कैसे हमारे अन्नदाता खेती का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के प्रति उत्साहित होते, लिहाज़ा देश के स्वतंत्र होते-होते कृषि की प्रगति पर तो मानो विराम लग गया। आज़ादी मिली, ज़मींदारी प्रथा समाप्त हुई, विनोबा भावे ने भूदान और ग्राम-दान आंदोलन भी चलाए परंतु देश के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के उनके प्रयास फलीभूत नहीं हुए। बड़ी ज़मीनों पर भू-स्वामियों का कब्ज़ा जारी रहा और छोटे और सीमांत किसानों की ज़मीनें पीढ़ी दर पीढ़ी टुकड़ों में बंटती चली गई। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में भी खेती और खेतिहरों की समस्याओं की ओर हमारे नीति निर्माताओं का ज्यादा ध्यान नहीं गया, नतीजतन, उत्पाादन और उत्पादकता लगातार घटने लगी। धन्य हैं डॉ स्वामीनाथन, जिनकी अगुवाई में 1960 के बाद के दशक में भारत में 'हरित क्रांति' का सूत्रपात हुआ। हाइब्रिड बीज, रसायनिक खाद और उर्वरक, कृषि मशीनीकरण, खेती के वैज्ञानिक तरीकों आदि के प्रयोग से बेशक उल्लेखनीय सुधार आया और हम भारतवासी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो हुए परंतु हर चारागाह की सारी घास तो हरी होती नहीं, लिहाज़ा, तकनीकों का लाभ बड़े किसानों को ही पंहुचा, बड़े और छोटे किसानों के बीच की खाई दिन-ब-दिन बढ़ने लगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटने लगी, लवणीयता बढ़ने लगी, भूजल के अंधाधुंध दोहन से उसका स्तर निरंतर नीचे जाने लगा। भूजोतें दिन प्रति दिन छोटी होने से कृषि लागतें बढ़ती जा रही हैं, पैदावार के मूल्य गिरते जा रहे हैं, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्यी नहीं मिलता। भंडारण सुविधाएं न होने के कारण वे औने-पौने दामों पर उपज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसान मानसून की मार तो झेल ही रहा था, अब जलवायु परिवर्तन की समस्याओं ने कंगाली में आटा गीला करने मे कोई कसर नहीं छोड़ी।

आइए, अब जायज़ा लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार, रिजर्व बैंक, नाबार्ड द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का - 2016 से चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना[1] जिसके अंतर्गत किसी भी आपदा की स्थिति में किसानों को खाद्य और तिलहनी फसलों तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं, का बीमा प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाते

लेखिका नाबार्ड में सहायक महाप्रबंधक हैं। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

हुए इसका प्रभावी व कार्यकुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिये इस योजना में नामांकन अनिवार्य की बजाय शत प्रतिशत स्वैच्छिक कर दिया गया है। गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत और सिंचित के लिये 25 प्रतिशत तक सीमित करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को योजना लागू करने के लिये व्यापक छूट देने के साथ ही अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया गया है। अब इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किये गए कुल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर खर्च करना होगा। फसल नुकसान का आकलन करने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाने लगा है। भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिये जैसे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल (पीएमएफबीवाई) की शुरुआत की गई है। फसल बीमा ऐप किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।

भारत जैसे देश में जहां 86 प्रतिशत भूजोतें छोटी व सीमांत हैं, में कृषि भूमि के समूहन की अवधारणा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बेहद कारगर साबित हो रही है। इसके तहत देश का शीर्षस्थ ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड भारत सरकार के 'प्रोड्यूस फंड' तथा अपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट फंड - 'पीओडीएफ' के अंतर्गत 5000 के लक्ष्य के समक्ष 5060 किसान उत्पादक संगठनों[2] का गठन अब तक कर चुका है और उन्हें ऋण, क्षमता-निर्माण, उपज की बिक्री आदि के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं लगातार पंहुचा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2019-20 के केन्द्रीय बजट में घोषित अगले 5 वर्षों में 10000 किसान उत्पादक संगठन[3] बनाने का काम देश की तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं-नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) तथा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) को सौंपा गया है जो समुदाय आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से देश भर में इस योजना को चलाकर किसानों की आय दुगणी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों को आसानी से ऋण देने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु नाबार्ड और एनसीडीसी के पास क्रमशः 1000 करोड़ तथा 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया है जिनमें केन्द्र सरकार बराबर का अंशदान करेगी।

**भारत जैसे देश में जहां 86 प्रतिशत भूजोतें छोटी व सीमांत हैं, में कृषि भूमि के समूहन की अवधारणा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बेहद कारगर साबित हो रही है। इसके तहत देश का शीर्षस्थ ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड भारत सरकार के 'प्रोड्यूस फंड' तथा अपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलपमेंट फंड - 'पीओडीएफ' के अंतर्गत 5000 के लक्ष्य के समक्ष 5060 किसान उत्पादक संगठनों का गठन अब तक कर चुका है।**

अगस्त 1998 से चल रही नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना निश्चय ही इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। किसानों को फसलें उगाने से लेकर कटाई के बाद तक, उपभोग, कृषि आस्तियों के सृजन आदि की सारी ऋण जरूरतों के लिए रियायती लोन आसानी से उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से 2020 में नाबार्ड के साथ ही भारत सरकार ने भी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान मिशन मोड में चलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये की राशि की कृषि अवसंरचना कोष[3] (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) नामक एक नई अखिल भारतीय योजना को मंजूरी दी थी। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है ताकि किसानों की पंहुच नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनेटिक मानडंडों को पूरा करते हुए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक बढ़ाई जा सके। ऋण पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देने के साथ ऋणदाता संस्था को दो करोड़ तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। आगे 8 जुलाई 2021 को इस योजना को संशोधित करते हुए पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों (एफपीओ फेडरेशन्स) तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों (एसएचजी फेडरेशन्स) तक किया गया है। एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे

कोल्ड स्टोरेज, छंटाई, पैकिंग, ग्रेडिंग की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज छूट (इंट्रेस्ट सबवेंशन) की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऋण मंजूर करने की अवधि 2023-24 से बढ़ाकर 2025-26 तक यानी 4 की बजाय 6 वर्ष कर दी गई है और योजना की कुल अवधि जो पहले 10 वर्ष थी हाल ही में बढ़ाकर 13 वर्ष अर्थात 2032-33 कर दी गई है।

कोविड काल में केन्द्र सरकार ने दो नयी योजनाएं लागू की हैं– 15000 करोड़ की कॉर्पस राशि से पशुपालन अवसरंचना विकास निधि[4] (एनिमल हस्बैंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी सभी शामिल हैं, न्यूनतम 10 प्रतिशत मार्जिन राशि के अंशदान सहित। शेष 90 प्रतिशत राशि, अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण के रूप में मुहैया करवाई जा रही है। 3 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ ही नाबार्ड में 750 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष की स्थापना करके स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी भी प्रदान की जा रही है।

**भारत सरकार द्वारा 2019-20 के केन्द्रीय बजट में घोषित अगले 5 वर्षों में 10000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का काम देश की तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं-नाबार्ड, स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) तथा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) को सौंपा गया है जो समुदाय आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से देश भर में इस योजना को चलाकर किसानों की आय दोगुणी करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठनों को आसानी से ऋण देने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने हेतु नाबार्ड और एनसीडीसी के पास क्रमशः 1000 करोड़ तथा 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया है जिनमें केन्द्र सरकार बराबर का अंशदान करेगी।**

एक और बेहद उल्लेखनीय कदम है 20050 करोड़ रुपये के कॉर्पस सहित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना[4] - जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और 2024 तक मत्स्य निर्यात 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मार्च 2020 से अर्थव्यवस्था के 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना[5] (प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम) लागू की है जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग भी शामिल है ताकि खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देकर इस काम में गति लाई जा सके और परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों व कमज़ोर वर्गों को बैंकों से ज़्यादा उत्पादक ऋण उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से 2020 में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के मानदंड संशोधित किए हैं तो दूसरी ओर नाबार्ड यूएनओ और भारत के पर्यावरण मंत्रालय के तीन जलवायु-परिवर्तन फंडों के माध्यम से क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

की दिशा में काफी काम कर रहा है ताकि खेती को न केवल तेज़ी से बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके बल्कि स्मार्ट एग्रीकल्चर का रूप भी दिया जा सके। कोविड से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु नाबार्ड ने वाटरशेड और वाडी क्षेत्रों, माइक्रो फूड प्रोसैसिंग इकाइयों तथा सहकारी ऋण समितियों को मल्टी-सर्विस-सेंटर बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।

**राह की चुनौतियां:** सतत प्रयासों के बावजूद, इन योजनाओं को जमीनी हकीकत बनाना उतना आसान नहीं लगता। अलग-अलग राज्यों में किसानों की आय में बहुत अंतर है। पूरे देश में एक किसान की मासिक आय[6] का औसत भले ही 6,426 रुपये हो, जहां बिहार में एक किसान 3,558 रुपये और पश्चिम बंगाल में 3,980 रुपये कमाता है वहीं, पंजाब के किसान की मासिक आय 18,059 रुपये तक है फलस्वरूप उच्च आय वाले राज्यों जैसे केरल, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बिहार, झारखंड ओर ओडिशा में किसानों की आय बढ़ाना आसान नहीं है।

फिर, भारत के हर क्षेत्र की अपनी मजबूतियां और कमियां हैं, पूरे देश के लिए एक तरीका नहीं अपनाया जा सकता। बिहार और झारखंड में मंडी की व्यवस्था नहीं है और किसान छोटे व्यापारियों पर निर्भर हैं। कृषि उपज बाज़ार समिति (एपीएमसी) की कमियां समय-समय पर उजागर होती रहती हैं। वहीं, बाज़ार नियमों का न होना भी सही साबित नहीं हुआ है। वास्तव में बिहार के मक्का किसान कम कीमतों से परेशान हैं क्योंकि उनके पास फसल बेचने के लिए असंगठित मंडियों के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। कुछ मंडियां तो रेलवे यार्ड में चल रही हैं। खेत के आकार का भी किसान की आय पर असर पड़ता है। एक हेक्टेयर से छोटे खेत वाले किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है।

**आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने मार्च 2020 से अर्थव्यवस्था के 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम) लागू की है जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग भी शामिल है ताकि खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देकर इस काम में गति लाई जा सके और परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ सके।**

वस्तुतः आय बढ़ाने के लिए न सिर्फ कृषि बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास करने की जरूरत है, लिहाज़ा, 2021-22 के बजट में संबद्ध क्षेत्रों (एलाइड एरियाज़) के लिए अलग से बजट आबंटित किया गया है ताकि किसान डेयरी, मुर्गी व मछली पालन और बागवानी आदि से भी कमा सकें।

दलवाई समिति के गठन से लेकर 5 साल बीत चुके हैं- 2016-2017 के दौरान रही कृषि की स्थिति के मद्देनज़र, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों की औसत वार्षिक आय 10.4 प्रतिशत (समिति द्वारा अनुशंसित) की बजाय 13 प्रतिशत की दर पर बढ़नी चाहिए और इसके लिए (2011-12) के मूल्यों पर 64 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश[7] की जरूरत होगी।

इसके अतिरिक्त व्यापार व बिक्री नीतियों में चल रहे भारी उपभोक्ता पक्षपात (कंज्यूमर बायस), खाद्यान्नों पर दी जा रही भारी सब्सिडी, अकार्यकुशल एपीएमसी, अचानक लग जाने वाले निर्यात प्रतिबन्ध, प्रचलन से बाहर हो चुकी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी (आर्केक ईसीए) मसलों पर भी ध्यान देना होगा। दलवाई समिति की सिफारिशों

के कार्यान्वयन से अगर उत्पादन बढ़ता है तो क्या उसी हिसाब से उपभोग भी बढ़ पाएगा? यदि हां, तो क्या बढ़ी पैदावार की प्रोसेसिंग, निर्यात और मांग भी बढ़ पाएगी। इस यथार्थ को परखते हुए आज की स्थिति के संदर्भ में बेहतर होगा कि हम 'सब्सिडी मॉडल' को छोड़कर 'निवेश मॉडल' अपनाने पर गंभीरता से विचार करें।

**केन्द्रीय बजट 2021-22 में किए गए उपाय[7]:** निःसंदेह भारत सरकार ने लक्ष्य पूर्ति हेतु बेहतरीन सात कदम उठाए हैं जैसे कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करना, 2018-19 से 3 मदों तक सीमित रहे 'ऑपरेशन ग्रीन' के दायरे में 22 जल्दी खराब होने वाली कृषि फसलें लाना, 1000 अतिरिक्त मंडियों को राष्ट्रीय ई-नैम के दायरे में लाना, नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण अवसरंचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में आबंटन 30000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि पैदावार को सरकारी दरों पर खरीदना जैसे उपाय किसानों की बेहतरी के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता बखूबी दर्शाते हैं।

## समाधान क्या है?

- **सिंचाई सुविधाओं का विस्तार:** प्रभावी जल संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करते हुए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। माइक्रो इरीगेशन फंड में आवंटन 5000 से बढ़ाकर 10000 करोड़[8] रुपये किया जाना [illegible] सराहनीय प्रयास है।
- **कृषि ऋण में सुधार:** कृषि ऋण के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय वितरण की असमानता का मुद्दा हल करने के लिये समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है।
- **भूमि सुधार:** छोटी और सीमांत जोतों का अनुपात देखते हुए भूमि बाज़ार के उदारीकरण जैसे उपायों से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
- **सहबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा:** विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिये रोज़गार और आय का एक सुनिश्चित दूसरा स्रोत प्रदान करने हेतु सहबद्ध क्षेत्रों जैसे पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्यपालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **फार्म मशीनीकरण:** भारत में अल्प कृषि मशीनीकरण[9] (मात्र 40 प्रतिशत) जो चीन के 57 प्रतिशत और ब्राज़ील के 75 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है, को भी बढ़ाने की जरूरत है।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र:** फसल कटाई के बाद के नुकसान के मद्देनज़र खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार तथा नाबार्ड द्वारा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजनाएं इस लक्ष्य की पूर्ति में निश्चय ही सहायक साबित होंगी।
- **वैश्विक बाज़ार में संभावनाओं की तलाश:** वर्तमान में भारत में सरप्लस पैदावार की बिक्री हेतु अतिरिक्त ज़रिया मुहैया करवाने हेतु वैश्विक बाज़ारों की खोज पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **श्रमिकों का पुनः आवंटन:** कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रम संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में भी पुनः आवंटित करने की आवश्यकता है। यद्यपि संरचनात्मक परिवर्तनों के तहत कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को कम करना और सेवा क्षेत्र के रोज़गार की हिस्सेदारी में वृद्धि करना शामिल था परंतु बड़ी संख्या में उपलब्ध श्रमिकों को उपयुक्त रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार अवसरों के विकास हेतु और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।
- **अन्य मुद्दे:** कोल्ड चेन में पैक-हाउस, राइनिंग चैम्बर और रीफर व्हीकल्स आदि में निवेश बढ़ाना, बीमा कवरेज, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से पैदावार का उन्नयन, बाज़ार तक पहुंच, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल जैसे मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े और अमीर किसान खेती छोड़कर अपना पैसा शहरों में जाकर अन्य व्यवसायों में लगाएं तो बेहतर होगा ताकि खुद के अलावा दूसरे किसानों के लिए भी रोज़गार के वैकल्पिक अवसर पैदा कर सकें। विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना जैसा शीर्षस्थ बैंक नाबार्ड ने 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर भारत के ऋणदाता बैंकों को रियायती पुनर्वित्त देकर किया है। इतना ही नहीं, गांवों में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए खास तौर से 'वॉश' (वाटर, सैनिटेशन एंड हाईजीन) नामक कार्यक्रम चलाया है ताकि कोविड काल में किसान, मज़दूर, शिल्पकार आदि महामारी से बच सकें और आय उत्पादक कार्यों में लगे रह सकें।

आवश्यकता इस बात की है कि कृषि से जुड़े सभी हितधारक मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें क्योंकि अन्नदाता खुशहाल होगा तो यह खेती-प्रधान देश भी खुशहाल हो पाएगा और चहुंमुखी विकास कर पाएगा। ■

## संदर्भ

1. pmfby.gov.in
2. नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2020-21
3. https://agriinfra.dac.gov.in
4. https://dahd.nic.in 4-a https://pmmsy.dof.gov.in
5. https://mofpi.gov.in-PLI Scheme for Food Processing
6. एनएसएसओ स्टडी 2013-Situational Assessment Survey of Agricultural Households
7. https://indiabudget.gov.in
8. https://indiabudget.gov.in
9. https://publications.iadb.org

# आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक उपाय

प्रो तनय कुरोडे
डॉ मेघना भिलारे

**कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न मौजूदा संकट दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इसमें विकासशील देशों के साथ-साथ कुछ अत्यधिक विकसित राष्ट्र भी शामिल हैं। भारत जैसे देशों के पास मौजूद आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में सोचना इनके लिए अधिक महत्वपूर्ण था। आत्मनिर्भर भारत अभियान या सरकार की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ- अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी से संचालित तंत्र, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग हैं। इस लेख में भारत में वित्तीय संकट को रोकने के लिए महामारी के दौरान किए गए आर्थिक उपायों की समीक्षा की गई है।**

महामारी ने कई अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के गंभीर रूप से चरमराने की अत्यधिक आशंका ने देशों को औद्योगिक और साथ ही सामाजिक स्तर पर विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए प्रेरित किया है ताकि महामारी को नियंत्रित किया जा सके या विनाश को कम किया जा सके। अमरीका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे विभिन्न विकसित देशों और भारत, चीन, ब्राजील, फिलीपींस आदि जैसे विकासशील देशों ने इसके परिणाम और इसके प्रभाव देखे हैं। कई देशों ने महामारी से समाज को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन नीतियां लागू कीं। अर्थव्यवस्था के निर्वाह और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे और व्यवसाय या राजस्व के मामले में कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी। कुल मिलाकर, अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति निराशाजनक हो गईं थीं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि वे इस तरह की मंदी के लिए सबसे अधिक असुरक्षित थे। हर कोई अंततः स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देश के सभी वित्तीय और आर्थिक संसाधनों को स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने में लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था। इसके कारण, आर्थिक क्षति का आकलन करना और अर्थव्यवस्थाओं के अस्तित्व के लिए प्रभावी कदम उठाना महत्वपूर्ण था।

भारत दुनिया का दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ अपर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा है। यह शुरू में आर्थिक उथल-पुथल के बीच बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन भारत सरकार उन क्षेत्रों या उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित थी जो नुकसान सहने की स्थिति में नहीं थे। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्योग और देश के करदाताओं को राहत पैकेज प्रदान करने पर तुरंत

प्रो तनय कुरोडे इंदिरा स्कूल ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ में सहायक प्रोफेसर हैं। ईमेल: tanaykurode@gmail.com
मेघना भिलारे, डॉ डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, पिंपरी, पुणे में प्रोफेसर हैं। ईमेल: meghabhilare@gmail.com

कार्रवाई की। संबंधित अधिकरणों ने पहली लहर के दौरान कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। इस लहर के कारण लॉकडाउन किया गया था। यह वास्तव में आपदा की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था। देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लॉकडाउन का पहला चरण 24 मार्च 2020 को शुरू हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय विनिर्माण इकाइयां, मनोरंजन, अचल संपत्ति, शिक्षा, आतिथ्य, रसद, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा, विमानन जैसे क्षेत्र शामिल थे। चूंकि सेवा उद्योग भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, वर्तमान में सेवाओं की स्थिति आर्थिक विकास के पतन का कारण बन रही थी।

आयात-निर्यात, परिवहन, आपूर्ति शृंखलाओं के मामले में प्रतिबंधित व्यावसायिक गतिविधियों और अंततः नगण्य या बहुत कम औद्योगिक तथा खुदरा खपत से प्रभावित होने के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे खराब स्थिति में थे। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। यह क्षेत्र सेवा से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद के एक चौथाई से अधिक और विनिर्माण गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद के एक तिहाई से अधिक योगदान करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक ने सरकार से आग्रह किया कि वे ऐसे जरूरतमंद क्षेत्रों का अस्तित्व बचाने के लिए त्वरित उपाय तथा नीतिया और प्रोत्साहन तथा राहत पैकेज लेकर आएं।

विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों पर निरंतर प्रतिबंधों के कारण जब भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी, तो भारत सरकार के लिए देश को मंदी से उबारने के लिए मजबूत आर्थिक राहत और वित्तीय सहायता उपाय करना समय की आवश्यकता थी। 12 मई 2020 का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय के साथ एक व्यापक सर्व-समावेशी प्रोत्साहन पैकेज लेकर आए, जिसे 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' कहा जाता है। विशेष आर्थिक प्रावधानों वाले इस पैकेज का उद्देश्य मजदूरों; कुटीर उद्योगों; मध्यम वर्ग; सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों और अन्य वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करना था। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है। इसमें स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना शामिल था। यह एक चरण-वार कार्यक्रम था जो इन पांच स्तंभों पर केंद्रित था:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था,
2. देश में बुनियादी ढांचा,

**आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत उपलब्ध कराया गया कुल प्रोत्साहन**

| क्र. | मद | | (रु. करोड़ में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | भाग 1 | | 5,94,550 |
| 2 | भाग 2 | | 3,10,000 |
| 3 | भाग 3 | | 1,50,000 |
| 4 | भाग 4 और 5 | | 48,000 |
| | | उप कुल | 11,02,650 |
| 5 | पीएमजीकेपी सहित पूर्व के उपाय | (पहले की स्लाइड) | 1,92,800 |
| 6 | आरबीआई उपाय (वास्तविक) | | 80,16,03 |
| | | उप कुल | 9,94,403 |
| | | **कुल योग** | **20,97,053** |

*स्रोत: वित्त मंत्रा. अंतरमंत्रालय अधिसूचना (रा.सू.कें.)*

3. तंत्र,
4. जीवंत जनसांख्यिकी
5. मांग

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

भाग 1: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों सहित व्यवसाय

भाग 2: गरीब, प्रवासी और किसान सहित

भाग 3: कृषि

भाग 4: विकास के नए आयाम

भाग 5: सरकारी सुधार और समर्थक

आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण सुधारों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को सहायता:** व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को, मौजूदा ऋणों के भुगतान, कच्चा माल की खरीद और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने जैसी परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों के लिए रियायती ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान करना था। इस सुधार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस तरह के वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इस योजना के तहत आपातकालीन ऋण के लिए 45 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इसके अलावा, वित्तीय संकट का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे वे अपने व्यवसायों में इक्विटी के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे उभरते उद्यमों को एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और लगभग 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन प्रदान करने के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी।

**व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को, मौजूदा ऋणों के भुगतान, कच्चा माल की खरीद और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने जैसी परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्यमों के लिए रियायती ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान करना था। इस सुधार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस तरह के वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए व्यवसायों को कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।**

**गैर-बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों को सहायता:** फंडिंग एजेंसियों के लिए तंत्र में आवश्यक विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त तरलता होना महत्वपूर्ण था। इसलिए इस पैकेज के तहत तरलता जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक विशेष योजना को ध्यान में रखा गया, जिसमें सरकार प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में ऐसे फंडिंग निकायों के विभिन्न ऋण साधनों में निवेश करके 30,000 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कम क्रेडिट रेटिंग वाली ऐसी संस्थाओं पर, आंशिक ऋण गारंटी योजना के माध्यम से विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका उद्देश्य तरलता को 45,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।

**कर से संबंधित उपाय:** टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दरों में एक चौथाई तक

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd.

की कमी से 50,000 करोड़ रुपये तक का डिस्पोजेबल फंड मिलेगा। सरकार ने सभी संबंधित पक्षों के लंबित टैक्स रिफंड को तेजी से जारी करने का निर्णय लिया। आयकर रिटर्न दाखिल करने आदि जैसे विभिन्न अनुपालन-संबंधित पहलुओं के लिए पालन की जाने वाली समय सीमा को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

**प्रवासियों, किसानों और गरीबों को सहायता:** लॉकडाउन की घोषणा और परिणामस्वरूप नौकरी छूटने के कारण विभिन्न राज्यों में मजदूरों का भारी पलायन हुआ। यह समाज की इस श्रेणी के लिए दिन-प्रतिदिन के अस्तित्व का प्रश्न था। राज्य सरकारों को प्रवासियों को भोजन, आश्रय और पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के 11,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ-साथ राज्य आपदा कार्यवाही कोष के तहत धन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा के उपायों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए गए। उच्च ऋण संवितरण, ऋणों पर विस्तारित स्थगन, ऋणों का पुनर्वित्त और किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए कुछ सहायक उपाय थे। इसमें विभिन्न अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के अलावा, गरीबों के लाभ के लिए उपाय शामिल थे।

**राज्य सरकारों को प्रवासियों को भोजन, आश्रय और पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के 11,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ-साथ राज्य आपदा कार्यवाही कोष के तहत धन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा के उपायों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी प्रदान किए गए।**

**कारोबार सुगमता से संबंधित सुधार:** पिछले कुछ वर्षों में, भारत में सुचारू रूप से व्यापार करने से संबंधित निरंतर सुधारों ने अपनी वैश्विक रैंकिंग को 2014 की 142 से बढ़ाकर 2019 में 63 कर दिया है। इसमें स्व-प्रमाणन, परमिट देने और अन्य के अलावा क्लियरेंस तथा तृतीय-पक्ष प्रमाणन जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है। सरकार अब चीजों को अगले स्तर पर ले जाने पर ध्यान दे रही है। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए आवंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के अलावा प्रमुख क्षेत्रों में कराधान मानदंडों को सरल बनाना, संपत्ति के पंजीकरण को आसान बनाना, वाणिज्यिक विवादों का तेजी से समाधान आदि शामिल हैं।

**आईबीसी से संबंधित उपाय:** सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दिवालिएपन के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया था। केंद्र सरकार को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से महामारी से संबंधित ऋण को 'डिफॉल्ट' की परिभाषा से बाहर करने का अधिकार दिया गया है।

अर्थव्यवस्था और व्यापार में उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए वर्तमान महामारी के मद्देनजर भारत द्वारा विभिन्न सुधारों की योजना बनाई और कार्यान्वित की जा रही है। ■

## संदर्भ


1. भारत सरकार (2020) आत्मनिर्भर भारत अभियान https://aatmanirbharbharat-mygov-in/ से लिया गया
2. भारत सरकार (2020) आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और कोविड-19 पर काबू पाना। भारत के राष्ट्रीय पोर्टल से लिया गया: https:èèwww.india.gov.inèspotlightè आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और कोविड-19 पर काबू
3. भारत सरकार (2020)। कोविड-19, अंतर-मंत्रालयी अधिसूचनाएं। वित्त मंत्रालय से लिया गया: https://covid19.india.gov.in/document-category/ministry-of-finance/
4. पीटीआई। (09 अप्रैल 2020, ) कोविड -19 महामारी एमएसएमई निर्यातकों को अधिक प्रभावित करेगी व्यापार विशेषज्ञ।

5- https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3850af92f8d9903e7a4e-0559a98ecc857/uploads/2020/05/2020051740.pdf


Elite Academy for Education & Training Pvt. Ltd. Delhi


## प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| नवी मुंबई | 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर | 400614 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसप्लानेड ईस्ट | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | 'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद | 500080 | 040-27535383 |
| बेंगलुरु | फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 0612-2675823 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज | 226024 | 0522-2325455 |
| अहमदाबाद | 4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड | 380009 | 079-26588669 |
| गुवाहाटी | असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी | 781003 | 0361.2668237 |

# महिला उद्यमिता

पूर्वा अग्रवाल

**आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं का योगदान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका उनका आर्थिक विकास करना ही है। महिला उद्यमिता देश को आत्मनिर्भर बनाने का अहम पहलू है। इससे रोज़गार के अवसर जुटाकर अर्थव्यवस्था तो मजबूत होती ही है, महिलाओं का भी सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से उत्थान होता है। इस लेख में महिला उद्यमियों के महत्व, उनके सामने आने वाली चुनौतियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी अहम भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।**

महिला उद्यमियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और विभिन्न उद्योगों में उन्हें पहचान और मान्यता भी मिल रही है। रोज़गार के नए अवसर जुटाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने तथा गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता और आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। सरकार महिला उद्यमिता का महत्व समझती है और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कई पहल कर रही है। एक अध्ययन के अनुसार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने से उद्यमों की सफलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं में आकांक्षा, कौशल और अनुभव, परिवार का समर्थन, बाज़ार (बिक्री) संभावना, स्वतंत्रता, सरकारी सहायता और कार्य संपन्न करने का संतोष आदि शामिल हैं।

वर्तमान परिवेश में महिला उद्यमशीलता की अवधारणा का विश्लेषण और व्याख्या करना; और भारतीय उद्यमियों के समक्ष चुनौतियों और विशेष पहलुओं की व्यापक समीक्षा करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों की भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनके योगदान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

महिला उद्यमी वही हैं जो अपना उद्यम शुरू करने, उसकी व्यवस्था संभालने और उसके लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के सभी दायित्व निभाती हैं।

भारत सरकार के अनुसार महिला उद्यमी होने के लिए उद्यम की वित्तीय भागीदारी में कम से कम 51 प्रतिशत योगदान होना आवश्यक है। इस तरह, प्रमुख वित्तीय भागीदारी होने पर ही वह महिला उद्यमी की श्रेणी में मानी जाएगी।

## चुनौतियां

उद्यमियों को सामान्यतया भी अनेकानेक कठिनाइयां और चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं और ऐसे में महिला उद्यमियों के लिए तो फंड जुटाने और वित्तीय व्यवस्था करने से लेकर विपणन, प्रशिक्षण, सरकारी समर्थन प्राप्त करने, मौलिकता लाने और नए विचार अपनाने की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही कुछ अनोखी समस्याएं भी सहनी पड़ती हैं।

काम के दबाव और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण भी महिलाओं के दायित्व बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं।

साथ ही, अनिश्चितता से भी महिलाएं काफी दबाव में रहती हैं। उनमें असफलता का भय बना रहता है खासकर इसलिए कि लोगों को उनकी व्यापार क्षमता के बारे में संदेह रहता है। उन्हें व्यापार में इसलिए भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उन्हें समर्थन देने की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। उन्हें संबद्ध स्रोतों से समर्थन प्राप्त करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को पुरुष-प्रधान मानसिकता वाले माहौल में काम करना होता है जहां उन्हें भेदभाव और सामाजिक लांछन से भी निपटना

लेखिका इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडी, पुणे में सहायक प्रोफेसर हैं। ईमेल: purva.agarwal@indiraisbs.ac.in

पड़ता है। यह तो सही है कि कानूनों और नीतियों के लागू हो जाने से महिलाओं के लिए व्यापार करने की स्थितियां अनुकूल बनी हैं परन्तु नए बदलाव अभी लागू नहीं हो पाए हैं।

महिला उद्यमियों के समक्ष एक चुनौती यह भी है कि सामाजिक बंधनों और परंपरागत सोच के कारण उनका व्यापार नेटवर्क इतना जमा हुआ नहीं रहता और उन्हें ये प्रयास स्वयं ही करना पड़ता है। इसी कारण महिलाओं की व्यापार भागीदारी का दायरा सीमित और सिमटा हुआ रहता है।

Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

भारत में स्टार्ट-अप परिवेश के निरन्तर विस्तार से अब ज्यादा संख्या में महिलाएं अपने उद्यम लगाने में रुचि ले रही हैं और कारोबार में सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में से केवल 14 प्रतिशत ही महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश व्यापार स्व-वित्तपोषित हैं और छोटे पैमाने पर चलाए जा रहे हैं।

भारत जैसे देश में जहां अधिकांश महिलाओं को अपनी क्षमता का पता ही नहीं है और वे (खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली) अपनी आकांक्षा पर ध्यान ही नहीं दे पातीं और इसी वजह से बहुत कम महिला उद्यमी ही सामाजिक मानकों से अधिक सफलता पा सकती हैं। ये महिला उद्यमी उन महिलाओं की रोल मॉडल (आदर्श) होती हैं जो अपना उद्यम शुरू करना चाहती हैं। तभी तो भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और देश में महिला उद्यमियों को स्टार्ट-अप लगाने के लिए अनुकूल माहौल और तगड़ा सरकारी समर्थन मिल रहा है।

**महिला उद्यमी वे हैं जो अपना उद्यम शुरू करने, उसकी व्यवस्था संभालने और उसके लिए वित्तीय संसाधनों प्रबंधन करने के सभी दायित्व निभाती हैं। भारत सरकार के अनुसार महिला उद्यमी के पास वित्तीय भागीदारी में कम से कम 51 प्रतिशत योगदान होना अनिवार्य है। प्रमुख वित्तीय भागीदार होने पर ही वह महिला उद्यमी की श्रेणी में मानी जाएंगी।**

### सरकार के विभिन्न कदम

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिला उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए महिलाओं को उद्यम चलाने से जुड़ी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने का वातावरण तैयार करना जरूरी है। भारत सरकार ने अपने उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तैयार किए हैं।

- **विशेष लक्षित समूह :** देश के सभी प्रमुख विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष लक्षित समूह मानने के उद्देश्य से यह सुझाव लाया गया था।
- **नए उपकरण विकसित करना :** उपयुक्त प्रौद्योगिकी, उपकरण और कार्य-विधियां अपनाकर महिला उद्यमियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- **हाट-व्यवस्था में सहायता :** यह सुझाव महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्था करने में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया था।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया :** यह सुझाव महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के विचार से लाया गया है। इसके साथ ही ऐसे अनेक संगठन हैं जो भारत में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये संगठन विकास संबंधी समर्थन उपलब्ध कराके इन महिला उद्यमियों की मदद करते हैं।

1. **महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यू.ई.पी.)**

महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यू.ई.पी.) की स्थापना नीति आयोग ने देश भर की उभरती युवा महिला उद्यमियों के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। इस पहल को लागू करने और बढ़ावा देने के वास्ते नीति आयोग ने सिडबी (एसआईडीबीआई) को भागीदार बनाया है।

2. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं में शामिल यह योजना उन उत्साही

महिला उद्यमियों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चलाई गई है जो ब्यूटी पार्लर, खुदरा दुकान या ट्यूशन केन्द्र जैसी कम लागत और आसानी से शुरू किए जाने वाले स्टार्ट-अप लगाना चाहती हैं।

**3. स्त्री शक्ति ऋण**

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा चलाई जा रही यह अनूठी योजना महिला उद्यमियों को कई रियायतें देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला उद्यमियों को पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में नाम दर्ज कराना होगा जिसमें व्यापार सफलतापूर्वक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जाती है।

**अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिला उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए महिलाओं को उद्यम चलाने से जुड़ी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने का वातावरण तैयार करना जरूरी है। भारत सरकार ने अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम तैयार किए हैं।**

## आगे की राह

महिला उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की सबसे अहम कड़ियों में से हैं। महिलाओं की प्रगति के लिए हम नीचे दिए गए सुझावों पर विचार कर सकते हैं-

1. महिलाओं में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कम से कम लागत के या मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
2. महिलाओं को बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक नि:शुल्क पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने वाले शिक्षण संस्थान खोले जाएं।
3. उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
4. सरकारी प्रोत्साहनों और योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जाए।
5. योजनाओं का लाभ पाने के वास्ते कागज़ी कार्रवाई को कम से कम किया जाए और पूरी प्रक्रिया सरल बनाई जाए।

## निष्कर्ष

महिला को विविध कार्य करने होते हैं और अनेक दायित्व निभाने पड़ते हैं जिससे उसे सामाजिक बंधनों के कारण अपना उद्यम चलाने के वास्ते कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय महिलाएं सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा मुहैया किए जा रहे विकास अवसरों के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं। महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने में सहायता देने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारा जा सके। ■

## सन्दर्भ


1. वी. कृष्णमूर्ति और आर. बालासुब्रमणि, ''मोटिवेशनल फैक्टर्स अमंग विमेन एंत्रप्रेन्योर्स एंड देयर एंत्रेप्रेन्योरिअल सक्सेस : ए स्टडी'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड बिजनेस स्ट्रेटजी।
2. बोवेन, डोनाल्ड डी और हिश रॉबर्ट डी (1986), द फीमेल एंत्रप्रेन्योर : ए कैरियर डेवेलपमेंट पर्सपेक्टिव, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू; वॉल्यूम II अंक 3 पृष्ठ 393-407.
3. हैंडबुक ऑन विमेन-ओन्ड एसएमईज़, चैलेंजेज़ एंड एपॉर्चुनिटीज़ इन पॉलिसेज़ एंड प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर नॉलेज इकॉनामी एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट।
4. कुवेक्चकों, के. रैमट्सरटाइनर, ई. (2002). इनोवेशन एंड एंत्रप्रेन्योरशिप-ए न्यू टॉपिक फॉर फॉरेस्ट रिलेटिड रिसर्च? डिस्कशन पेपर पी/2002-1, इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसी एंड इकॉनोमिक्स, बोकु विएना।
5. लाल, मधुरिमा, एंड सहाय शिखा, 2008, विमेन इन फैमिली बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में फैमिली बिजनेस पर आयोजित प्रथम एशियन इनविटेशनल कांफ्रेंस में प्रस्तुत।
6. मैरमैन, जे.पी. एंड दुशमैन एम.एल. 2001. फ्रॉम द टेक्नॉलोजी साइकिल टू द एंत्रेप्रेन्योरिअल डायनामिक। इन सी. बर्ड स्कूनहोवेन, एंड ई. रोमानेल्लि (ईडीएस), द एंत्रप्येन्योरशिप डायनमिक स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया; स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. मायर्स, एस.पी. 1984, द कैपिटल स्ट्रक्चर पज़ल।
8. ऐमिटी जर्नल ऑफ एंत्रप्रेन्योरशिप। (1), (86-100) (ब) 2016 एडीएमएए बैरियर्स फेसिंग विमेन एंत्रप्रेन्योर्स इन रूरल इंडिया : ए स्टडी इन हरियाणा।
9. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड एंड प्योर साइंस एंड एग्रीकल्चर www.ijapsa.com@UAPSA-2015. सर्वाधिकार सुरक्षित 75 e-ISNN 2394-5532 p-ISSN : 2394-823X, स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंत्रप्येन्योरशिप इन गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत. सीमा जोहर रिसर्च स्कॉलर, एमवीजीयू (MVGU)।
10. व्हाई रिसर्च नीडेड इन विमेन एंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया : ए व्यूप्वाइंट आर्टिकल इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकॉनोमिक्स, फरवरी-2018
11. डॉ. रंजना शर्मा ''विमेन एंत्रप्रेन्योर्स इन इंडिया - इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेज़'' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेवेलपमेंट रिसर्च, वॉल्यूम: 07, अंक: 12, पृष्ठ: 17917-17923, दिसम्बर, 2017, आईएसएसएन : 2230-9926.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

अब उपलब्ध है

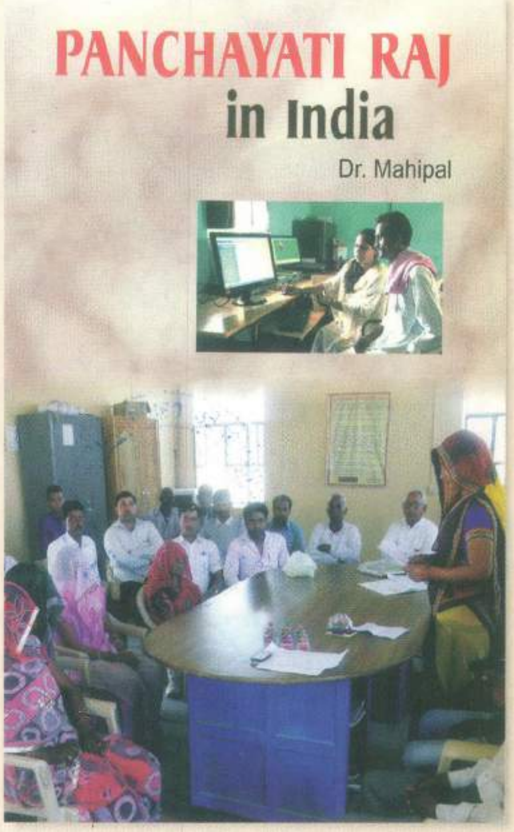


Elite Academy For Education & Training Pvt. Ltd. ★ Delhi ★

## पंचायती राज इन इंडिया

आज ही नज़दीकी पुस्तक विक्रेता से खरीदें

**प्रकाशन विभाग**
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया **www.bharatkosh.gov.in** पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
बेवसाइट : **www.publicationsdivision.nic.in**

/dpd_india @DPD_India /publicationsdivision

# भारतीय पुलिस : मूल्यांकन और स्वरूप

नुति नमिता

**भारत में पुलिस का इतिहास, परीक्षणों, त्रुटियों, उलटफेर, एक राजशाही सरकार की आवश्यकताओं और बदलती प्राथमिकताओं तथा संदर्भों का विवरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुलिस संगठन के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखा, लेकिन पुलिस व्यवस्था की प्रकृति बदल गई। एक संस्था के रूप में वह आज जिस स्वरूप में मौजूद है, उसे यह हासिल करने में कई शताब्दियां लगी हैं। भारत में यह व्यवस्था एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्थान के रूप में कार्य करती है, हालांकि यह केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुई, जो काफी हद तक मध्यकालीन युग के दौरान प्रचलित विभिन्न विशेषताओं का मिलाजुला रूप था और कुछ ब्रिटिश कानून और व्यवस्था की संरचना से लिया गया था। वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रख्यापित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव है।**

पुलिस, जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य के प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा होने के नाते सभ्य समाज की स्थापना के साथ अस्तित्व में आई। इसे देश/शासक वर्ग का प्राथमिक अंग माना जाता था। पुलिस, प्रशासन या नियमन के एक तंत्र को दर्शाती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सिविल अधिकारियों के संगठित निकाय को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसका विशेष कर्तव्य कानून और व्यवस्था का संरक्षण है।[1] 'भारतीय पुलिस इतिहास को हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के एक अपरागम्य स्तर पर स्थापित साम्राज्य संबंधी अधिकारों के विस्तार और संकुचन के रूप में देखा जा सकता है। संरचनाएं आईं और गईं, लेकिन गुण संबंधी कोई क्रमागत वृद्धि नहीं हुई।'[2] वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रख्यापित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव है। भारत ने विरासत में मिली पुलिस संरचना को बनाए रखा और समेकित तथा विस्तारित किया है।

## प्राचीन काल

भारत में प्राचीन काल में पुलिस धर्म, समुदाय और नैतिकता की संस्थाओं के साथ जटिल रूप से समवर्ती थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई संदर्भ हैं जो देश के खिलाफ अपराधों का पता लगाने के लिए एक विशेष इकाई के अस्तित्व का संकेतक देते हैं।[3] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें एक नगर पुलिस संगठन की झलक मिलती है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण इकाई थी जो सामान्य कल्याण के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त थी।[4] भारत में स्वदेशी पुलिस प्रणाली का गठन पट्टेदारी और ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर किया गया था।

## मध्यकाल

उत्तर भारत में मुस्लिम शासन बारहवीं शताब्दी में शुरू हुआ और पुलिस प्रणाली धीरे-धीरे लेकिन तेजी से विकसित हुई क्योंकि

लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर (इतिहास) हैं। ईमेल: nutinamita@svc.ac.in

उसके अधीन जीते गए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। सत्ता और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र सुल्तान होता था। फौजदार को प्रांतीय स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख होने के नाते, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।[5] कोतवाल मजिस्ट्रेट होता था, पुलिस प्रमुख होता था, चौकीदार स्थानीय भूमिधारक या ग्राम प्रधान के अधीन ग्राम शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। चौकीदारों को रखने का काम गांव स्वयं करते थे और उनके पारिश्रमिक का भुगतान फसलों के हिस्से से किया जाता था।

### औपनिवेशिक काल

जैसे-जैसे भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई, व्यापार और संपत्ति की सुरक्षा के मुद्दों के लिए किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से और त्रुटियों से अंग्रेजों ने एक पुलिस तंत्र का गठन किया जिसने भारत में उनके समूचे औपनिवेशिक शासन-काल में उनकी सेवा की।

**1860 में एक पुलिस आयोग गठित किया गया था। आयोग का उद्देश्य पुलिस विभाग को और अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए इसे पुनर्गठित करना था। आयोग ने सैन्य पुलिस को समाप्त करने और एकल वर्दी नागरिक पुलिस बल की स्थापना की सिफारिश की जो प्रांतीय सरकार के अधीन हो। इसके परिणामस्वरूप 1861 का पुलिस अधिनियम ( अधिनियम 5 ) लागू हुआ। यह वर्तमान भारतीय पुलिस का मूल आधार है।**

वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, हिंसक अपराधों को दबाने और रोकने के उपाय के रूप में आपराधिक अदालतों की स्थापना की।[6] 1792 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, 'पुलिस प्रशासन को बड़े जमींदारों के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया और उसके स्थान पर कंपनी के एजेंटों के प्रति जिम्मेदार पुलिस बल की स्थापना की। जिलों को विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक के लिए, दरोगा कहे जाने वाले एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया था। ...... नगरों में कोतवाल, पुलिस प्रशासन का प्रभारी बना रहा।'[7] हालांकि इन सुधारों से वांछित परिणाम नहीं मिले।

1857 में भारतीय समाज के कई वर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया था जिसने अंग्रेजों को इस विशाल देश को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित संस्था की अनिवार्य आवश्यकता का एहसास कराया। '1850 के दशक तक नागरिक पुलिस बलों के गठन का इरादा, आंतरिक पुलिसिंग के लिए सेना पर निर्भरता के खतरे को कुछ हद तक कम करने के लिए किया गया था'[8] सेना पर अत्यधिक निर्भरता महंगी भी पड़ती थी, इसलिए एक पुलिस बल की अवधारणा की गई 'जो पूरी आबादी में सत्ता का भय पैदा कर सके और रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम कर सके।'[9] 1860 में एक पुलिस आयोग गठित किया गया था। आयोग का उद्देश्य पुलिस विभाग को और अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए इसे पुनर्गठित करना था। आयोग ने सैन्य पुलिस को समाप्त करने और एकल वर्दी नागरिक पुलिस बल की स्थापना की सिफारिश की जो प्रांतीय सरकार के अधीन हो। इसके परिणामस्वरूप 1861 का पुलिस अधिनियम (अधिनियम 5) लागू हुआ। यह वर्तमान भारतीय पुलिस का मूल आधार है।

### पुलिस अधिनियम, 1861

16 मार्च 1861 को एक विधेयक पारित किया गया। 22 मार्च 1861 को इसे भारतीय पुलिस अधिनियम के रूप में लागू किया गया। 1860 के पुलिस आयोग ने पुलिस संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों की स्थापना की: (1) सैन्य पुलिस को समाप्त किया जाना था और पुलिस को एक सिविल कांस्टेबल को सौंपा जाना था, (2) सिविल पुलिस को प्रत्येक प्रांत में एक महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपनी अलग प्रशासनिक संस्था की स्थापना करनी थी, (3) महानिरीक्षक प्रांतीय सरकार के प्रति जिम्मेदार था क्योंकि अधीक्षक नागरिक कलेक्टर के प्रति जिम्मेदार था और (4) अधीक्षक पर ग्राम पुलिस की निगरानी की जिम्मेदारी थी।[10]

महानिरीक्षक को जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, और उनकी सहायता के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक होते थे। अधीनस्थ पुलिस सेवा को भी पुनर्गठित किया गया और अधिकारियों को इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सार्जेंट और कांस्टेबल के रूप में नामित किया गया। भारतीय पुलिस में पहली बार एक स्पष्ट आदेश और नियंत्रण के साथ एक संगठनात्मक पदानुक्रम को मजबूत किया गया था। अधिकारियों के उच्च पद, विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के पास थे, और अधीनस्थ रैंकों पर भारतीयों की भर्ती की गई थी, हालांकि ऐसा पूरी तरह से नहीं किया गया था।

अधिनियम की एक अन्य विशेषता ग्राम पुलिस व्यवस्था में सुधार पर जोर देना था जो स्थानीय मजिस्ट्रेट की देखरेख और नियंत्रण में होना था। यह भी सिफारिश की गई थी कि पुलिस के वेतन और पारिश्रमिक में सुधार किया जाना चाहिए और इसे सैन्य बलों के वेतन के अनुरूप अधिक न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए। 1892 में, प्रांतीय सिविल सेवा बनाई गई थी।

1902 में, लॉर्ड कर्ज़न ने पुलिस प्रणाली के कामकाज को देखने के लिए और पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को रोकने, पुलिस पर बेहतर मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण और अन्य संबद्ध मामलों के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के वास्ते एक और आयोग का गठन किया था।[11]

आयोग पुलिस के कामकाज के लिए काफी आलोचनात्मक था, हालांकि, उसने पुलिस प्रणाली में किसी भी बड़े संरचनात्मक सुधार की सिफारिश नहीं की। इसने सिफारिश की कि शिक्षित भारतीयों को अधिकारी स्तर पर पुलिस संगठन में भर्ती किया जाए। 1902 में, विशेष रूप से भारतीय अधिकारियों के लिए एक नया रैंक - पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया था, जो कि अधीक्षक से एक रैंक नीचे था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, पुलिस सेवा का भारतीयकरण होता गया। 1920 में, भारतीयों को एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस के उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जो भारत के साथ-साथ इंग्लैंड में भी आयोजित की जाती थी। 1924 में ली आयोग का गठन किया गया जिसके माध्यम से भर्ती निश्चित रूप से भारतीयों के पक्ष में हो गई। पुलिस सेवा का भारतीयकरण बहुत धीमी गति से जारी रहा, हालांकि उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत के दौरान किए गए पुलिस सुधारों ने एक समान और उच्च श्रेणीबद्ध पुलिस का निर्माण किया, जिसे औपनिवेशिक सरकार की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया था।

बीसवीं शताब्दी में जैसे-जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति और उग्रता हासिल की, भारतीय पुलिस का इस्तेमाल इन आंदोलनों को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाने लगा। यहां भारतीय पुलिस के लिए बड़ी दुविधा थी, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ भारतीयों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया। यह 'परीक्षा का कष्टदायक समय' था।[12] 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने प्रशासनिक और पुलिस ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेजों की स्थापना के आधार पर किया था।

**बीसवीं शताब्दी में जैसे-जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति और उग्रता हासिल की, भारतीय पुलिस का इस्तेमाल इन आंदोलनों को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाने लगा। यहां भारतीय पुलिस के लिए बड़ी दुविधा थी, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ भारतीयों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया। यह 'परीक्षा का कष्टदायक समय' था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने प्रशासनिक और पुलिस ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेजों की स्थापना के आधार पर किया था।**

### मद्रास प्रेसीडेंसी में पुलिस का इतिहास

विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक साक्ष्यों से समझा जा सकता है कि दक्षिण भारत में एक विकसित पुलिस व्यवस्था थी।

कवलकर, मूल रूप से सरकार में नियुक्त व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय सहायक के रूप में भी काम किया। वे, तलियारियों के विपरीत, कई गांवों के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें संरक्षक के रूप में किए गए कार्य के लिए सुरक्षा शुल्क (कवल) लेने का अधिकार था। वे इसे 'डाकू पुलिस' की भूमिका मानकर हिंसक और भ्रष्ट हो गए।[13]

मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था और यह क्षेत्र यूरोपीय अधिकारियों की निगरानी में था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। स्थानीय स्वदेशी पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की लगातार शिकायतें मिलती थीं। मद्रास प्रेसीडेंसी के कई आंतरिक जिलों के दूरदराज में होने से भी कई समस्याएं पैदा हुईं। व्यापार तथा संपत्ति के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और राजस्व के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रांत में मौजूदा पुलिस प्रशासन की विफलता का एक अंतर्निहित अहसास था।

1859 के मद्रास पुलिस अधिनियम ने निहत्थी पुलिस को पुलिस के सशस्त्र वर्गों से अलग कर दिया। इस प्रकार बल की दो अलग-अलग, शाखाओं में कर्मियों का आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता था।[14] अधिनियम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रांतीय राज्य संरचना के साथ पुलिस बल का पूर्ण एकीकरण था। पुलिस अखिल भारतीय आधार के बजाय प्रांतीय आधार पर गठित की गई थी।[15] यह महसूस किया गया था कि मद्रास प्रेसीडेंसी व्यापक क्षेत्रीय विविधताओं के साथ विशाल थी, जिससे एक ही केंद्र से पुलिस के काम की निगरानी करना असंभव हो गया था। 'इस अधिनियम के माध्यम से, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तीन स्तरों को अधिनियमित किया गया था। एक, पुलिस

विभाग पर नागरिक प्रशासन की निगरानी; दूसरा, भारतीय अधीनस्थों पर यूरोपीय अधिकारियों का पर्यवेक्षण; तीसरा, शीर्ष पर अधीक्षण के बीच एक कठोर पदानुक्रमित विभाजन, मध्य में निरीक्षणालय और सबसे नीचे कांस्टेबुलरी।'[16] मुख्य सचिवालय ने मद्रास प्रांत में पुलिस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम किया। जिला स्तर पर, पुलिस जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के अधीन थी। 1856 में, अधीक्षक के लिए एक पद बनाया गया था, लेकिन जिले में मजिस्ट्रेट को अधीक्षक से बड़ा पद दिया गया था।

**बीसवीं सदी में पूरे देश में नए सिरे से और अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। मौजूदा जिला पुलिस, हालांकि समय के साथ विस्तारित हुई, लेकिन यह नियंत्रण लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, सशस्त्र प्रहारक बलों का गठन करने का निर्णय लिया गया।**

### विशेष पुलिस बल

बीसवीं सदी में पूरे देश में नए सिरे से और अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। मौजूदा जिला पुलिस, हालांकि समय के साथ विस्तारित हुई, लेकिन यह नियंत्रण लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, सशस्त्र प्रहारक बलों का गठन करने का निर्णय लिया गया। मद्रास प्रेसीडेंसी में ऐसे दो प्रमुख बलों का गठन किया गया था। मालाबार विशेष बल और पूर्व तट विशेष बल। दोनों बल विशेष, सुप्रशिक्षित, अनुशासित कर्मियों और नवीनतम हथियारों से लैस थे। उन्हें आज के अर्धसैनिक बलों का अग्रदूत कहा जा सकता है।

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार और आक्रामकता के साथ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ, सरकार को मजबूरन पुलिस रिजर्व के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों की ताकत बढ़ानी पड़ी।

### पुलिस सुधार

पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। हालांकि, भारत सरकार ने, सितंबर 2017 में, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की छत्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना के दो कार्यक्षेत्र हैं- पुलिस आधुनिकीकरण और सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)। इसमें अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना और ई-जेल परियोजना जैसी केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है। सरकार ने वामपंथी उग्रवादग्रस्त जिलों में विकास उपाय करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना भी लागू की है। इसके अतिरिक्त, पुलिस वायरलेस और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इस योजना में राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता और पुलिस बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए सहायता की केंद्र प्रायोजित उप-योजनाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय के दूसरे क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की उप-योजनाओं के साथ-साथ विशेष बुनियादी ढांचा योजना शामिल है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर जैसे विभिन्न इलाकों में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करना; विकास के उपाय कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इन क्षेत्रों में इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करना है।

वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने 2015 में, 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' को मंजूरी दी थी। इसमें सुरक्षा, विकास, जनजातियों/स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है। नीति और कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद और उससे जुड़ी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है। ■

### संदर्भ

1. सेन, शंकर- पुलिस टुडे नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 86
2. बेली, डेविड- द पुलिस एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, 1969. पृष्ठ 39
3. चटर्जी, एस.के.- द पुलिस इन एंशिएंट इंडिया, पृष्ठ 11
4. शाम व्यायामो योगशेमायोयुनि
5. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 97/2/1
6. शर्मा, पी.डी. और बी.एम. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन; रीट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रोस्पेक्ट, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 20
7. पांडे, एके। विकास एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड द लोकल पुलिस, मित्तल प्रकाशन। दिल्ली, 1987. पृष्ठ 150-151
8. अर्नोल्ड, डेविड। पुलिस पॉवर एण्ड कॉलोनियल रूल; मद्रास 1859-1947, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1986, पृष्ठ 13
9. गुप्ता.एस, आनंद, द पुलिस इन ब्रिटिश इंडिया (1861-1947) 1979, नई दिल्ली, 7
10. ऑप. सिट. बेले., पृष्ठ 45
11. http://www.Police in India/independence/html
12. ऑप.सिट. बेले., पृष्ठ 49
13. ऑप.सिट. अर्नोल्ड, पृष्ठ 19
14. ऑप.सिट. अर्नोल्ड, पृष्ठ 28
15. एमपीएआर, 1874, पृष्ठ 39
16. इबिड, पृष्ठ 29

# आधुनिक भारत के निर्माता
# डॉ भीमराव आंबेडकर

लेखकः डब्ल्यू एन कुबेर
प्रकाशकः प्रकाशन विभाग
मूल्य : 120 रुपये

**'आधुनिक भारत के निर्माता' विद्वानों द्वारा लिखे गए आसान खंडों की एक शृंखला है, जिसे प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। भारत रत्न डॉ भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर पर इसी शृंखला की यह पुस्तक हमारे देश के प्रख्यात और बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न नेता की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक से लिए गए कुछ अंशः**

आंबेडकर सोचते थे कि सरकार की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन होना चाहिए। परंतु उनका विचार था कि यदि वैयक्तिक स्वतंत्रता छीन लेने से समाज के हितों को आघात पहुंचता है तो यह अधिकार हरण नहीं होना चाहिए। वे कहते थे कि अच्छी सरकार वही है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शोषण से बचाए और देश में आंतरिक उपद्रवों, हिंसा और अव्यवस्था पर नियंत्रण करे।

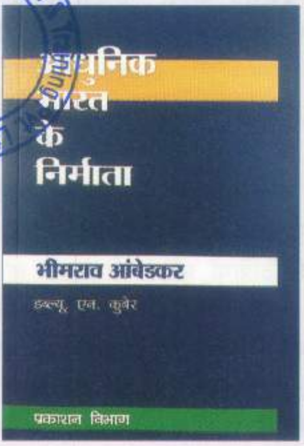


एक वकील और न्यायशास्त्री होने के नाते वे सभ्य समाज में विधि की भूमिका पर बहुत बल देते थे। उनकी दृष्टि में सामाजिक शांति और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय-व्यवहार में कानून का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही तो समानता और स्वाधीनता का प्रहरी है। उनका मत था कि कानून केवल वैधानिक क्रिया ही नहीं, बल्कि ये पूरे समाज और राष्ट्र की कार्य प्रणाली को नियंत्रित रखता है। वह हर वर्ग के मानव को उसकी सीमाओं में बांधकर रखता है। कानून ने इंसान को पैदा नहीं किया है बल्कि इंसान ने ही अपनी सुविधा के लिए कानूनों को जन्म दिया है। कानूनों में संशोधनों की सदा गुंजाइश है किंतु यह संशोधन सभी व्यक्तियों की सहमति से होना चाहिए। कानून के संबंध में आंबेडकर की धारणा थी कि वह न केवल दंड देकर लागू किया जाए बल्कि यह शिक्षा और सामाजिक भावनाओं के आधार पर लागू हो। वे कहते थे कि मुट्ठी भर राजनैतिक अधिकार ही लोकतंत्र नहीं कहला सकते बल्कि लोकतंत्र के लिए सामाजिकता एवं नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान है। उनकी दृष्टि से लोकतंत्र का आधार है : स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व तर्क मानवीय व्यवहार, विधि का शासन, प्राकृतिक अधिकार और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्व।

...संविधान सरकार ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा के निर्देशन का स्रोत हैं। वह समाज के लिए एक आर्थिक व्यवस्था का भी निर्धारण करता है। यदि संविधान यह निर्धारित करता है कि उत्पादन साधनों के स्वामित्व तथा प्रबंध का क्या स्वरूप हो और समाज में आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। आंबेडकर ने कहा कि समाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण कर देना वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आघात है। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के संरक्षण का तकाज़ा है कि संविधान समाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण करे।

उनका विचार था कि राजनैतिक स्वतंत्रता के चार स्तंभ हैं- 1. व्यक्ति अपने में संपूर्ण है, 2. व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार हैं जिन्हें संवैधानिक गारंटी मिलनी चाहिए, 3. किसी व्यक्ति को विशेष सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लालच में अपने संवैधानिक अधिकारों का परित्याग नहीं करना चाहिए, 4. सरकार को व्यक्तिगत आधार पर किसी इंसान को अन्य व्यक्ति को नियंत्रित रखने का अधिकार नहीं सौंपना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के नियंत्रण से छूट का प्रभाव यह होता है कि निजी मालिकों की तानाशाही आ जाती है। उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों की पूर्ति बहुमत की कृपा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। आंबेडकर का विचार था कि मज़दूरों को छूट और समानता मिलनी जरूरी है और इनके संतुलन के लिए एक संविधान हो। वे समाजवाद को प्राथमिकता देते थे। उनकी टिप्पणी यह थी कि भारत के श्रमिकों को यह ज़ोर देना चाहिए कि भारतीय संविधान एक राजनैतिक साधन होने के साथ-साथ आर्थिक विकास का भी स्रोत हो।

आंबेडकर अर्थशास्त्र के लगनशील विद्यार्थी थे। एमए के लिए उनका शोध प्रबंध था 'एन्शिएन्ट इंडियन कामर्स' तथा एमएससी (लंदन) के लिए 'इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' डीएससी के लिए 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपी' भारत की मुद्रा समस्या के विषय में हिल्टन युवा आयोग के सामने जो विचार प्रकट किए वे उनके भारत की मुद्रा समस्या के विषय में महत्वपूर्ण योगदान थे। ■

*आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी अन्य किताबों के लिए*
www.publicationsdivision.nic.in *पर जाएं।*

# नदीतट विकास पर नीतियां और विनियम

भारत में मौजूदा समय में शहरी नदीतट योजना और विकास (यूआरएफडी) में निर्माण, लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण जैसे निर्माणात्मक पहलुओं पर ही ध्यान दिया जाता है। इस बात पर गौर किया जाता है कि इन परियोजनाओं के संभावित आर्थिक लाभ क्या होंगे। इन परियोजनाओं के सामाजिक, जलवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय प्रभावों पर कम ही विचार किया जाता है। बाढ़ और सूखे जैसी जलवायु से संबंधित आकस्मिक घटनाएं नदीतट परियोजनाओं पर सीधा असर डालती हैं। नदीतट योजना और विकास के इन पहलुओं को नज़रअंदाज किये जाने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इससे जलवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय तनाव पैदा होने के अलावा बाढ़ जैसी आपदाओं से जानमाल का नुकसान होता है।

भारत के कई शहर नदियों के किनारे बसे हैं। देश में गंगा तट पर बसे वाराणसी जैसे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक स्थल नदियों के किनारे हैं। लिहाजा, भारत जल और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील शहरी नदीतट विकास के लाभों को प्रदर्शित करने की अच्छी स्थिति में है। विभिन्न नदियों के किनारे यूआरएफडी परियोजनाओं को काफी निवेश मिल रहा है। मुंबई अकेले मीठी नदीतट के विकास पर 68.5 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है (दास 2017)। एक संतुलित यूआरएफडी में विकास के साथ ही पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और जलीय चिंताओं का निवारण किया जाना चाहिये। इस तरह के यूआरएफडी से शहरों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ ही नागरिकों और नदी पारिस्थितिकियों को अनेक फायदे होंगे।

भारत में नदियों की पूजा की जाती है। उनका सांस्कृतिक महत्व त्यौहारों और अनुष्ठानों में दिखायी देता है। लेकिन देश में घरेलू और आर्थिक उद्देश्यों से स्थानीय नदियों के नियमित इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाले गहरे संबंध में कमी आयी है। इसके परिणामस्वरूप नदी संरक्षण और पुनर्जीवन के लिये स्थानीय गतिविधियों में गिरावट देखी गयी है। भारत में नदी के उद्धार का मतलब उसकी सफाई और सौंदर्यीकरण है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर नदियों को स्वस्थ बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि मछलियों, पक्षियों और अन्य जीवों की विविधता की हिफाजत हो सके।

वर्तमान में भारत में नदी प्रबंधन पर केंद्रित कोई विशेष कानून या नीति नहीं है। अलबत्ता, किसी नदी प्रणाली के अनेक पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के नियमन और प्रबंधन के लिये कानून और नीतियां मौजूद हैं। जल की गुणवत्ता, पर्यावरण, जैवविविधता और आपदा जोखिम से जुड़े विशेष कानून और नीतियां हैं। संलग्न तालिका में यूआरएफडी परियोजनाओं पर लागू होने वाले कुछ प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक कानूनों तथा नियमों का जिक्र किया गया है।

इसके अलावा यूआरएफडी परियोजनाओं के लिये दिशानिर्देश प्रदान करने वाली कुछ एजेंसियां भी हैं।

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)** - नदियां देश में जल का सबसे बड़ा स्रोत हैं। एनआरसीडी का उद्देश्य प्रदूषण घटाने के उपायों को लागू कर नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

**राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी)** - यह पर्यावरण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिये विशेषज्ञता रखने वाली एक विशेष न्यायिक संस्था है। एनजीटी के पास कानूनों और नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में व्यक्तियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संस्थाओं के खिलाफ आदेश जारी करने का अधिकार है।

**नगर और क्षेत्रीय भूमि उपयोग योजनाएं तथा भवन विनियम** - ये स्थानीय स्तर की विकास प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं। ये योजनाएं और निगम, विकास प्राधिकरणों, राज्य स्तरीय नगर योजना विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आते हैं। ये भूमि उपयोग विनियम और भवन संबंधी नियम नदियों और उनके जल आच्छादन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।

**विशेष उद्देश्य तथा हृदय, प्रसाद, स्मार्ट सिटी और अमृत जैसे राष्ट्रीय मिशनों के अधीन परियोजनाएं** - इन विकास योजनाओं और परियोजनाओं का संबंध शहरों, नगरों, पर्यटन स्थलों और गलियारों तथा धार्मिक केंद्रों से है। अगर ऐसी परियोजना का स्थल नदी के किनारे या नजदीक है तो इसके प्रस्ताव में नदीतट विकास दिशानिर्देशों का ध्यान रखना होगा ताकि कोई टकराव नहीं हो (हृदय), (अमृत), (पर्यटन मंत्रालय 2016)। ऐसी किसी परियोजना को तैयार और लागू करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये इस तरह का कोई टकराव पैदा नहीं हो।

भारत में शहरी नदीतट योजना और विकास नागरिकों के इस्तेमाल और सुविधा तथा अचल संपत्ति से वाणिज्यिक लाभ के लिये नदी जल को निर्देशित और नियंत्रित करने तथा उसके डूब क्षेत्र के दोहन तक ही सीमित है। भारत में यूआरएफडी की आधुनिक परिकल्पना की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती नदीतट विकास से हुई है। इसके तहत लगभग 10 किलोमीटर तक 'ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर' (बांध, सागरभित्ती, सड़क, पाइप, जल शोधन संयंत्र, इत्यादि) आधारित विकास किया गया है। इसके बाद अनेक यूआरएफडी परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। इनमें गोदावरी नदीतट विकास (महाराष्ट्र), पटना नदीतट विकास (बिहार), द्रव्यवती नदीतट विकास (राजस्थान) और गोमती नदीतट विकास (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं।

*स्रोत: https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/34_RFT%20Document-8_com.pdf*

Academy For Education & Training Pvt. Ltd. Delhi

## तालिका

| कानून/नियम | उद्देश्य | उपयुक्तता | प्राधिकार |
|---|---|---|---|
| जल जीवन मिशन (शहरी), 2021 | इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य संयुक्तराष्ट्र संवहनीय विकास लक्ष्य 6 के अनुरूप 4378 वैधानिक शहरों में सबके लिये जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। मिशन में एक समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें इस बात को समझा गया है कि ताजा जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिये जलाशयों को पुनर्जीवित करना और संवहनीय जलभृत प्रबंधन महत्वपूर्ण है। | शहरी हरित क्षेत्र और स्पंज सिटी बाढ़ के प्रभाव को घटायेंगे। वे शोधित अवशिष्ट जल की रिसाइकिलिंग और रिचार्ज की चक्रीय प्रक्रिया के जरिये शहरी जल संपदा (भूमिगत और सतही) के विकास में सहायक होंगे। | आवास और शहरी मामले मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय |
| गंगा नदी (पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 | यह आदेश गंगा में प्रदूषण को प्रभावी तौर पर घटाने तथा इस नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन के लिये है। इसका मकसद गंगा की समूची लंबाई में पर्यावरणीय प्रवाह बरकरार रखना तथा नदी के तटवर्ती उद्योगों पर जरूरी पाबंदियां लगाना है। इसमें नदी पर औद्योगिक परिसरों, संयंत्रों और मशीनरी के प्रभाव के आकलन के लिये उनके निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। | यह आदेश उन राज्यों पर लागू होगा जिनसे होकर गंगा, उसकी सहायक नदियां और धाराएं गुजरती हैं। यह परियोजना के योजना निर्माण, क्रियान्वयन और आकलन के चरणों में लागू होगा। | जल शक्ति मंत्रालय, राज्य गंगा घाटी प्राधिकरण |
| राष्ट्रीय जल नीति, 2012 | यह नीति राज्य और केंद्र के स्तर पर जल प्रबंधन से संबंधित अनिवार्य कानूनों के लिये फ्रेमवर्क कानून की तरह है। इसमें जल को सिर्फ विभिन्न प्रतिस्पर्धी उपयोगकर्ताओं के बीच बंटवारे के लिये दुर्लभ संसाधन नहीं माना गया है। उसे जीवन और पर्यावरण के लिये अनिवार्य तत्व के रूप में मान्यता दी गयी है। | नदी क्षेत्रों, जलाशयों और अवसंरचनाओं के संरक्षण के बारे में खंड 8 में शहरी नदियों के महत्व को रेखांकित किया गया है। खंड 8.2 में कहा गया है कि नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाबों तथा जल निकासी प्रणालियों के अतिक्रमण और मार्ग परिवर्तन की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। जहां अतिक्रमण हो चुका है वहां इसे यथासंभव दूर कर समुचित देखभाल की जानी चाहिये। | भारत सरकार, राज्य सरकारें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय |
| तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 (2011) | संवेदनशील तटीय क्षेत्रों का संरक्षण। | अगर परियोजना स्थल तटीय क्षेत्र में है। | |
| पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 14 सितंबर, 2006 (संशोधित) | विशेष श्रेणी की नयी विकास गतिविधियों के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बाद अनिवार्य मंजूरी। | परियोजना का निर्मित क्षेत्र 20000 वर्ग मीटर से अधिक और कुल निर्माण क्षेत्र 150000 वर्ग मीटर से ज्यादा होने पर लागू। | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकार |
| ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) विनियम, 2000 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भूमि के विभिन्न उपयोगों के लिये दिन और रात के ध्वनि स्तर निर्धारित किये हैं। | ये नियम निर्माण के चरण में लागू होंगे। | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 | संपूर्ण पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार। | पर्यावरण से संबंधित अधिसूचनाएं, नियम और अनुसूचियां इस आच्छादन कानून के तहत ही जारी की जाती हैं। | केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |

*तालिका अगले पृष्ठ पर जारी...*

| | | | |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय वन नीति, 1988 | जैव विविधता के संरक्षण और बहाली के जरिये पारिस्थितिकीय स्थिरता को बरकरार रखना। | परियोजना में या उसके आसपास पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता की स्थिति में यह नीति लागू होगी। | राज्य सरकार का वन विभाग, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| केंद्रीय मोटर वाहन कानून, 1988 | वाहन से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना। | यह कानून निर्माण के चरण में लागू होगा। मगर इसे संचालन के चरण में भी लागू किया जा सकता है। | मोटर वाहन विभाग |
| वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1981 | निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदूषकों का उत्सर्जन नियंत्रित कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण। | यह कानून निर्माण के चरण में लागू होता है। मगर कुछ मामलों में यह संचालन चरण के दौरान भी लागू हो सकता है (मसलन, अगर परियोजना में 15 केवीए से ज्यादा क्षमता का जेनरेटर या शवदाह गृह हो)। | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1974 | निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रदूषकों का निस्तारण नियंत्रित कर जल प्रदूषण नियंत्रण। | यह कानून निर्माण के चरण में लागू होगा। मगर इसे संचालन के चरण में भी लागू किया जा सकता है। | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| वन्यजीव (संरक्षण) कानून, 1972 | अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव का संरक्षण। | परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान होने पर यह कानून लागू होता है। परियोजना स्थल के नजदीक डॉलफिन जैसे संरक्षित वन्यजीव के गुजरने की जगह होने पर भी यह कानून लागू होगा। | मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य वन विभाग की वन्यजीव शाखा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 (संशोधित) | सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम इसके तहत ही बनाये गये हैं। | भूमि अधिग्रहण के मामलों में लागू होता है। | राज्य सरकार का राजस्व विभाग |


# कृपया ध्यान दें

## पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

**कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।**

**हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-**

| सदस्यता प्लान | योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं) | बाल भारती |
|---|---|---|
| 1 वर्ष | रु. 434 | रु. 364 |
| 2 वर्ष | रु. 838 | रु. 708 |
| 3 वर्ष | रु. 1222 | रु. 1032 |

**वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।**

# हमारी पत्रिकाएं

योजना | YOJANA | योजना | યોજના | യോജന | ಯೋಜನಾ | कुरुक्षेत्र | যোজনা | திட்டம் | Kurukshetra | یوجنا | ଯୋଜନା | आजकल | रोज़गार समाचार | Employment News | बाल भारती

**योजना**
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

**प्रकाशन विभाग**
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

**कुरुक्षेत्र**
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

**आजकल**
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

**रोज़गार समाचार**
साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

**बाल भारती**
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

## घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

### सदस्यता दरें

| प्लान | योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा) | बाल भारती | रोज़गार समाचार | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | रजिस्टर्ड डाक | रजिस्टर्ड डाक | मुद्रित प्रति (साधारण डाक) | ई-संस्करण |
| 1 | ₹ 434 | ₹ 364 | ₹ 530 | ₹ 400 |
| 2 | ₹ 838 | ₹ 708 | ₹ 1000 | ₹ 750 |
| 3 | ₹ 1222 | ₹ 1032 | ₹ 1400 | ₹ 1050 |

सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र **नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी।** पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलान भुगतान के लिए https://eneversion.nic.in/membership/login लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-

**संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.**

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन: 011-24367453,** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

**कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।**

## सदस्यता कूपन ( नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन )

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत ............ पत्रिका ............ भाषा में भेजें।

नाम ( साफ व बड़े अक्षरों में ) ............

पता : ............

............ जिला ............ पिन ............

ईमेल ............ मोबाइल नं. ............

डीडी/पीओ/एमओ सं. ............ दिनांक ............ सदस्यता सं. ............

**प्रकाशन विभाग**
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

# देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

## हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

### विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

### रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

| प्रतियों की संख्या | खुदरा मूल्य में छूट |
|---|---|
| 20-1000 | 25% |
| 1001-2000 | 35% |
| 2001-अधिक | 40% |

### मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

| प्रतियों की संख्या | खुदरा मूल्य में छूट |
|---|---|
| 20-250 | 25% |
| 251-1000 | 40% |
| 1001-अधिक | 45% |

## विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित

सम्पर्क

**रोज़गार समाचार**
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

**पत्रिका एकक**
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

### कवर 2 का शेष

मास्टर डेवेलपर का चयन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर निर्धारित मानदंडों के आधार पर करेंगी।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ इनका समायोजन उन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के आधार पर किया जा सकता है। इससे वस्त्र उद्योग में स्पर्धा की भावना विकसित होगी और लाखों लोगों को इस उद्योग में काम/रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना की व्यापकता को देखें तो इससे भारतीय कंपनियों को विश्व-स्तर पर चैंपियन की तरह उभरने का मौका मिलेगा।

### भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाने के करार पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य में 4 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत से चलाई जाने वाली परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार आएगा और भविष्य में कोविड-19 महामारी या किसी अन्य आपात स्थिति से राज्य मजबूती से निपट सकेगा।

मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तीकरण परियोजना से राज्य की और उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रबंधन और प्रशासन क्षमता भी बढ़ जाएगी और राज्य के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का स्वरूप बदल जाएगा तथा ज्यादा लोग स्वास्थ्य-बीमा सुविधा के लाभ प्राप्त करने लगेंगे। प्रमाणीकरण और बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर और उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा अधिक लोगों को बेहतर औषधियां और निदान सेवाएं मिलने लगेंगी।

Academy For Education & Training Pvt. Ltd. * Delhi *

परियोजना का लाभ राज्य के सभी ग्यारह ज़िलों को मिलेगा। इससे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी फायदा पहुंचेगा क्योंकि इन स्तरों पर योजना बनाने और प्रबंध करने की क्षमताओं में सुधार होगा और इन स्वास्थ्यकर्मियों की चिकित्सकीय कुशलता भी बढ़ेगी। इस परियोजना से महिलाएं भी सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगी।

इस परियोजना से मेघालय के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की कुशलता बढ़ेगी और उसका विस्तार भी होगा। इसका नाम मेघा स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एमएचआईएस) है और इस समय राज्य के 56 प्रतिशत परिवार इस स्कीम के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर वाली प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में विलय के बाद इस स्कीम के तहत और ज्यादा व्यापक कवरेज उपलब्ध कराके सभी 100 प्रतिशत परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने की योजना है। इससे लोगों को अस्पताल की सुविधाएं प्राप्त करने में आने वाली परेशानियों और बाधाओं से छुटकारा मिल जाएगा और गरीब परिवार इलाज पर होने वाले बड़े खर्च से बचे रह सकेंगे।

परियोजना अपनी मुख्य नीति के अंतर्गत कार्य आधारित वित्त प्रणाली अपनाएगी जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और उसके सहयोगी विभागों के बीच सभी स्तरों पर बेहतर जवाबदेही होगी और आंतरिक कार्य प्रदर्शन समझौते (इंटरनल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट) किए जाएंगे। इससे प्रणाली के प्रबंधन में सुधार आएगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। परियोजना से विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य लाने और राज्य बीमा एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

परियोजना के तहत संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण पर निवेश करके भविष्य में महामारी या स्वास्थ्य आपात स्थिति न आने देने के उद्देश्य से लचीली नीति अपनाई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से जैव चिकित्सकीय (बायो-मेडिकल) कचरा ज्यादा होने लगेगा। कचरा चाहे बायो-मेडिकल हो या प्लास्टिक-कचरा अथवा ई-कचरा हो, हर हाल में स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक और खतरनाक ही है। इस परियोजना में बायो मेडिकल कचरे (ठोस और तरल दोनों) के समग्र प्रबंधन पर निवेश किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कूड़े को छांटकर अलग करना, उसे डिसइनफेक्ट करना और उसे इकट्ठा करते समय पर्यावरण को जहां तक संभव हो सके सुरक्षित बचाए रखना और स्वास्थ्य सेवा और रोगी की सुरक्षा को बेहतर बनाना शामिल है।

### पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के लिए बायोटेक्नोलॉजी केंद्र

अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ स्थान किमिन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए नया बायोटेक्नोलॉजी (जैव-प्रौद्योगिकी) केंद्र शुरू किया जा रहा है।

"सेंटर फॉर बायो-रिसोर्सेज़ एंड सस्टेनुबल डेवेलपमेंट" अर्थात् जैविक संसाधन एवं स्थायी विकास केंद्र ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के अनेक संस्थानों के साथ अकादमिक संपर्क स्थापित किए हैं ताकि इन कार्यक्रमों को बेहतर कुशलता से क्रियान्वित किया जा सके क्योंकि इन कार्यक्रमों से अरुणाचल प्रदेश राज्य के युवा उद्यमियों के लिए रोज़गार के बेहतर तथा ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। इन कार्यक्रमों को लागू करने की सुविधा अरुणाचल प्रदेश के चार जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी जिससे आने वाले 2 वर्ष में 50 से ज्यादा गांवों के 10 हजार से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।

सरकार इस क्षेत्र के विकास और लाभ के लिए तीन बड़े कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है- (i) किमिन के मुख्य केंद्र में अति-आधुनिक आर्चिडेरियम (फल उद्यान) बनाकर प्राथमिकता वाली नस्लों का संरक्षण और गुणन किया जाएगा तथा अरुणाचल प्रदेश के चुने हुए जिलों में उनकी सहायक (सैटेलाइट) यूनिटें भी विकसित की जाएंगी; (ii) अरुणाचल प्रदेश के चुने हुए ज़िलों में केले के रेशे निकालने और उनके प्रसंस्करण की यूनिटें खोली जाएंगी; और (iii) सुगंधि वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सुगंधि यूनिटें लगाकर उद्यमिता विकास किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग-अलग प्रकार के चार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें: (1) विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी), (2) तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी), (3) फैकल्टी (शिक्षक) प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी), और (4) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तीन कौशल विकास परिषदें भी अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् के साथ हुए समझौते में शामिल हैं जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए कौशल विज्ञान कार्यक्रम चलाने में सहयोग और समर्थन देंगी। ■